



सत्यमेव जयते

विनियोग लेखे 2022-23



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थं सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest



छत्तीसगढ़ शासन

विनियोग लेखे

2022-23

छत्तीसगढ़ शासन

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	1
विनियोग लेखे का सार	2-17
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट	19-21
विनियोग लेखे	
अनुदान संख्या	अनुदान या विनियोग का नाम
	23-26
	27-28
01	29-32
02	33-34
03	35-40
04	41-42
05	43-44
06	45-49
07	50-52
08	53-57
09	58-59
10	60-66
11	67-70
12	71-73
13	74-85
14	86-89
15	90-91
16	92-93
17	94-96

		पृष्ठ संख्या
18	श्रम	97-99
19	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	100-106
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	107-112
21	आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय	113-116
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय निकाय	117
23	जल संसाधन विभाग	118-127
24	लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	128-135
25	खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय	136-137
26	संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय	138-139
27	स्कूल शिक्षा	140-146
28	राज्य विधान मंडल	147-148
29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	149-154
30	पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय	155-160
31	योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय	161-162
32	जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय	163-165
33	आदिम जाति कल्याण	166-169
34	समाज कल्याण	170-172
35	पुनर्वास	173
36	परिवहन	174-176
37	पर्यटन	177-178
39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय	179-181
41	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना	182-232
42	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल	233-237
43	खेल और युवा कल्याण	238-239
44	उच्च शिक्षा	240-243

45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	244–246
46	विज्ञान और टेक्नालॉजी	247–248
47	तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग	249–254
49	अनुसूचित जाति कल्याण	255
50	बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय	256
51	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	257–258
53	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	259–260
54	कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय	261–262
55	महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	263–271
56	ग्रामोद्योग	272–273
57	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं	274
58	प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय	275–281
60	जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय	282
64	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	283–313
65	विमानन विभाग	314–315
66	पिछड़ा वर्ग कल्याण	316–318
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	319–330
68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य-भवन	331–333
69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग-नगरीय कल्याण	334–340
71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी	341–344
75	जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	345–349
76	लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	350–351
79	चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय	352–357
80	त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	358–361
81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	362–364
82	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	365–367
83	अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	368

परिशिष्ट

	पृष्ठ संख्या
परिशिष्ट-I 2022-23 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित नहीं किया गया।	371
परिशिष्ट-II अनुमानों का अनुदान वार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां	372-374

प्रस्तावना

वर्ष 2022-23 के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे का संकलन भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अधीन पारित विनियोग अधिनियम के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशि की तुलना में 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष में व्यय की गई राशि के लेखे प्रस्तुत करता है।

इन लेखाओं में-

मूल	मूल अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
पूरक	पूरक अनुदान या विनियोग का द्योतक है।
पुनर्वि.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा संस्वीकृत पुनर्विनियोग प्रत्याहरण या अभ्यर्पण का द्योतक है।
प्रभारित	विनियोग और व्यय को तिरछे अक्षरों में दर्शाया गया है।

छत्तीसगढ़ विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा विनियोग लेखे में टिप्पणी हेतु संयुक्त मध्य प्रदेश विधान सभा के लोक लेखा समिति द्वारा निर्धारित निम्न मापदण्डों को अपनाया गया है।

बचत

- (1) कुल प्रावधान का 2% से अधिक बचत हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी (मूल एवं अनुपूरक)।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 5 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ से ₹ 30 करोड़ के अनुदानों के बीच के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 10 लाख से अधिक बचतों पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्ष हेतु ₹ 20 लाख से अधिक बचतों हेतु टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उपशीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर है, पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

आधिक्य

- (1) सभी प्रकरणों में जहां अनुदानों में पूर्ण आधिक्य है कुछ राशि प्रावधान पर आधिक्य व्यय का नियमितिकरण हेतु सामान्य टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (2) ₹ 10 करोड़ से कम अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 5 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (3) ₹ 10 करोड़ तथा ₹ 30 करोड़ के मध्य अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों हेतु ₹ 10 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।
- (4) ₹ 30 करोड़ से अधिक अनुदानों के प्रकरण में प्रत्येक उप शीर्षों के लिए ₹ 20 लाख से अधिक व्यय पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

प्रभारित विनियोग:

सभी उप शीर्षों में जहां ₹ 5 लाख से अधिक अंतर है, पर टिप्पणी की आवश्यकता होगी।

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
ब्याज की अदायगी एवं ऋण सेवा (प्रभारित विनियोग)		
प्रभारित	70,02,69,65	00
लोक ऋण (प्रभारित विनियोग)		
प्रभारित	00	60,11,90,00
01 सामान्य प्रशासन		
दत्तमत	3,60,80,21	1,02,18,60
प्रभारित	44,72,70	00
02 सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	3,60,78,40	80,07,50
03 पुलिस		
दत्तमत	54,33,12,96	2,35,71,35
प्रभारित	1,26,00	00
04 गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	97,76,14	5,29,12
05 जेल		
दत्तमत	1,96,48,40	1,01,10
प्रभारित	10	00
06 वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय		
दत्तमत	77,35,02,96	2,85,30
प्रभारित	1,93,41	00
07 वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,94,70,93	1,32,10
प्रभारित	70,13,35	00
08 भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन		
दत्तमत	14,06,93,58	2,34,95,50
प्रभारित	15,26	00
09 राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	21,43,45	50,00
प्रभारित	10	00
10 वन		
दत्तमत	23,15,30,63	16,56,66
प्रभारित	4,63,17	00

का सार

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
63,20,06,37	00	6,82,63,28	00	00	00
00	96,00,71,93	00	00	00	35,88,81,93 (₹ 35,88,81,93,415)
3,19,29,19	98,27,22	41,51,02	3,91,38	00	00
34,89,41	00	9,83,29	00	00	00
2,68,93,30	7,16	91,85,10	80,00,34	00	00
47,03,43,06	2,16,94,50	7,29,69,90	18,76,85	00	00
1,19,16	00	6,84	00	00	00
46,74,01	13,98	51,02,13	5,15,14	00	00
1,68,63,27	83,39	27,85,13	17,71	00	00
00	00	10	00	00	00
77,76,80,26	80,94	00	2,04,36	41,77,30	00
68,11	00	1,25,30	00	(₹ 41,77,30,146)	00
2,45,48,28	98,13	49,22,65	33,97	00	00
70,00,00	00	13,35	00	00	00
10,51,51,48	95,42,61	3,55,42,10	1,39,52,89	00	00
00	00	15,26	00	00	00
6,07,98	46,81	15,35,47	3,19	00	00
00	00	10	00	00	00
20,58,30,09	9,58,17	2,57,00,54	6,98,49	00	00
1,34,95	00	3,28,22	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूँजीगत
	(₹ हजार में)	
11 वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,67,65,25	1,16,29,10
प्रभारित	7,85	5,00
12 उर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	30,23,55,15	4,45,18,91
प्रभारित	2,70,00,00	00
13 कृषि		
दत्तमत	58,22,93,63	33,88,70
प्रभारित	17,50	00
14 पशु पालन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,64,12,07	4,86,00
प्रभारित	20,00	00
15 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	1,49,86,42	1,14,00,00
16 मछली पालन		
दत्तमत	82,79,56	1,03,00
प्रभारित	10	00
17 सहकारिता		
दत्तमत	2,31,37,40	1,06,11,51
प्रभारित	15	00
18 श्रम		
दत्तमत	1,55,64,17	40,00
प्रभारित	10	00
19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण		
दत्तमत	31,16,60,09	46,52,10
प्रभारित	2,35,50	00
20 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
दत्तमत	2,96,83,72	11,54,31,07
प्रभारित	16,00	00
21 आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,23,72,74	3,63,68,90
22 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय		
दत्तमत	13,75,71	00
प्रभारित	5	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1,86,07,58	46,98,65	81,57,67	69,30,45	00	00
00	00	7,85	5,00	00	00
30,20,97,97	4,43,60,68	2,57,18	1,58,23	00	00
2,70,00,00	00	00	00	00	00
53,80,94,11	27,69,93	4,41,99,52	6,18,77	00	00
7,64	00	9,86	00	00	00
3,59,64,86	92,99	1,04,47,21	3,93,01	00	00
2,07	00	17,93	00	00	00
89,53,70	77,62,71	60,32,72	36,37,29	00	00
51,99,73	74,44	30,79,83	28,56	00	00
00	00	10	00	00	00
1,78,84,75	90,68,70	52,52,65	15,42,81	00	00
00	00	15	00	00	00
1,25,45,70	15	30,18,47	39,85	00	00
00	00	10	00	00	00
26,38,61,64	35,79,73	4,77,98,45	10,72,37	00	00
91,87	00	1,43,63	00	00	00
2,07,42,54	11,13,06,93	89,41,18	41,24,14	00	00
00	00	16,00	00	00	00
3,78,95,65	2,28,41,66	44,77,09	1,35,27,24	00	00
10,10,40	00	3,65,31	00	00	00
00	00	5	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
23 जल संसाधन विभाग		
दत्तमत	6,03,39,13	5,79,20,61
प्रभारित	1,10	55,00
24 लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	11,98,52,67	17,67,51,08
प्रभारित	00	10,10,00
25 खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,80,31,40	2,71,39,02
प्रभारित	5,00	00
26 संस्कृति विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	67,58,39	37,50
27 स्कूल शिक्षा		
दत्तमत	56,00,86,64	34,34,30
प्रभारित	30,00	00
28 राज्य विधान मण्डल		
दत्तमत	72,93,60	1,00,00
प्रभारित	98,00	00
29 न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन		
दत्तमत	4,57,11,10	15,94,50
प्रभारित	96,40,71	53,00
30 पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	34,15,61,29	7,79,65,50
प्रभारित	29,00	00
31 योजना, आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	53,81,52	27,50
प्रभारित	40	00
32 जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	4,07,25,67	64,00
प्रभारित	10	00
33 आदिम जाति कल्याण		
दत्तमत	55,24,24,86	5,55,00
प्रभारित	34,00	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
4,71,76,65	2,74,15,24	1,31,62,48	3,05,05,37	00	00
00	33,27	1,10	21,73	00	00
6,60,96,33	13,79,42,97	5,37,56,34	3,88,08,11	00	00
00	7,63,41	00	2,46,59	00	00
4,68,63,20	2,16,86,83	11,68,20	54,52,19	00	00
00	00	5,00	00	00	00
55,94,16	6,45	11,64,23	31,05	00	00
51,67,71,08	34,15,04	4,33,15,56	19,26	00	00
1,77	00	28,23	00	00	00
52,76,79	96,24	20,16,81	3,76	00	00
36,50	00	61,50	00	00	00
3,99,27,39	3,79,81	57,83,71	12,14,69	00	00
81,90,03	24,69	14,50,68	28,31	00	00
25,21,37,19	7,37,80,59	8,94,24,10	41,84,91	00	00
24,81	00	4,19	00	00	00
33,40,35	7,99	20,41,17	19,51	00	00
00	00	40	00	00	00
3,89,91,73	20,72	17,33,94	43,28	00	00
00	00	10	00	00	00
52,83,65,91	40,55	2,40,58,95	5,14,45	00	00
00	00	34,00	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
34 समाज कल्याण		
दत्तमत	1,07,13,10	8,51,00
प्रभारित	40	00
35 पुनर्वास		
दत्तमत	1,94,03	00
36 परिवहन		
दत्तमत	1,02,55,69	18,36,70
प्रभारित	1,20,50	00
37 पर्यटन		
दत्तमत	51,48,17	83,76,01
39 खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	31,74,39,10	24,07,70
प्रभारित	50	00
41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना		
दत्तमत	1,85,25,46,17	40,84,56,87
प्रभारित	20,10	6,55,00
42 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल		
दत्तमत	00	12,38,16,34
प्रभारित	00	2,00,00
43 खेल और युवा कल्याण		
दत्तमत	82,16,15	1,57,50
प्रभारित	30	00
44 उच्च शिक्षा		
दत्तमत	8,49,75,91	23,22,00
प्रभारित	1,10	00
45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य		
दत्तमत	80,14,36	6,79,50,97
46 विज्ञान और टेक्नालॉजी		
दत्तमत	21,75,00	3,60,00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
83,01,44	5,60,82	24,11,66	2,90,18	00	00
00	00	40	00	00	00
1,64,78	00	29,25	00	00	00
65,74,85	7,23,18	36,80,84	11,13,52	00	00
00	00	1,20,50	00	00	00
45,74,50	72,01,00	5,73,67	11,75,01	00	00
29,27,88,48	19,16	2,46,50,62	23,88,54	00	00
00	00	50	00	00	00
1,61,97,17,26	32,80,69,30	23,28,28,91	8,03,87,57	00	00
19,81	6,40,00	29	15,00	00	00
00	6,76,55,36	00	5,61,60,98	00	00
00	18,02	00	1,81,98	00	00
44,53,72	1,31,75	37,62,43	25,75	00	00
00	00	30	00	00	00
7,73,39,97	1,70,39	76,35,94	21,51,61	00	00
00	00	1,10	00	00	00
66,26,99	4,05,38,03	13,87,37	2,74,12,94	00	00
9,79,38	00	11,95,62	3,60,00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
47 तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग		
दत्तमत	3,77,77,90	64,53,50
प्रभारित	20	00
49 अनुसूचित जाति कल्याण		
दत्तमत	5,26,10	00
50 20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	3,85,25	00
51 धार्मिक न्यास और धर्मस्व		
दत्तमत	14,58,48	6,35,00
53 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	24,89,40	56,10,00
54 कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	2,12,80,10	59,20,02
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	11,45,53,60	20,44,18
प्रभारित	10	00
56 ग्रामोद्योग		
दत्तमत	1,16,98,87	3,95,40
57 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	2,00,00
58 प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय		
दत्तमत	11,10,54,60	20,00
60 जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	65,00	2,08,00,00
64 अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
दत्तमत	61,51,47,14	12,38,83,19
प्रभारित	10	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
2,49,28,69	53,19,69	1,28,49,21	11,33,81	00	00
00	00	20	00	00	00
3,79,88	00	1,46,22	00	00	00
2,11,99	00	1,73,26	00	00	00
8,83,09	6,10,21	5,75,39	24,79	00	00
22,77,40	55,00,80	2,12,00	1,09,20	00	00
1,90,79,50	33,85,00	22,00,60	25,35,02	00	00
7,56,12,97	9,36,59	3,89,40,63	11,07,59	00	00
1,08	00	00	00	98	00
				(₹97,850)	
98,48,66	3,85,12	18,50,21	10,28	00	00
00	00	00	2,00,00	00	00
5,94,93,46	00	5,15,61,14	20,00	00	00
24,56	2,02,38,27	40,44	5,61,73	00	00
54,15,84,73	9,89,33,82	7,35,62,41	2,49,49,37	00	00
00	00	10	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
65 विमानन विभाग		
दत्तमत	1,32,48,78	7,00,50
प्रभारित	10	00
66 पिछड़ा वर्ग कल्याण		
दत्तमत	3,86,59,02	18,16,00
67 लोक निर्माण कार्य—भवन		
दत्तमत	7,03,18,90	8,04,27,75
प्रभारित	1,46,00	00
68 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन		
दत्तमत	00	1,29,21,34
69 नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण		
दत्तमत	14,51,66,56	00
71 सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव—प्रौद्योगिकी		
दत्तमत	1,22,92,67	1,56,08,00
75 जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	6,89,71,00
76 लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं		
दत्तमत	00	9,40,15,03
79 चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय		
दत्तमत	10,54,64,91	3,20,97,40
प्रभारित	3,20	00
80 त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	30,39,98,91	4,33,00,00
81 नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता		
दत्तमत	18,72,47,12	7,92,10,00
प्रभारित	1,00,25,59	00

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1,21,44,63	2,55,95	11,04,15	4,44,55	00	00
00	00	10	00	00	00
50,82,76	11,18,73	3,35,76,26	6,97,27	00	00
5,80,18,60	4,54,26,76	1,23,00,30	3,50,00,99	00	00
1,18,40	00	27,60	00	00	00
00	53,87,53	00	75,33,81	00	00
12,99,73,30	00	1,51,93,26	00	00	00
37,81,60	54,40,00	85,11,07	1,01,68,00	00	00
00	1,64,80,34	00	5,24,90,66	00	00
00	7,81,57,95	00	1,58,57,08	00	00
8,20,76,58	3,02,19,57	2,33,88,33	18,77,83	00	00
00	00	3,20	00	00	00
27,60,73,69	2,81,46,11	2,79,25,22	1,51,53,89	00	00
17,64,02,67	5,92,00,00	1,08,44,45	2,00,10,00	00	00
1,00,25,59	00	00	00	00	00

विनियोग लेखे

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	अनुदान या विनियोग की राशि	
	राजस्व	पूंजीगत
	(₹ हजार में)	
82 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता दत्तमत	2,45,92,33	3,33,00,00
83 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र उपयोगना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता दत्तमत	56,31,00	65,90,00
योग दत्तमत:	9,13,80,24,16	1,90,37,18,93
योग प्रभारित :	76,00,07,49	60,31,68,00
महायोग:	9,89,80,31,65	2,50,68,86,93

का सार—जारी

व्यय		अनुदान या विनियोग के साथ व्यय की तुलना			
		बचत		आधिक्य	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
(₹ हजार में)		(₹ हजार में)		(₹ हजार में)	
1,64,45,98	2,17,82,43	81,46,35	1,15,17,57	00	00
55,50,62	63,99,20	80,38	1,90,50	00	00
7,99,93,17,06	1,39,20,94,87	1,14,28,84,40	51,16,24,06	41,77,30	00
68,83,37,57	96,15,51,32	7,16,70,90	4,98,61	98	35,88,81,93
8,68,76,54,63	2,35,36,46,19	1,21,45,55,30	51,21,22,67	41,78,28	35,88,81,93

विनियोग लेखे का सार—जारी

निम्नलिखित प्रकरणों में दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग से अधिक व्यय हुआ। अधिक व्यय का विनियमन आवश्यक है :-

अनुदान संख्या और नाम—	अनुभाग
दत्तमत—अनुदान	
06 वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय	राजस्व
प्रभारित—विनियोग	
(.) लोक ऋण	पूंजीगत
55 महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय	राजस्व

वर्ष 2022-23 के दौरान विनियोग लेखे के सार में दर्शाये गये व्यय में आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों से किये गये ₹ 1,06,06,07 हजार का व्यय तथा वर्ष के दौरान की गई प्रतिपूर्ति सम्मिलित है।

चूंकि अनुदान और विनियोग उन सकल राशियों के लिए है जिनका व्यय करना अपेक्षित है, उनके प्रति दर्शाए गए व्यय के आंकड़ों में वह वसूलियां शामिल नहीं की जाती हैं, जिनका व्यय से कटौती करके लेखाओं में समायोजन किया गया है। निवल व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाए जाते हैं।

वर्ष 2022-23 के लिए विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय और उस वर्ष के लिए वित्त लेखे में दिखाए गए आंकड़ों के बीच समाधान नीचे दर्शाया गया है:-

	राजस्व		पूंजीगत	
	दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत	प्रभारित
	(₹ हजार में)			
विनियोग लेखे के अनुसार कुल व्यय	7,99,93,17,06	68,83,37,57	1,39,20,94,87	96,15,51,32
घटाइये—वसूलियों का जोड़	15,91,51,22	00	5,29,58,23	00
वित्त लेखे के विवरण संख्या 11— में दर्शाया गया कुल निवल व्यय	7,84,01,65,84	68,83,37,57	1,33,91,36,64	96,15,51,32

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट—II में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे का सार—समाप्त

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक व्यय निम्नांकित दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुआ :-

(क) दत्तमत अनुदान:-

राजस्व:- 06

पूँजीगत:- निरंक

(ख) प्रभारित विनियोग :-

राजस्व :-55

पूँजीगत:- लोक ऋण

प्रावधान से 10 प्रतिशत अधिक बचत निम्नांकित दत्तमत अनुदान तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत हुई:-

(क) दत्तमत अनुदान:-

(i) राजस्व :-अनुदान संख्या- 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 64, 66, 69, 71, 79 एवं 82

(ii) पूँजीगत :-अनुदान संख्या- 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 54, 55, 57, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 75, 76, 80, 81 एवं 82.

(ख) प्रभारित विनियोग :-

(i) राजस्व:- अनुदान संख्या- 01, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 43, 44, 47, 64, 65, 67 एवं 79

(ii) पूँजीगत:- अनुदान संख्या-11, 23, 24, 29, एवं 42

लोक लेखा समिति द्वारा उप शीर्ष स्तर पर आधिक्य/बचत पर टिप्पणी हेतु निम्नतम सीमा ₹ 5.00 लाख निर्धारित किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखाओं की लेखापरीक्षा

अभिमत

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के विनियोग लेखे, वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखाओं को संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में प्रस्तुत करते हैं। वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और संवितरण के लेखों के साथ वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले वर्ष के लिए सरकार के वित्त लेखे अलग से प्रस्तुत किए जाते हैं।

मेरे अधिकारियों द्वारा अपेक्षित और प्राप्त की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर तथा लेखाओं की परीक्षण लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, मेरे अभिमत में, विनियोग लेखे इस संकलन में टिप्पणियों के साथ पठित, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष में व्यय की गई राशियों के लेखों को, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अंतर्गत राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विनियोग अधिनियमों से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट राशियों की तुलना में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करते हैं।

इन खातों के लेखापरीक्षा के साथ-साथ वर्ष या पूर्व के वर्षों के दौरान किए गए लेखापरीक्षा से उत्पन्न टिप्पणियां 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए अलग से प्रस्तुत की जा रही छत्तीसगढ़ सरकार पर मेरी वित्तीय, अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में निहित हैं।

अभिमत के लिए आधार

लेखापरीक्षा का संचालन सीएजी के लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किया गया है। ये मानक यह अपेक्षा करते हैं कि हम इस आशय का तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षा की योजना तैयार करके उसका निष्पादन करें कि लेखे वस्तुपरक अशुद्ध विवरण से मुक्त हैं। एक लेखापरीक्षा में, परीक्षण के आधार पर, वित्तीय विवरणों में राशियों और प्रकटीकरणों से संबंधित साक्ष्यों की जांच शामिल है। हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य मेरे अभिमत के लिए एक आधार प्रदान करते हैं।

प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं की तैयारी का उत्तरदायित्व

राज्य सरकार राज्य विधानमंडल से बजट का प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार और वे जो बजट के निष्पादन के लिए उत्तरदायी हैं जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के कोषागार, कार्यालय और विभाग, प्रारंभिक और अनुषंगी खातों की तैयारी और शुद्धता के साथ-साथ लागू विधियों, मानकों, नियमों, एवं विनियमों के अनुसार लेन देन की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

इसके अलावा, वे विनियोग लेखाओं के संकलन और तैयारी के लिए छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय को प्रारंभिक और अनुषंगी लेखाओं और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं।

वार्षिक लेखाओं के संकलन का उत्तरदायित्व

मेरे नियंत्रणाधीन कार्यरत छत्तीसगढ़ के प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) का कार्यालय राज्य सरकार के वार्षिक लेखों के संकलन एवं तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। यह नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार है।

वार्षिक लेखा वाउचरों, चालानों और कोषागारों, कार्यालयों और छत्तीसगढ़ सरकार के विभाग और भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरण और प्रारंभिक एवं अनुषंगी लेखाओं से संकलित किया गया है।

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व

वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 और 151 तथा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से ऐसी लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर इन लेखाओं पर अभिमत व्यक्त करने के लिए की जाती है।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) और प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय अलग-अलग संवर्ग, अलग रिपोर्टिंग लाइन और प्रबंधन संरचना के साथ स्वतंत्र संगठन है।

मामले का महत्व


मैं,

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान एक अनुदान और दो विनियोगों के अंतर्गत राज्य विधान सभा द्वारा प्राधिकृत राशि के अतिरिक्त ₹ 3,630.60 करोड़ का अतिरिक्त संवितरण किया गया। वर्ष 2000-01 से 2021-22 तक अधिक संवितरण किए गए ₹ 17,436.39 करोड़ को राज्य विधान सभा द्वारा नियमित किया जाना शेष है।

पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।

[मांग संख्या 06, 55 एवं लोक ऋण का संदर्भ]

‘मामले के महत्व’ खंड के कारण विनियोग लेखाओं पर मेरे अभिमत संशोधित नहीं हुए।



(गिरीश चंद्र मुर्मू)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

दिनांक: 18 दिसम्बर 2023

स्थान: नई दिल्ली

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
2048-ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन			
2049-ब्याज अदायगियां			
राजस्व:			
प्रभारित-			
मूल	70,02,69,65		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)	70,02,69,65	63,20,06,37	(-)6,82,63,28 6,82,63,28

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-101-2199-नया बाजार ऋण-			
मूल	27,500.00		
पुनर्वि.	(-)27,500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान नया बाजार ऋण के लिए प्रावधान पृथक शीर्ष में किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2005-06 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2049-01-101-7758-उदय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी को अनुदान-			
मूल	10,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,313.13	6,686.87	6,686.87

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 809.71 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,503.41 लाख की कमी नया बाजार ऋण के लिए प्रावधान पृथक शीर्ष में किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 3,313.13 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2049-01-123-4854-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि पर ब्याज-			
मूल	46,000.00		
पुनर्वि.	(-)13,178.14	32,821.86	32,821.86

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 13,178.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2049-01-131-6471-विशेष आहरण सुविधा-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)139.33	10.67	10.67
			0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 139.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 2049-01-200-3087-भारतीय जीवन बीमा निगम से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2005-06 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2049-01-200-3089-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियों और कॅश बैलेंस की कमी की पूर्ति हेतु लिए गए अग्रिमों पर ब्याज-			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	(-)80.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2049-01-200-3732-राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की राष्ट्रीय कृषि निधि से लिए गए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	30,000.00		
पुनर्वि.	(-)11,260.11	18,739.89	18,739.89
			0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 11,260.11 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2049-01-305-2205-नये ऋणों के प्रचालन संबंधी व्यय			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)187.12	112.88	112.88
			0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 187.12 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(9) 2049-03-104-4033-विभागीय भविष्य निधि पर ब्याज-			
मूल	4,725.00		
पुनर्वि.	(-)4,285.90	439.10	439.10
			0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 4,285.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-जारी

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2049-03-104-4487-सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज-			
मूल	52,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,838.32	49,661.68	49,661.68
			0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 2,838.32 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2049-04-101-3707-राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की आयोजनागत योजनाओं के लिए ऋणों पर ब्याज-			
मूल	12,600.00		
पुनर्वि.	(-)2,840.26	9,759.74	9,759.74
			0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 2,840.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2049-04-101-6721-12वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार समेकित ऋणों पर ब्याज-			
मूल	6,502.60		
पुनर्वि.	(-)5,096.22	1,406.38	1,406.38
			0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 5,096.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(13) 2049-60-701-4198-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना- (बचत निधि पर ब्याज)-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,548.86	3,451.14	3,451.14
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 513.44 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,035.42 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,548.86 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-03-104-6689-छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि पर ब्याज-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	5,009.71	5,009.71	5,009.71
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 5,009.71 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

ब्याज की अदायगी और ऋण सेवा-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2049-60-701-4192-शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना (बीमा निधि पर ब्याज)- मूल 2,500.00 पुनर्वि. 63.67	2,563.67	2,563.67	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 63.67 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(3) 2049-60-701-4209-शासकीय सेवक परिवार कल्याण निधि पर ब्याज- मूल 250.00 पुनर्वि. 513.44	763.44	763.44	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 513.44 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

लोक ऋण
(प्रभारित विनियोग)

	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष -			
6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण			
6004—केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम			
पूँजीगत:			
प्रभारित	60,11,90,00	96,00,71,93	+35,88,81,93
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,16,91,02

टीका एवं टिप्पणियां

पूँजीगत :

(i) भारत विनियोग पर हुए ₹ 35,88,81,93,415 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।

(ii) ₹ 3,58,881.93 के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 11,691.02 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003—105—3731—राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की ऋण निधि से कर्ज—			
मूल	90,914.00		
पुनर्वि.	(-)992.33	89,921.67	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 992.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 6003—110—637—उपाय तथा
साधन अग्रिम—

मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)6,000.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2007—08 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 6003—110—779—कमियों की पूर्ति
के लिए अग्रिम—

मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,000.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016—17 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

लोक ऋण-समाप्त

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 6003-111-5670-केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ-			
मूल	46,000.00		
पुनर्वि.	(-)412.47	45,587.53	45,587.53
			0.00
समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 412.47 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

(5) 6004-02-101-6718-बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश अनुसार समेकित ऋण-				
मूल	12,000.00			
पुनर्वि.	(-)2,673.87	9,326.13	9,326.13	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग से ₹ 2,673.87 लाख की कमी योजना अनुसार व्यय नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 6004-09-101-3052-ब्लाक कर्जे-				
मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6003-112-6471-विशेष आहरण सुविधा	2,238.05	3,72,811.00	+3,70,572.95

मूल प्रावधान से अधिक व्यय, बजट प्रावधान के समय निधि की आवश्यकता के अनुचित आकलन को दर्शाता है। आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 6004-02-101-3052-ब्लाक कर्जे-				
मूल	9,300.00			
पुनर्वि.	4,406.56	13,706.56	13,706.56	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा विनियोग में ₹ 4,406.56 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 01—सामान्य प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2012—राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति/राज्यपाल/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक			
2013—मंत्री परिषद			
2015—निर्वाचन			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2055—पुलिस			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2062—सतर्कता			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			
7610—सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,87,70,21		
पूरक	73,10,00	3,60,80,21	3,19,29,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)41,51,02 40,31,08
प्रभारित—			
मूल	41,26,29		
पूरक	3,46,41	44,72,70	34,89,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)9,83,29 9,65,47
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	51,98,60		
पूरक	50,20,00	1,02,18,60	98,27,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)3,91,38 93,37
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 69,20 हजार सम्मिलित है जिसको अक्टूबर 2022 को स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2023 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 4,151.02 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 4,031.08 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

अनुदान संख्या 01-जारी

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2015-101-6262-राज्य निर्वाचन आयोग-			
मूल	2,009.60		
पुनर्वि.	(-1,042.68	966.92	+0.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,042.68 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति देयक प्राप्त नहीं होने, अधीनस्थ जिला कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग नहीं किए जाने, जिलों द्वारा समय से निधि का उपयोग नहीं किए जाने, नये भवनों में फर्नीचर की आवश्यकता नही होने एवं स्टेशनरी सामानों तथा वर्ष 2022-23 के पंचायत निर्वाचन में मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2052-090-4327-सचिवालय-			
मूल	7,773.90		
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-182.45	7,891.45	+4.17
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 75.50 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 257.95 लाख की कमी से प्रावधान में ₹ 182.45 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2052-091-458-आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन नई दिल्ली का कार्यालय-			
मूल	1,452.10		
पुनर्वि.	(-357.77	1,094.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 357.77 लाख की कमी मुख्यतः विभिन्न भत्ते में बढ़ोतरी नहीं होने, 7वें वेतन आयोग के अनुशंसा के तहत बकाया राशि की अंतिम किश्त का भुगतान नहीं किए जाने, चिकित्सा देयक कम प्राप्त होने, अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सरकारी दौरा कम होने, कम्प्यूटरीकरण किए जाने से लेखन सामग्री कम खरीदने, यंत्र तथा फर्नीचर नही खरीदे जाने एवं मितव्ययी उपायो को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(4) 2055-101-4544-सी.आई.डी. (इकॉनामिक अफेन्सेस)-			
मूल	1,472.70		
पुनर्वि.	(-365.05	1,107.65	+0.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 365.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं व्यय में मितव्ययता अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2055-101-5461-एन्टी करप्शन ब्यूरो-			
मूल	1,156.10		
पुनर्वि.	(-376.30	779.80	+1.24
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 376.30 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 01—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2062—104—5405—लोक आयोग—			
मूल	543.97		
पुनर्वि.	(-)144.01	399.96	400.59
			+0.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(7) 2070—003—5435—प्रशासन अकादमी—			
मूल	1,242.25		
पुनर्वि.	(-)419.01	823.24	823.35
			+0.11

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 419.01 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, बी.एस.एन.एल. द्वारा फायर वॉल नहीं खरीदे जाने, निम्न किमत पर कैंटीन का निविदा किये जाने एवं जेम पोर्टल पर वाहनों की खरीदी का प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(8) 2251—090—4329—सचिवालय—			
मूल	2,217.90		
पुनर्वि.	(-)558.61	1,659.29	1,661.92
			+2.63

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 488.61 लाख की कमी से प्रावधान में ₹ 558.61 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014—15 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(9) 3451—090—4327—सचिवालय—			
मूल	2,215.00		
पुनर्वि.	(-)457.52	1,757.48	1,771.26
			+13.78

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 108.50 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 349.02 लाख की कमी से प्रावधान में ₹ 457.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011—12 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

प्रभारित—

(iii) ₹ 983.29 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 965.47 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(iv) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2012—03—090—4330—सचिवालय (भारित)—			
मूल	713.97		
पुनर्वि.	(-)222.95	491.02	488.67
			(-)2.35

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 222.95 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं यात्रा पर कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2015—102—3689—राज्य लोक सेवा आयोग—			
मूल	2,687.10		
पूरक	275.00		
पुनर्वि.	(-)634.29	2,327.81	2,328.28
			+0.47

अनुदान संख्या 01—समाप्त

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 275.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 634.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने, बिजली तथा पानी प्रभार की दर में कमी किये जाने एवं परीक्षा का आयोजन नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 391.38 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 93.37 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-			
7862-मुख्यमंत्री घोषणाओं की पूर्तियां-			
मूल	5,000.00		
पूरक	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)0.32	9,999.68	9,711.67
			(-)288.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.32 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—सामान्य प्रशासन विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250—अन्य सामाजिक सेवाएं			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	3,49,53,40		
पूरक	11,25,00	3,60,78,40	2,68,93,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)91,85,10 80,78,70
पूंजीगत	80,07,50	7,16	(-)80,00,34 80,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 5,00,00 हजार सम्मिलित है जिसको मई 2022 को स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2023 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 1,075.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹ 50.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,125.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 9,185.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 8,078.70 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-090-6452-मुख्यमंत्री अद्योसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण-			
मूल	32,400.00		
पुनर्वि.	(-)7,562.26	24,837.74	24,234.41
			(-)603.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,562.26 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2052-092-6705-राज्य सूचना आयोग	763.15	504.99	(-)258.16

₹ 258.16 लाख की कुल बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 02—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2070-105-5079-विशेष जांच आयोग— मूल 159.00 पूरक 1,075.00 पुनर्वि. (-)96.15	1,137.85	1,133.85	(-)4.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.15 लाख की कमी कम व्यय होने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2070-800-4678-स्वागत तथा सामपत्तिक पदाधिकारी का कार्यालय— मूल 238.80 पुनर्वि. (-)96.06	142.74	141.20	(-)1.54
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.06 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2235-60-800-1982-दुर्घटना मृतकों के परिवार तथा घायलों को वित्तीय सहायता	525.00	326.15	(-)198.85
---	--------	--------	-----------

₹ 198.85 लाख की बचत के विरुद्ध वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2250-800-6368-कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड— मूल 327.85 पूरक (-)290.41	37.44	37.44	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 290.41 लाख की कमी अधिकारियों का स्थानांतरण नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत :

(iv) ₹ 8,000.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 8,000.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4070-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6452-मुख्यमंत्री अद्योसंरचना संधारण एवं उन्नयन प्राधिकरण— मूल 8,000.00 पुनर्वि. (-)8,000.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान विभागों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 03-पुलिस

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2049-ब्याज अदायगियां			
2055-पुलिस			
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	54,30,56,87		
पूरक	2,56,09	54,33,12,96	47,03,43,06
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)7,29,69,90 6,64,25,91
प्रभारित	1,26,00	1,19,16	(-)6.84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			84
पूंजीगत :			
दत्तमत-			
मूल	2,35,21,35		
पूरक	50,00	2,35,71,35	2,16,94,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)18,76,85 18,04,85
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत-			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 196.09 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹ 60.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 256.09 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 72,969.90 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 66,425.91 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-01-200-2629-पुलिस-			
मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	(-)615.00	3,885.00	3,885.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 615.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2055-001-3680-राज्य

मुख्यालय-

मूल 8,767.10

पुनर्वि. (-)809.17

7,957.93

7,981.01

+23.08

अनुदान संख्या 03—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 110.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 699.17 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने से प्रावधान में ₹ 809.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 23.08 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता हेतु अपूर्ण आकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 2055-001-7012-पुलिस जवाबदेही
प्राधिकरण—

मूल	188.72			
पुनर्वि.	(-)96.84	91.88	93.20	+1.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.84 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2055-001-7811-डायल
100/112—

मूल	6,700.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)1,684.48	5,015.52	5,015.52	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 884.48 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने से प्रावधान में ₹ 809.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 2055-003-195-अन्य पुलिस
प्रशिक्षण शालाएं—

मूल	5,987.60			
पुनर्वि.	(-)818.92	5,168.68	5,154.70	(-)13.98

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख की वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान किये जाने एवं आगामी माह के व्यय प्रतिपूर्ति हेतु एवं समर्पण द्वारा ₹ 898.92 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 818.92 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2055-101-279-अभियोजन
संचालनालय—

मूल	3,137.75			
पुनर्वि.	(-)586.56	2,551.19	2,551.16	(-)0.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 586.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(7) 2055-101-7633-क्राइम एंड क्रिमिनल
ट्रेकिंग नेटवर्क

सिस्टम—				
मूल	1,050.00			
पुनर्वि.	(-)507.87	542.13	542.13	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 507.87 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2055-101-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)—
6461-वुमन हेल्प डेस्क

(डब्ल्यू.एच.डी.)—				
मूल	0.10			
पूरक	150.00			
पुनर्वि.	(-)60.52	89.58	72.95	(-)16.63

अनुदान संख्या 03—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.52 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2055-104-4492—सामान्य व्यय
(विशेष पुलिस)–

मूल	1,53,683.50			
पुनर्वि.	(-)1,771.34	1,51,912.16	1,51,209.86	(-)702.30

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 489.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,282.34 लाख की कमी देयकों के भुगतान किये जाने, निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने से प्रावधान में ₹ 1,771.34 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(10) 2055-104-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)–
7936—विशेष अधोसंरचना योजना–
सुदृढ़ पुलिस थानों के
निर्माण के साथ–

मूल	2,400.00			
पुनर्वि.	(-)163.05	2,236.95	2,236.95	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.05 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2055-108-5067—विधि चिकित्सा
विज्ञान–

मूल	1,437.55			
पुनर्वि.	(-)221.66	1,215.89	1,227.26	+11.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 221.66 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(12) 2055-109-4491—सामान्य व्यय–
(जिला स्थापना)–

मूल	2,67,286.90			
पूरक	62.00			
पुनर्वि.	(-)33,968.82	2,33,380.08	2,33,175.79	(-)204.29

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,319.00 लाख की वृद्धि लंबित देयकों के भुगतान किये जाने एवं वाहनों के रख-रखाव हेतु वार्षिक निविदा के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 35,287.82 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 33,968.82 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(13) 2055-109-6717—प्रतिपूर्ति योग्य सुरक्षा
संबंधी व्यय–

मूल	24,721.50			
पुनर्वि.	(-)2,030.10	22,691.40	22,689.86	(-)1.54

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,630.10 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने से प्रावधान में ₹ 2,030.10 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(14) 2055-109-8333—सड़क सुरक्षा
कोष से व्यय–

मूल	2,000.00			
पुनर्वि.	(-)708.78	1,291.22	1,291.22	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 708.78 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2055-109-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7660—महिला अपराध अनुसंधान इकाई— मूल 143.78 पुनर्वि. (-)143.78	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान मुख्यतः मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(16) 2055-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7660—महिला अपराध अनुसंधान इकाई— मूल 215.66 पुनर्वि. (-)215.66	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान मुख्यतः मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 2055-111-2531—पर्यवेक्षक कर्मचारी वर्ग (रेलवे पुलिस—पूर्वी विभाग)— मूल 4,135.90 पुनर्वि. (-)926.08	3,209.82	3,193.89	(-)15.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 926.08 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2055-114-4155—बेतार केन्द्र रायपुर— मूल 5,896.60 पुनर्वि. (-)1,174.71	4,721.89	4,708.67	(-)13.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,174.71 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(19) 2055-115-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 2643—पुलिस बल का आधुनिकीकरण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)637.00	363.00	363.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 637.00 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(20) 2055-115-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2643—पुलिस बल का आधुनिकीकरण— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)956.00	544.00	544.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 956.00 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 03—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2055—115—0600—विशेष केन्द्रीय सहायता— 7918—नक्सल प्रभावित जिलों को सहायता— मूल 26,664.00 पुनर्वि. (-)18,456.00	8,208.00	8,208.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18,456.00 लाख की कमी भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2070—107—2710—प्रधान सेनानी कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय	2,561.51	1,412.32	(-)1,149.19
---	----------	----------	-------------

₹ 1,149.19 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2070—107—492—आव्हान पर होने वाला व्यय	16,133.00	11,670.36	(-)4,462.64
---	-----------	-----------	-------------

₹ 4,462.64 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं। 2013—14 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2055—109—121—केन्द्रीय पुलिस बल तैनाती— मूल 1,100.00 पुनर्वि 366.30	1,466.30	1,466.30	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 33.70 लाख की कमी क्रमशः राज्य में के.एस. आर.पी. प्लेटून तैनात किये जाने हेतु भुगतान के प्रतिपूर्ति एवं मितव्ययी उपायों के अपनाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 366.30 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(v) ₹ 6.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 0.84 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹ 50.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vii) ₹ 1,876.85 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,804.85 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

(1) 4055—207—3680—राज्य मुख्यालय— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)620.68	879.32	879.32	0.00
---	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 430.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 190.68 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने से प्रावधान में ₹ 620.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 03—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4055-207-7811—डायल 100 / 112— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(3) 4055-208-4155—वेतार केन्द्र रायपुर— मूल 320.00 पुनर्वि. (-)99.34	220.66	220.66	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.34 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4055-208-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2629—पुलिस— मूल 4,560.00 पूरक 50.00 पुनर्वि. (-)179.58	4,430.42	4,430.42	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.58 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 4055-211-2629—पुलिस— मूल 3,800.00 पुनर्वि. (-)408.93	3,391.07	3,391.07	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 408.93 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 4055-800-2710—प्रधान सेनानी का कार्यालय तथा अधीनस्थ कार्यालय 72.00	0.00	(-)72.00	
--	------	----------	--

बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

4055-207-4491—सामान्य व्यय (जिला स्थापना)— मूल 4,501.00 पुनर्वि. 195.17	4,696.17	4,696.17	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि पर्याप्त बजट नहीं होने, लंबित देयको का भुगतान किये जाने एवं आगामी माह के व्यय निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 104.83 लाख की कमी मितव्ययी उपायों के अपनाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 195.17 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 04—गृह विभाग से सम्बंधित अन्य व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद्			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	80,38,84		
पूरक	17,37,30	97,76,14	46,74,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)51,02,13 25,27,09
पूंजीगत	5,29,12	13,98	(-)5,15,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00

टीका एवं टिप्पणियां—

राजस्व :

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 1,737.30 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 5,102.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 2,527.09 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2070-108-7714—राज्य मुख्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	249.95	55.94	(-)194.01

₹ 194.01 लाख की कुल बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2070-108-7716—क्षेत्र कार्यालय, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं	2,916.70	1,129.14	(-)1,787.56
---	----------	----------	-------------

₹ 1,787.56 लाख की कुल बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2070-108-7717—प्रशिक्षण केन्द्र, आग नियंत्रण एवं आपातकालीन सेवाएं—	152.00	71.50	(-)80.50
---	--------	-------	----------

₹ 80.50 लाख की कुल बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 04—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(4) 2070—108—7718—आपातकालीन सेवाएं	1,023.48	561.21	(-)462.27
---------------------------------------	----------	--------	-----------

₹ 462.27 लाख की कुल बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2016—17 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(5) 2235—60—200—2653—पूर्वदृष्टि प्रयोजनों के लिए अनुदान, सहायक अनुदान—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)290.43	209.57	408.77
			+199.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 290.43 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(6) 2235—60—200—6704—जनजागरण अभियान—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2235—60—200—7495—अपराध पीड़ितों के लिए पीड़ित क्षतिपूर्ति—			
मूल	800.00		
पुनर्वि.	(-)392.67	407.33	354.29
			(-)53.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 392.67 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 2235—60—200—0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7934—केन्द्रीय पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना—			
मूल	1,000.00		
पूरक	1,737.30		
पुनर्वि.	(-)1,737.30	1,000.00	1,000.00
			0.00

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के समान रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 1,737.30 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,737.30 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत :

(iv) ₹ 515.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4070—800—7716—मैदानी कार्यालय, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं	507.00	0.00	(-)507.00

₹ 507.00 लाख की कुल बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 05—जेल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2056—जेल			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	1,96,48,40		
पुनर्वि. सांकेतिक	1,96,48,40	1,68,63,27	(-)27,85,13
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			27,94,16
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,01,10	83,39	(-)17,71
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			17,71
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 2,785.13 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 2,794.16 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2056—001—2272—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	481.15		
पुनर्वि. सांकेतिक	(-)105.79	375.36	375.54
			+0.18
(2) 2056—101—938—केन्द्रीय एवं जिला जेलें—			
मूल	18,307.25		
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. सांकेतिक	(-)2,337.48	15,969.77	15,978.63
			+8.86

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,337.48 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006—07 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 05-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2056-102-1524-जेल उत्पादन-			
मूल	750.00		
पुनर्वि.	(-350.53)	399.47	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 350.53 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 06—वित्त विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृति हितलाभ			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2435—अन्य कृषि कार्यक्रम			
4070—पूँजीगत पर अन्य प्रशासनिक सेवायें			
7810—अन्तर्राज्यीय निपटारा			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	77,31,52,95		
पूरक	3,50,01	77,35,02,96	77,76,80,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			+41,77,30 13,91,59,26
प्रभारित	1,93,41	68,11	(-),1,25,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			41
पूँजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	2,71,30		
पूरक	14,00	2,85,30	80,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-),2,04,36 1,94,21
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) दत्तमत अनुदान से हुए ₹ 41,77,30,146 के अधिक व्यय का नियमानुकूलन आवश्यक है।			
(ii) ₹ 7,77,680.26 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अगस्त 2022 (₹ 350.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया ₹ 350.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अपर्याप्त था। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि के आवश्यकता के अनुचित आकलन का द्योतक है।			
(iii) ₹ 4,177.30 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, 31 मार्च 2023 में किया गया ₹ 1,39,159.26 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।			
(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052-091-4295—संचालनालय वित्तीय			
प्रबंध सूचना—			
मूल	148.39		
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-),323.75	124.64	124.64
			0.00

अनुदान संख्या 06—जारी

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 323.75 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधियों की आवश्यकता नहीं होने एवं वाहनों, मशीनों तथा उपकरणों पर व्यय कम होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2052-091-4296—संचालनालय संस्थागत वित्त व्यवस्था— मूल 206.30 पुनर्वि. (-)78.84	127.46	127.29	(-)0.17

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 2052-095-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 832.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)580.66	251.84	240.84	(-)11.00
---	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 580.66 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2054-095-2274—निर्देशन और प्रशासन— मूल 2,531.70 पुनर्वि. (-)1,030.96	1,500.74	1,460.71	(-)40.03
---	----------	----------	----------

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 123.80 लाख एवं ₹ 907.16 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने से प्रावधान में ₹ 1,030.96 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 2054-095-4307—संभागीय स्थापना— मूल 1,097.25 पुनर्वि. (-)380.19	717.06	717.40	+0.34
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 380.19 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2008-09 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2054-095-8904—आडिट सेल— मूल 360.50 पुनर्वि. (-)89.71	270.79	270.73	(-)0.06
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.71 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2054-095-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना— मूल 355.00 पुनर्वि. (-)105.17	249.83	269.59	+19.76
--	--------	--------	--------

अनुदान संख्या 06—जारी

₹ 19.76 लाख के आधिक्य व्यय के परिपेक्ष्य में, समर्पण के दौरान निधि के आवश्यकता के अनुचित आकलन को दर्शाता है तथा यह कमजोर बजट प्रबंधन का द्योतक है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 123.80 लाख की वृद्धि ई-कोष तथा लोक प्रबंधन परियोजना के लिए निधि की अतिरिक्त आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 228.96 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 105.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018—19 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2054—097—1026—खजाना स्थापना—			
मूल	4,196.80		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)565.87	3,630.93	3,635.47
			+4.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 565.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2010—11 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(9) 2054—098—4361—स्थानीय निधि लेखा—			
मूल	2,099.00		
पुनर्वि.	(-)497.08	1,601.92	1,594.33
			(-)7.59

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 497.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2010—11 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(10) 2071—01—117—6801—राज्य शासन का अंशदान—			
मूल	1,50,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,35,926.78	14,073.22	14,483.22
			+410.00

₹ 410.00 लाख के आधिक्य व्यय के परिपेक्ष्य में, समर्पण के दौरान निधि के आवश्यकता के अनुचित आकलन को दर्शाता है तथा यह कमजोर बजट प्रबंधन का द्योतक है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 1,35,426.78 लाख की कमी से प्रावधान में ₹ 1,35,926.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2052—091—5338—राज्य वित्त आयोग—			
मूल	101.00		
पूरक.	सांकेतिक	101.00	190.00
			+89.00

₹ 89.00 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट के दौरान निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(2) 2071—01—101—2413—सेवानिवृत्त वेतन भोगियों को देय	3,60,317.70	4,39,965.68	+79,647.98
---	-------------	-------------	------------

₹ 79,647.98 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट के दौरान निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 06—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2071-01-102-3080—भारत में पेंशनों के रूपान्तरित मूल्य का भुगतान	4,150.00	6,886.81	+2,736.81
₹ 2,736.81 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट के दौरान निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।			
(4) 2071-01-104-4590—सेवा एवं मूल्य निवृत्ति पुरस्कार	67,000.00	99,798.16	+32,798.16
₹ 32,798.16 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट के दौरान निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(5) 2071-01-105-2514—परिवार पेंशन	1,30,000.00	1,56,566.41	+26,566.41
₹ 26,566.41 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट के दौरान निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।			
(6) 2071-01-115-5438—अवकाश नगदीकरण	43,590.00	44,616.92	+1,026.92
₹ 1,026.92 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, बजट के दौरान निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया था। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।			
(7) 2075-797-6635—छत्तीसगढ़ राज्य प्रत्याभूति मोचन निधि— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 500.00	500.00	500.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 500.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(8) 2235-60-200-7000—पेंशन कल्याण कोष की राशि की प्रतिपूर्ति— मूल 0.10 पुनर्वि. (-)0.10	0.00	152.31	+152.31
₹ 152.31 लाख के अधिक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता का उचित रूप से आकलन नहीं किया गया था एवं यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन का द्योतक है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.10 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

प्रभारित—

(vi) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुआ :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2071-01-106-600—उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को देय	193.00	68.11	(-)124.89

अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 06—समाप्त

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (सांकेतिक), दिसम्बर 2022 (₹ 14.00 लाख) तथा मार्च 2023 (सांकेतिक) में प्राप्त किया गया ₹ 14.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(viii) ₹ 204.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 194.21 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 07—वाणिज्यिक कर विभाग से सम्बन्धित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2030—स्टाम्प तथा पंजीकरण			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार आदि पर कर			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी			
6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	2,91,70,93		
पूरक	3,00,00	2,94,70,93	2,45,48,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)49,22,65 57,35,33
प्रभारित—			
मूल	70,06,35		
पूरक	7,00	70,13,35	70,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)13,35 13,35
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,32,10	98,13	(-)33,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			33,97

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 4,922.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 5,735.33 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030-01-001-6003—मुख्यालय की स्थापना—			
मूल	253.25		
पुनर्वि.	(-)86.64	166.61	159.48
			(-)7.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 86.64 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने तथा नवीन भवन होने से फर्नीचर क्रय नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 07—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2030-03-001-1480—जिला प्रभार—			
मूल	2,256.10		
पुनर्वि.	(-370.44)	1,885.66	1,867.96
			(-)17.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 370.44 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने तथा शासन द्वारा निधि की व्यय नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2039-001-122—अधीक्षण—			
मूल	3,960.81		
पुनर्वि.	(-)901.38	3,059.43	3,049.57
			(-)9.86
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 901.38 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2039-001-1470—जिला कार्यपालिक स्थापना—			
मूल	6,741.50		
पुनर्वि.	(-)1,430.53	5,310.97	5,313.93
			+2.96
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,425.03 लाख एवं ₹ 5.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,430.53 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2039-102-8629—नये सिनेमाघर/ मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों को प्रोत्साहन—			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)85.87	214.13	214.13
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.87 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2040-001-3569—मुख्यालय स्थापना व्यय—			
मूल	2,245.41		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)799.73	1,445.68	1,446.00
			+0.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 799.73 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा दौरा पर व्यय कम होने, शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, वकीलों से देयक प्राप्त नहीं होने एवं आवासीय भवनों के मरम्मत हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2040-001-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ लोक वित्त प्रबंधन परियोजना—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)400.17	599.83	599.83
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.17 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 07—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2040—101—1509—जिला स्थापना—			
मूल	8,223.16		
पुनर्वि.	(-)1,515.31	6,707.85	6,713.87
			+6.02

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,515.31 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं यात्रा दौरा पर व्यय कम होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2030—01—101—4612—स्टाम्पों की लागत—			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)82.43	67.57	260.40
			+192.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.43 लाख की कमी केन्द्रीय स्टॉप डिपोट से स्टॉप का पूर्ति लंबित होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात् ₹ 192.83 लाख का अधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014—15 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ है।

(2) 2030—01—102—4611—स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय—			
मूल	35.00		
पुनर्वि.	(-)18.20	16.80	238.23
			+221.43

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 18.20 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। समर्पण के पश्चात् ₹ 221.43 लाख का अधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2030—02—101—2456—गैर न्यायिक स्टॉप की लागत—			
मूल	500.00		
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-)6.41	793.59	1,163.49
			+369.90

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.41 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। समर्पण के पश्चात् ₹ 369.90 लाख का अधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 7.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 08—भू—राजस्व तथा जिला प्रशासन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2029—भू—राजस्व			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2216—आवास			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़क तथा पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
6401—फसल कृषि—कर्म के लिए कर्ज			

राजस्व:

दत्तमत—

मूल	12,69,01,55		
पूरक	1,37,92,03	14,06,93,58	10,51,51,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)3,55,42,10
			3,26,32,96

प्रभारित

वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)	15,26	00	(-)15,26
			15,26

पूंजीगत:

दत्तमत—	2,34,95,50	95,42,61	(-)1,39,52,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,37,38,07

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (सांकेतिक), दिसम्बर 2022 (₹ 12,915.01 लाख) तथा मार्च 2023 (₹ 877.01 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 13,792.03 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 35,542.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 32,632.96 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029—001—456—आयुक्त, भू—अभिलेख तथा बंदोबस्त का कार्यालय—			
मूल	678.60		
पुनर्वि.	(-)96.98	581.62	487.28
			(-)94.34

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 96.98 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2029-101-5017—पटेली मेहनताना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)97.70	202.30	167.34	(-)34.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.70 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण भी सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2029-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7787—ई—धरती— मूल 5,940.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)5,134.62	805.38	795.83	(-)9.56
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 800.00 लाख एवं ₹ 4,334.62 लाख की कमी शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, मांग अनुसार जिलों को निधि का स्थानांतरण किये जाने, तकनीकी संस्था द्वारा कार्य को अंतिम रूप नहीं दिये जाने एवं कार्य के प्रगति के अनुसार भुगतान किये जाने से प्रावधान में ₹ 5,134.62 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2029-103-1472—जिला प्रभार— मूल 35,281.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)959.24	34,322.26	33,596.68	(-)725.58
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 227.90 लाख एवं ₹ 731.34 लाख की कमी मांग अनुसार जिलों को निधि का स्थानांतरण किये जाने, प्रशिक्षण तथा परीक्षा में वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं प्रशिक्षुओं की संख्या में कमी होने से प्रावधान में ₹ 959.24 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 908—कृषि संगणना— मूल 274.40 पुनर्वि. (-)274.40	0.00	3.47	+3.47
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2029-103-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 9981—लघु सिंचाई योजनाओं की संगणना मानदेय तथा अन्य आकस्मिक व्यय— मूल 253.40 पुनर्वि. (-)253.40	0.00	81.13	+81.13
₹ 81.13 लाख के अधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है तथा यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2029-103-0510—अधोसंरचना विकास निधि— 6476—अधोसंरचना विकास उपकर निधि— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)586.50	213.50	188.86	(-)24.64

अनुदान संख्या 08—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 586.50 लाख की कमी शासन से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2029-103-0510—अधोसंरचना विकास निधि— 6477—पर्यावरण उपकर निधि— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)731.00	69.00	62.38	(-)6.62

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 731.00 लाख की कमी शासन से अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2029-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6601—भू-अर्जन हेतु जमा राशि पर अर्जित ब्याज तथा प्रशासनिक सेवा शुल्क की राशि का व्यय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2029-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 336.10 पुनर्वि. (-)324.55	11.55	11.54	(-)0.01
--	-------	-------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 324.55 लाख की कमी योजनान्तर्गत शासन से प्राप्त अनुमति अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2029-797-6753—पर्यावरण निधि को अंतरण— मूल 12,275.00 पुनर्वि. (-)12,275.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(12) 2029-797-6754—अधोसंरचना विकास निधि में अंतरण— मूल 12,275.00 पुनर्वि. (-)12,275.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(13) 2052-099-3657—राजस्व बोर्ड— मूल 650.15 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)215.91	434.25	434.34	+0.09
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, देयक प्राप्त नहीं होने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2053-093-1510—जिला स्थापना—			
मूल	33,436.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	688.18	34,124.19	32,340.61
			(-)1,783.58

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 800.00 लाख का वृद्धि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 111.82 लाख की कमी यात्रा देयक प्राप्त नहीं होने, जिलाधीशों द्वारा मांग के अनुसार प्रशिक्षण की राशि का आवंटन प्राप्त होने एवं जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने से प्रावधान में ₹ 688.18 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(15) 2053-101-452—आयुक्त संभागीय कार्यालय—			
मूल	1,236.70		
पुनर्वि.	(-)23.70	1,213.00	1,058.33
			(-)154.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23.70 लाख की कमी योजनान्तर्गत शासन से प्राप्त अनुमति अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2029-102-2193—नजूल स्थापना—			
मूल	610.00		
पुनर्वि.	118.20	728.20	702.02
			(-)26.18

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1.80 लाख की कमी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से प्रावधान में ₹ 118.20 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2029-102-2503—परिमाणन, व्यवस्थापना तथा लेख संग्रह संबंधी कार्य—			
मूल	603.70		
पुनर्वि.	84.80	688.50	667.16
			(-)21.34

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 85.60 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.80 लाख की कमी वृद्धि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होने से प्रावधान में ₹ 84.80 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053-093-1510—जिला स्थापना—			
मूल	15.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)15.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण विनियोग जिलाधीशों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 08—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(vi) ₹ 13,952.89 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 13,738.07 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-80-051-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 6476-अधोसंरचना विकास उपकर निधि-			
मूल	7,475.00		
पुनर्वि.	(-)2,242.44	5,232.56	5,020.49
			(-)212.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,242.44 लाख की कमी शासन द्वारा स्वीकृति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4059-80-051-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 6477-पर्यावरण उपकर निधि-			
मूल	7,475.00.		
पुनर्वि.	(-)3,980.13	3,494.87	3,493.52
			(-)1.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,980.13 लाख की कमी शासन द्वारा स्वीकृति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 4059-80-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6601-भू-अर्जन हेतु जमा राशि पर अर्जित ब्याज तथा प्रशासनिक सेवा शुल्क की राशि का व्यय-			
पूरक	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(4) 5054-05-337-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 6476-अधोसंरचना विकास उपकर निधि-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,049.00	951.00	951.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,049.00 लाख की कमी राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के अनुसार निधि का आवंटन किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 5054-05-337-0510-अधोसंरचना विकास निधि- 6477-पर्यावरण उपकर निधि-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)4,000.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 09—राजस्व विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
4058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	21,43,45	6,07,98	(-)15,35,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			15,35,54
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			10
पूंजीगत:			
दत्तमत	50,00	46,81	(-)3,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			3,19
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 1,535.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 1,535.54 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2058—001—2286—नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यालय—			
मूल	143.80		
पुनर्वि.	(-)85.78	58.02	(-)0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.78 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारियों से चिकित्सा दावा प्राप्त नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2058—102—2820—फार्म का मुद्रण, भण्डारण और वितरण—			
मूल	1,235.55		
पुनर्वि.	(-)1,029.19	206.36	+0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,029.19 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, कर्मचारियों से चिकित्सा दावा प्राप्त नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2021—22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 09—समाप्त		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(3) 2058—102—5659—शासकीय प्रेस, रायपुर—				
मूल	505.30			
पुनर्वि.	(-389.16	116.14	116.46	+0.32

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 389.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, महंगाई भत्ते एवं मकान किराए में वृद्धि नहीं होने, फर्नीचर एवं उपकरण की आवश्यकता नहीं होने, कर्मचारियों से चिकित्सा दावा प्राप्त नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2013—14 से 2021—22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 10-वन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी			
4406-वानिकी तथा वन्य प्राणियों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत-			
मूल	17,98,34,63		
पूरक	5,16,96,00	23,15,30,63	20,58,30,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)2,57,00,54 2,58,79,69
प्रभारित-			
मूल	4,56,40		
पूरक	6,77	4,63,17	1,34,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)3,28,22 12,48
पूंजीगत :			
दत्तमत	16,56,66	9,58,17	(-)6,98,49
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			6,98,49
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत-

(i) ₹ 25,700.54 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 25,879.69 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-001-3555-मुख्यालय-			
मूल	3,189.18		
पुनर्वि.	(-)254.37	2,934.81	2,947.60
			+12.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 254.37 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2406-01-101-2786-प्रादेशिक संभाग
(क्षेत्रीय वृत्त)-

मूल	1,511.10		
पुनर्वि.	(-)161.48	1,349.62	1,400.23
			+50.61

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.48 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 50.61 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2406-01-101-3836—उत्पादन वन मण्डल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बांस— मूल 2,870.30 पुनर्वि. (-)569.50	2,300.80	2,339.12	+38.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 569.50 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2406-01-101-3877—क्षेत्रीय वनमण्डल— मूल 43,056.82 पुनर्वि. (-)2,805.26	40,251.56	40,381.82	+130.26
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 600.00 लाख की वृद्धि मजदुरी भत्ता का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,405.26 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 2,805.26 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 130.61 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2406-01-101-812—कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वन वृत्तों की स्थापना— मूल 1,081.50 पुनर्वि. (-)102.68	978.82	981.10	+2.28
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 14.00 लाख की वृद्धि मजदुरी भत्ता का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 116.68 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 102.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2406-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2965—बिगड़े वनों का सुधार बांस वनों सहित— मूल 5,351.00 पुनर्वि. (-)2,094.39	3,256.61	3,256.61	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 94.39 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 2,094.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2406-01-102-3531—प्राकृतिक पुनरोत्पादन का (बांस वनों सहित) संरक्षण— मूल 23,036.00 पुनर्वि. (-)9,637.39	13,398.61	13,405.34	+6.73
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 685.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 8,952.39 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं प्राकृतिक पुनर्जनन कार्य पूर्ण नही होने के कारण प्रावधान में ₹ 9,637.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2406-01-102-4475—सामाजिक वानिकी—			
मूल	1,368.00		
पुनर्वि.	(-)285.26	1,082.74	1,082.74
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 285.26 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2406-01-102-0430—वन विकास निधि— 6699—वन विकास उपकर निधि से व्यय—			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)320.00	80.00	80.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 320.00 लाख की कमी राज्य सरकार से स्वीकृति 31 मार्च 2023 को प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1902—तेजी से बढ़ने वाले वृक्षारोपण बांस रोपण सहित—			
मूल	445.00		
पुनर्वि.	(-)290.82	154.18	154.19
			+0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा क्रमशः ₹ 125.50 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 165.32 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 290.82 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(11) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2533—हरियाली प्रसार योजना—			
मूल	195.60		
पूरक	70.00		
पुनर्वि.	(-)179.81	85.79	89.55
			+3.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 179.81 लाख की कमी शासन से स्वीकृति वर्ष के अंत में प्राप्त होने, अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6724—बांस वनों का पुनरुद्धार—			
मूल	2,412.00		
पुनर्वि.	(-)772.41	1,639.59	1,637.49
			(-)2.10
पुनर्विनियोजन द्वारा क्रमशः ₹ 576.45 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 195.96 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा समय से व्यय नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 772.41 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6828—पथ वृक्षारोपण—			
मूल	511.14		
पुनर्वि.	(-)137.71	373.43	373.43
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.71 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2406-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7930—मुख्यमंत्री बांस विकास योजना— मूल 144.06 पुनर्वि. (-)109.60	34.46	34.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 109.60 लाख की कमी पुनर्विनियोजन हेतु स्वीकृति विलम्ब से प्राप्त होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2406-01-203-535—इमारती लकड़ी— मूल 12,390.00 पुनर्वि. (-)3,715.57	8,674.43	8,571.28	(-)103.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,715.57 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(16) 2406-01-203-5641—वन प्रबंधन समितियाँ— मूल 3,594.20 पुनर्वि. (-)3,594.20	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन से निधि के व्यय के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 2406-01-204-2901—बांस— मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)773.35	826.65	819.18	(-)7.47
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 773.35 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(18) 2406-01-204-5641—वन प्रबंधन समितियाँ— मूल 805.80 पुनर्वि. (-)805.80	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन से निधि के व्यय के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(19) 2406-02-110-2900—अभ्यारण क्षेत्र— मूल 3,763.71 पुनर्वि. (-)235.15	3,528.56	3,556.57	+28.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 235.15 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2406-02-110-3896—वन्य प्राणियों द्वारा जनहानि करने पर क्षतिपूर्ति— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)175.99	2,324.01	2,324.02	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.99 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 10—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2406-02-110-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेन्ट— मूल 94.66 पुनर्वि. (-)70.87	23.79	12.72	(-)11.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.87 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(22) 2406-02-110-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 242.52 पुनर्वि. (-)215.57	26.95	26.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.57 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(23) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5502—प्रोजेक्ट एलीफेन्ट— मूल 141.99 पुनर्वि. (-)106.30	35.69	46.75	+11.06
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.30 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(24) 2406-02-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6539—राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास— मूल 363.78 पुनर्वि. (-)322.45	41.33	41.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(25) 2406-02-111-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6450—चिड़ियाघरों का विकास व उन्नयन— मूल 2,386.92 पुनर्वि. (-)125.82	2,261.10	2,291.62	+30.52
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.82 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 30.52 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपर्याप्त आकलन का द्योतक है।			
(26) 2406-04-101-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7857—पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना— मूल 308.00 पुनर्वि. (-)308.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 10—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2406-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 792-कर्मचारी कल्याण योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	91.47	191.47	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 125.50 लाख की वृद्धि अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2023 में हुए व्यय की पूर्ति होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 34.03 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 91.47 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(2) 2406-01-070-6218-भवनों की मरम्मत-			
मूल	1,167.40		
पुनर्वि.	61.29	1,228.69	(-)7.96
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 71.00 लाख की वृद्धि वन वृत्त द्वारा मांग अनुसार भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 9.71 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 61.29 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(3) 2406-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2536-पर्यावरण वानिकी-			
मूल	401.80		
पुनर्वि.	1,919.02	2,320.82	(-)0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि कृष्णा कुंज योजना की स्थापना किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 80.98 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,919.02 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			
(4) 2406-04-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	140.00		
पुनर्वि.	230.58	370.58	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 230.58 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			
(5) 2406-04-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7856-ग्रीन इंडिया मिशन-			
मूल	70.00		
पुनर्वि.	100.00	170.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 100.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(6) 2406-04-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	345.87	555.87	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 345.87 लाख का आवर्धन भारत सरकार से अतिरिक्त अनुदान प्राप्त होने के कारण उल्लिखित किया गया है।			

अनुदान संख्या 10—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2406-04-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7856—ग्रीन इंडिया मिशन— मूल 105.00 पुनर्वि. 208.00	313.00	313.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 208.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 328.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 12.48 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह बजट पर कमजोर प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

2406-01-797-3885—वन विकास निधि में

अन्तरण (भारत)	400.00	80.00	(-)320.00
---------------	--------	-------	-----------

₹ 320.00 लाख के कुल बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4406-01-070-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4342—सड़के तथा मकान निर्माण कार्य— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)100.44	99.56	99.56	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.44 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4406-02-111-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6540—चिड़ियाघरों का विकास एवं उन्नयन— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)325.15	774.85	774.85	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 325.15 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—वाणिज्य एवं उद्योग विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,54,65,25		
पूरक	13,00,00	2,67,65,25	1,86,07,58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)81,57,67 81,36,95
<i>प्रभारित</i>	<i>7,85</i>	<i>00</i>	<i>(-)7,85</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>7,75</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	91,29,10		
पूरक	25,00,00	1,16,29,10	46,98,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)69,30,45 69,30,45
<i>प्रभारित</i>	<i>5,00</i>	<i>00</i>	<i>(-)5,00</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>5,00</i>
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹ 1,300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 8,157.67 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 8,136.95 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7825-स्टार्टअप छत्तीसगढ़-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)99.58	100.42	100.42
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2851—200—1464—जिला उद्योग केन्द्र— मूल 2,803.20 पुनर्वि. (-)458.41	2,344.79	2,343.83	(-)0.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 458.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2852—80—001—3370—संचालनालय उद्योग— मूल 1,665.25 पुनर्वि. (-)554.58	1,110.67	1,111.23	(-)0.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 554.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2852—80—102—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6455—प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना— मूल 1,893.60 पुनर्वि. (-)1,893.60	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 2852—80—102—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6455—प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग योजना— मूल 2,840.40 पुनर्वि. (-)2,840.40	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(6) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)661.42	1,338.58	1,338.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 661.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015—16 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8890—खाद्य प्रसंस्करण सहायता अनुदान— मूल 1,400.00 पुनर्वि. (-)307.14	1,092.86	1,092.86	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 307.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(8) 2852—80—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9283—प्रतियोगितायें, संगोष्ठियां, प्रदर्शनी तथा प्रचार— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,025.39	974.61	975.28	+0.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,025.39 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 11—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2852—200—255—अन्य व्यवसायिक उपक्रमों के विनियमों—भारतीय साझेदारी विधान का प्रशासन—			
मूल	286.60		
पुनर्वि.	(-)79.49	207.11	+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 79.49 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित—

(iv) ₹ 7.85 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पण किया गया।

पूंजीगत :

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 2,500.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ तथा यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—			
5385—नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना—			
मूल	1,000.00		
पूरक	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,200.00	1,300.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,200.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6377—फूड पार्क की स्थापना—

मूल 5,000.00

पुनर्वि. (-)2,625.00

2,375.00

2,375.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,625.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4851—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6381—जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क की स्थापना—

मूल 100.00

पुनर्वि. (-)100.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 11—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6621-सी-मार्ट-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)105.00	195.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6742-औद्योगिक पार्कों के लिए अनुदान-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)231.81	268.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.81 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7480-जिला उद्योग कार्यालय भवन की स्थापना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7909-26 औद्योगिक केन्द्रों का जीर्णोद्धार-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)152.31	47.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.31 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8983-औद्योगिक क्षेत्र अधोसंरचनात्मक उन्नयन कार्य-			
मूल	1,014.00		
पूरक	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,501.23	512.77	0.00
₹ 512.77 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, अनुपूरक बजट में प्राप्त किया गया ₹ 1,000.00 लाख का प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,501.23 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 4851-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9219-भू-अर्जन तथा भूमि विकास क्षतिपूर्ति का भुगतान-			
मूल	910.00		
पुनर्वि.	(-)910.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 12—ऊर्जा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क			
2049—ब्याज भुगतान			
2801—बिजली			
2810—नवीन तथा नवीनीकरण योग्य ऊर्जा			
4801—बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4810—ऊर्जा के गैर पारम्परिक स्रोतों पर पूंजी परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत—

मूल	22,42,47,15			
पूरक	7,81,08,00	30,23,55,15	30,20,97,97	(-)2,57,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				2,52,62
<i>प्रभारित</i>		2,70,00,00	2,70,00,00	00
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i>				00

पूंजीगत :

दत्तमत—

मूल	3,91,70,23			
पूरक	53,48,68	4,45,18,91	4,43,60,68	(-)1,58,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				1,58,23

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 257.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 252.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2045-103-4281-संग्रह प्रभार— बिजली शुल्क—			
मूल	1,193.64		
पुनर्वि.	(-)206.36	987.28	982.72
			(-)4.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.36 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2810-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)—

6375-दिव्यांगजन हेतु सौर चलित

ट्राईसायकल योजना—

मूल	150.00			
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 12—जारी

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7695-विद्यमान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन व संधारण-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	150.00	2,150.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 150.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

पूंजीगत:

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4801-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7498-पूंजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(2) 4810-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)- 6415-पी.एम. कुसुम योजना-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,000.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(3) 4810-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6416-सोलर पंप के माध्यम से नदी/ एनिकटों के जल से तालाबों को भरने की योजना-			
मूल	750.00		
पुनर्वि.	(-)450.00	300.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 450.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(v) उपरोक्त टिप्पणी (iv) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रति संतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4801-06-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8965-मुख्यमंत्री मजारा टोला विद्युतीकरण-			
मूल	630.00		
पुनर्वि.	2,500.00	3,130.00	0.00

अनुदान संख्या 12—समाप्त

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,500.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4810—101—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 7693—सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान— मूल 19,607.00 पूरक 4,944.00 पुनर्वि. 4,887.00	29,438.00	29,438.00	0.00

प्रावधान में दिसम्बर 2022 में अनुपूरक बजट द्वारा ₹ 4,944.00 लाख एवं पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,887.00 लाख का आवर्धन नाबार्ड से प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4810—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6634—इन्दिरा गांव गंगा योजना— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 450.00	450.00	450.00	0.00
---	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 450.00 लाख का आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(v) विद्युत/ऊर्जा विकास निधि :-

ऊर्जा विकास निधि का गठन ऊर्जा विकास उपकर से किया गया जो उपभोक्ताओं को स्वयं या उनके कर्मचारियों द्वारा उपभोगित करने के लिए विक्रय या आपूर्ति की गई कुल विद्युत ऊर्जा यूनिट पर पाँच पैसा प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया गया जिसका उपयोग ऊर्जा (सभी पारम्परिक एवं गैर पारम्परिक ऊर्जा के प्रकार), रिसर्च एवं विकास योजनाओं में विद्युत उत्पादन, क्षमता, पारेषण वितरण में वृद्धि सहित ऊर्जा स्रोत का सर्वे एवं ऊर्जा कन्जर्वेशन कार्यक्रम आदि में किया जाता है। यह उपकर 'राजस्व शीर्ष 0043—विद्युत पर कर एवं शुल्क—800—अन्य प्राप्तियों' में जमा किया जाता है तथा उपकर से राज्य सरकार द्वारा पिछले वर्ष की समस्त आगम के समतुल्य राशि राज्य की संचित निधि में इस मांग संख्या के "मुख्य शीर्ष 2045—वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क—797—संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क—3218—छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि का अन्तरण" को प्रभारित कर ऊर्जा विकास निधि में जमा किया जाता है।

इस निधि में 01 अप्रैल 2022 को प्रारम्भिक शेष ₹ 5,787.52 लाख जमा था। वर्ष के दौरान ₹ 27,000.00 लाख की राशि निधि में इस अनुदान के अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष—2045—797 संचय निधि से/में स्थानांतरण—3218 छत्तीसगढ़ उपकर अधिनियम 1982 के अन्तर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण" को नामे कर जमा की गई तथा निधि से वर्ष के दौरान ₹ 21,658.50 लाख का व्यय किया गया। 31 मार्च 2023 को ₹ 11,129.02 लाख की शेष राशि निधि में जमा थी।

इस निधि के लेन—देन" मुख्य शीर्ष—8229—विकास एवं कल्याण निधि—110—ऊर्जा विकास निधि" में सम्मिलित है जिसका विस्तृत लेखा वित्त लेखे 2022—23 के विवरण क्रमांक—21 में दिया गया है।

अनुदान संख्या 13—कृषि

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2402—मृदा तथा जल संरक्षण			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
4401—फसल कृषि—कर्म पर पूंजीगत परिव्यय			
5425—अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	52,72,70,62		
पूरक	5,50,23,01	58,22,93,63	53,80,94,11
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)4,41,99,52 4,42,06,97
<i>प्रभारित</i>	<i>17,50</i>	<i>7,64</i>	<i>(-)9,86</i> <i>9,86</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			
पूंजीगत :			
दत्तमत	33,88,70	27,69,93	(-)6,18,77 6,18,77
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 44,199.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया राशि ₹ 44,206.97 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-001-119—अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द—(जिला एवं अधीनस्थ स्तर का अमला)—			
मूल	36,513.30		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)6,959.29	29,554.01	29,560.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,959.29 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			+6.68
(2) 2401-001-124—अधीक्षण (संभागीय स्तर का अमला)—			
मूल	815.00		
पुनर्वि.	(-)151.54	663.46	663.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.54 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			+0.49

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-001-4288—संचालनालय (मुख्यालय अमला)— मूल 1,307.50 पुनर्वि. (-)151.74	1,155.76	1,154.61	(-)1.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.74 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2401-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)512.65	1,487.35	1,487.35	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 512.65 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2401-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एण्ड ऑईलपॉम— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)229.61	70.39	70.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 229.61 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7255—राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)768.98	2,231.02	2,231.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 768.98 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2401-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीड्स एण्ड ऑईलपॉम— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)344.42	105.58	105.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 344.42 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा विमुक्त की गई राशि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2401-103-898—कृषि प्रदर्शन एवं बीज फार्म— मूल 877.75 पुनर्वि. (-)275.99	601.76	601.50	(-)0.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 275.99 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2401-103-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7264—एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 520.00 पुनर्वि. (-)250.88	269.12	269.12	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.88 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2401-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7264—एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 780.00 पुनर्वि. (-)376.32	403.68	403.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 376.32 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2401-105-1060—खाद गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 251.96 पुनर्वि. (-)75.68	176.28	176.47	+0.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.68 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2401-105-7283—छत्तीसगढ़ राज्य विपणन संघ को उर्वरक व्यवसाय हेतु सहायता— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)297.02	202.98	202.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 297.02 लाख की कमी शासन से निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2401-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6448—गोधन न्याय योजना— मूल 8,760.00 पुनर्वि. (-)3,598.77	5,161.23	5,161.23	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,598.77 लाख की कमी गोबर उत्पाद के क्रय हेतु जिलों से प्राप्त मांग के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति— मूल 385.60 पुनर्वि. (-)385.60	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना के क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 2,600.00 पुनर्वि. (-)1,919.34	680.66	680.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,919.34 लाख की कमी राज्य शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(16) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7266—एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम— मूल 362.04 पुनर्वि. (-)192.24	169.80	169.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 192.24 लाख की कमी के कारण सुचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)।			
(17) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 404.00 पुनर्वि. (-)404.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(18) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,348.00 पुनर्वि. (-)704.00	644.00	644.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 704.00 लाख की कमी निधि के जारी किये जाने के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(19) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 448.00 पुनर्वि. (-)448.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(20) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 2,266.00 पुनर्वि. (-)2,266.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7833—रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाईल (आर.पी.एस.)—			
मूल	80.00		
पुनर्वि.	(-)80.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना के एकीकरण मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना में किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(22) 2401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)—			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना के संचालन बंद किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(23) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति—			
मूल	578.40		
पुनर्वि.	(-)578.40	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना के क्रियान्वयन नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(24) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)—			
मूल	3,900.00		
पुनर्वि.	(-)2,879.02	1,020.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,879.02 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(25) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7266—एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम—			
मूल	543.06		
पुनर्वि.	(-)288.36	254.70	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 288.36 लाख की कमी निधि के विमुक्ति अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(26) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना—			
मूल	606.00		
पुनर्वि.	(-)606.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना—			
मूल	2,022.00		
पुनर्वि.	(-)1,056.00	966.00	0.00

अनुदान संख्या 13—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,056.00 लाख की कमी निधि के विमुक्ति अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 672.00 पुनर्वि. (-)672.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(29) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 3,399.00 पुनर्वि. (-)3,399.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(30) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7833—रिक्लेमेशन आफ प्राब्लम स्वाईल— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान योजना का एकीकरण मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना में होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(31) 2401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान योजना के संचालन बंद किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(32) 2401-108-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5549—गन्ना कृषकों को बोनस— मूल 7,200.00 पुनर्वि. (-)2,600.04	4,599.96	4,599.96	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,592.00 लाख एवं ₹ 1,008.04 लाख की कमी शासन से वित्तीय अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान से ₹ 2,600.04 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(33) 2401-109-867—कृषक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना— मूल 329.05 पुनर्वि. (-)100.51	228.54	228.67	+0.13
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.51 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(34) 2401-109-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 940.00 पुनर्वि. (-)121.39	818.61	818.61	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख की वृद्धि अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 221.39 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण प्रावधान से ₹ 121.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(35) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 1,410.00 पुनर्वि. (-)667.11	742.89	742.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 667.11 लाख की कमी भारत सरकार से कम राशि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2401-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7829—नेशनल ई—गवर्नेंस प्लान एग्रीकल्चर— मूल 108.00 पुनर्वि. (-)108.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2401-113-7017—कृषि यंत्रों का कार्यालय— मूल 981.15 पुनर्वि. (-)180.63	800.52	801.18	(-)0.65
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.63 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(38) 2401-119-9188—उद्यान विकास योजना— मूल 7,017.20 पुनर्वि. (-)593.12	6,424.08	6,423.09	(-)0.99
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 40.00 लाख ₹ 553.12 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान से ₹ 593.12 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 672.00 पुनर्वि. (-)529.80	142.20	142.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 529.80 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुसार निधि का आहरण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(40) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम— मूल 224.00 पुनर्वि. (-)104.20	119.80	119.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.20 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुसार निधि का आहरण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(41) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 896.00 पुनर्वि. (-)252.00	644.00	644.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 252.00 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के अनुसार निधि का आहरण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(42) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7705—एकीकृत बागवानी विकाश मिशन— मूल 4,592.00 पुनर्वि. (-)2,314.66	2,277.34	2,277.34	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,314.66 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार निधि का आहरण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(43) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7874—नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री (एन.एम.एस.ए.)— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना का संचालन वर्ष 2022-23 से बंद किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(44) 2401-119-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7947—एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन— मूल 268.80 पुनर्वि. (-)268.80	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(45) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 1,008.00 पुनर्वि. (-)794.69	213.31	213.31	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 794.69 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम राशि जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(46) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7258—नेशनल मिशन ऑन आईलसीडस एण्ड आईलपॉम— मूल 336.00 पुनर्वि. (-)309.93	26.07	26.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 309.93 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम राशि जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(47) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 1,344.00 पुनर्वि. (-)378.00	966.00	966.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 378.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम राशि जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 6,888.00 पुनर्वि. (-)3,472.00	3,416.00	3,416.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,472.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा कम राशि जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(49) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7874—नेशनल मिशन ऑन एग्रोफारेस्ट्री (एन.एम.एस.ए.)— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)180.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा योजना का संचालन वर्ष 2022-23 से बंद किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(50) 2401-119-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7947—एन.एम.एस.ए. अंतर्गत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन— मूल 403.20 पुनर्वि. (-)403.20	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(51) 2401-800-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6353—चिराग योजना— मूल 10,000.00 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)10,000.01	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सुचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(52) 2402-101-8351-विस्तृत मृदा सर्वेक्षण— मूल 1,300.20 पुनर्वि. (-)98.17	1,202.03	1,201.35	(-)0.67
(53) 2402-102-3143-भूमि संरक्षण कटावरोधक बंधन की योजना— मूल 3,884.00 पुनर्वि. (-)763.10	3,120.90	3,116.11	(-)4.80

उपरोक्त क्रम संख्या (52) एवं (53) के शीर्षान्तर्गत क्रमशः ₹ 98.17 लाख एवं ₹ 763.10 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(54) 2402-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 2,120.00 पुनर्वि. (-)703.33	1,416.67	1,416.67	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 703.33 लाख की कमी जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(55) 2402-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7350-एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— मूल 2,880.00 पुनर्वि. (-)755.00	2,125.00	2,125.00	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 755.00 लाख की कमी जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2401-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 36,600.00 पुनर्वि. 13,482.27	50,082.27	50,082.27	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 13,482.27 लाख का आवर्धन फसल बीमा के अंतर्गत किसानों की संख्या में वृद्धि होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2401-113-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 8961-कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,828.00 पुनर्वि. 1,414.50	3,242.50	3,242.50	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,414.50 लाख का आवर्धन शासन द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किय जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 13—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 2,742.00 पुनर्वि. 2,121.76	4,863.76	4,863.73	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,121.76 लाख का आवर्धन शासन द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2402-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7350—एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 131.63	131.63	131.63	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 131.63 लाख का आवर्धन शासन द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4401-108-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 68.00 पुनर्वि. (-)68.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 4401-108-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 102.00 पुनर्वि. (-)102.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(3) 4401-113-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 13—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4401-113-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)180.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4401-113-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 14—पशुपालन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2403—पशुपालन			
4403—पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,64,02,07		
पूरक	10,00	4,64,12,07	3,59,64,86
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,04,47,21 1,06,88,54
<i>प्रभारित</i>	<i>20,00</i>	<i>2,07</i>	<i>(-)17,93</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>17,93</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	4,86,00	92,99	(-)3,93,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			3,93,01
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 10,447.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 10,688.54 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2403-001-1468—जिला एवं संभागीय स्तर—			
मूल	4,027.80		
पुनर्वि.	(-)559.98	3,467.82	3,463.43
(2) 2403-001-4297—संचालनालय स्तर—			
मूल	603.50		
पुनर्वि.	(-)101.00	502.50	503.07

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 559.98 लाख एवं ₹ 101.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2403-101-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 5620—पशुरोग नियंत्रण—			
मूल	442.00		
पुनर्वि.	(-)362.80	79.20	79.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 362.80 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 14—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2403-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5620—पशुरोग नियंत्रण— मूल 663.00 पुनर्वि. (-)544.22	118.78	118.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 544.22 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2403-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2549—पशु औषधालय एवं चिकित्सालय— मूल 23,405.70 पुनर्वि. (-)2,774.23	20,631.47	20,627.94	(-)3.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,774.23 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2403-102-1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 5,667.60 पुनर्वि. (-)1,091.40	4,576.20	4,575.78	(-)0.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,091.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2403-102-2567—पशु प्रजनन प्रक्षेत्र— मूल 917.04 पुनर्वि. (-)176.15	740.89	740.77	(-)0.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.15 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2403-102-5535—छत्तीसगढ़ गौ-सेवा एवं ग्रामीण विकास आयोग को अनुदान— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)460.00	40.00	40.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 460.00 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2403-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
(10) 2403-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7621—नेशनल लाइवस्टॉक मिशन— मूल 750.00 पुनर्वि. (-)750.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 14—जारी

उपरोक्त क्रम संख्या (9) एवं (10) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (10) के शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2403-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8703-दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना-			
मूल	1,482.70		
पुनर्वि.	(-)592.24	890.46	(-)1.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 592.24 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 2403-103-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 3578-मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर-			
मूल	1,921.05		
पुनर्वि.	(-)509.75	1,411.30	1,411.85
			+0.55

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख की वृद्धि मुर्गी पालन क्षेत्र में शेड के मरम्मत कार्य हेतु एवं समर्पण द्वारा ₹ 519.75 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण प्रावधान से ₹ 509.75 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(13) 2403-108-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	812.89		
पुनर्वि.	(-)677.76	135.13	135.13
			0.00

(14) 2403-108-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	1,219.33		
पुनर्वि.	(-)1,016.62	202.71	202.71
			0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (13) एवं (14) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 677.76 लाख एवं ₹ 1,016.62 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 2403-113-3784-रोग अनुसंधान-			
मूल	1,018.95		
पुनर्वि.	(-)130.65	888.30	887.67
			(-)0.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.65 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
2403-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 3578-मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर			
	18.22	260.75	+242.53

अनुदान संख्या 14—समाप्त

₹ 242.53 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4403—102—0311—नाबार्ड पोषित योजनायें (सामान्य)— 1108—गहन पशु विकास परियोजना— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(2) 4403—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8703—दुग्ध उत्पादन एवं अधोसंरचना— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

(3) 4403—103—3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

उपरोक्त क्रम संख्या (2) एवं (3) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव की प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(4) 4403—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3578—मुर्गी पालन विकास की योजना कुक्कुट पालन प्रक्षेत्रों पर— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 15—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2853—लौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व	1,49,86,42	89,53,70	(-)60,32,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			60,32,72
पूंजीगत	1,14,00,00	77,62,71	(-)36,37,29
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			36,37,29
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405—789—101—0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6449—प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना— मूल 296.00 पुनर्वि. (-)231.11	64.89	64.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.11 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)।			
(2) 2405—789—101—0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)।			
(3) 2405—789—101—0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6449—प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना— मूल 444.00 पुनर्वि. (-)159.33	284.67	284.67	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.33 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 15—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2405-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 2515-789-198-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 144.00 पुनर्वि. (-)144.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 2515-789-198-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियान— मूल 216.00 पुनर्वि. (-)216.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2853-02-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 7,527.80 पुनर्वि. (-)4,871.24	2,656.56	2,656.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,871.24 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पंचायतों तथा ग्रामीण विकास विभाग को स्थानांतरित निधि का आहरण नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			

पूँजीगत:

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
4515-789-198-1103—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6625—रूरल इन्डस्ट्रियल पार्क— मूल 7,200.00 पुनर्वि. (-)3,636.72	3,563.28	3,563.28	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,636.72 लाख की कमी शासन से स्वीकृति की दुसरी किश्त प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 16—मछली पालन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2405—मछली पालन			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	82,79,56	51,99,73	(-)30,79,83
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			30,89,01
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	1,03,00	74,44	(-)28,56
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			28,56
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 3,079.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 3,089.01 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2405-001-2280-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	415.47		
पुनर्वि.	(-)55.79	359.68	359.75
			+0.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 55.79 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं दौरे पर कम खर्च किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2405-101-162-अंतर्देशीय मत्स्य पालन के लिए जिला स्तर कर्मचारी—			
मूल	3,661.20		
पुनर्वि.	(-)605.14	3,056.06	3,065.01
			+8.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 605.14 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से व्यय का प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2405-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6449-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना—			
मूल	1,198.10		
पुनर्वि.	(-)788.42	409.68	409.68
			0.00

अनुदान संख्या 16-समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 788.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2405-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	160.00		
पुनर्वि.	(-)160.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)।

(5) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6449-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-			
मूल	1,721.15		
पुनर्वि.	(-)1,106.63	614.52	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,106.63 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(6) 2405-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना-			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)240.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(7) 2405-120-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 3287-मछुआ सहकारिता एवं मत्स्य विक्रय-			
मूल	61.05		
पुनर्वि.	(-)61.05	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4405-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 162-अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग के लिए जिला स्तर पर अमला			
मूल	28.00		
पुनर्वि.	(-)28.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान जेम पोर्टल में वाहनों की खरीदी हेतु देयक प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 17—सहकारिता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2425—सहकारिता			
4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय			
6425—सहकारिता के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	2,31,37,40		
पूरक	सांकेतिक	2,31,37,40	1,78,84,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)52,52,65 52,53,47
<i>प्रभारित</i>	15	00	(-)15
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			15

पूंजीगत:

मूल	26,21,51		
पूरक	79,90,00	1,06,11,51	90,68,70
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)15,42,81 15,42,81

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 5,252.65 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 5,253.47 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425—001—123—अधीक्षण—			
मूल	4,600.02		
पुनर्वि.	(-)667.02	3,933.00	3,932.79
			(-)0.21

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.85 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 653.17 लाख की कमी व्यय नहीं किये जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 667.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2013—14 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(2) 2425—001—2282—निर्देशन—

मूल	768.16		
पुनर्वि.	(-)123.61	644.55	645.30
			+0.75

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 13.85 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 137.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 123.61 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 17—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2425-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5628—कृषक ऋण ब्याज दर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 13,766.50 पुनर्वि. (-)4,619.00	9,147.50	9,147.50	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 567.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,052.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 4,619.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(4) 2425-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6478—सहकारी संस्थाओं को अनुदान— मूल 363.00 पुनर्वि. (-)363.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(5) 2425-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7889—प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण केन्द्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2425-107-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश 6639—डिजिटलाईजेशन ऑफ प्राईमरी एग्रीकल्चर को—ऑपरेटिव सोसाइटीज— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 426.67	426.67	426.67	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 427.00 लाख की वृद्धि प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.33 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 426.67 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 2425-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6639—डिजिटलाईजेशन ऑफ प्राईमरी एग्रीकल्चर को—ऑपरेटिव सोसाइटीज— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 640.00	640.00	640.00	0.00
---	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 640.00 लाख का आवर्धन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 17—समाप्त

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.15 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2021—22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 4425—108—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7678—सहकारी संस्थाओं के लिये अंशपूँजी— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(2) 4425—200—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 8545—नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 783.00 पूरक 7,990.00 पुनर्वि. (-)1,030.00	7,743.00	7,743.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,030.00 लाख की कमी वित्त विभाग से प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—श्रम

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत	1,55,64,17	1,25,45,70	(-)30,18,47
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			30,17,87
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			10
पूंजीगत :			
दत्तमत	40,00	15	(-)39,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			39,85

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 3,018.47 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 3,017.87 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2210—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3676—राज्य बीमा अस्पताल— मूल 2,824.61 पुनर्वि. (-)372.29	2,452.32	2,447.44	(-)4.88

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 372.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2007—08 से 2021—22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2210—01—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

791—कर्मचारी राज्य बीमा
चिकित्सालय—

मूल 1,584.36
पुनर्वि. (-)319.65

1,264.71

1,268.79

+4.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 319.65 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2008—09 से 2021—22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 2230—01—001—4268—श्रम

आयुक्त—

मूल 687.85
पुनर्वि. (-)187.75

500.11

498.84

(-)1.27

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.75 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2021—22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 18—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(4) 2230-01-101-4271—श्रम कानूनों के कार्यान्वयन के लिए अमला— मूल 1,561.60 पुनर्वि. (-)258.37	1,303.23	1,303.76	+0.53
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.37 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2230-01-101-4272—श्रम न्यायालय— मूल 854.00 पुनर्वि. (-)404.15	449.85	450.13	+0.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 404.15 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2230-01-101-712—औद्योगिक न्यायालय— मूल 292.60 पुनर्वि. (-)120.48	172.12	172.44	+0.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.48 लाख की कमी आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2230-01-102-5810—औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा— मूल 530.75 पुनर्वि. (-)197.67	333.08	333.13	+0.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.67 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2230-01-102-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6915—बाल श्रम सर्वेक्षण— मूल 112.00 पुनर्वि. (-)112.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना का भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7435—असंगठित श्रमिक सुरक्षा एवं कल्याण मण्डल— मूल 3,825.00 पुनर्वि. (-)137.26	3,687.74	3,687.74	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.26 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 18—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 2230-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8977—असंगठित सफाई कर्मकार कल्याण मण्डल— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)570.70	229.30	229.30	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 570.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(11) 2230-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2837—बंधक मजदूरों की पुनर्वास योजना— मूल 220.75 पुनर्वि. (-)213.56	7.19	7.19	0.00
---	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 213.56 लाख की कमी योजना का भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित:

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4250-201-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5648—औद्योगिक हाइजिन प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 40.00 पुनर्वि. (-)39.85	0.15	0.15	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39.85 लाख की कमी नियमानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 19—लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	27,76,66,75		
पूरक	3,39,93,34	31,16,60,09	26,38,61,64
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)4,77,98,45 5,48,03,04
प्रभारित—			
मूल	58,50		
पूरक	1,77,00	2,35,50	91,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			(-)1,43,63 00
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	46,52,10		
पूरक	सांकेतिक	46,52,10	35,79,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)10,72,37 5,24,44
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) ₹ 2,63,861.64 लाख के वास्तविक व्यय के परिप्रेक्ष्य में, दिसम्बर 2022 (₹ 23,493.34 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 10,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 33,993.34 लाख का अनुपूरक प्रावधान आधिक्यपूर्ण सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 47,798.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 54,803.04 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2210-01-110-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश 6612—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन—			
मूल	790.53		
पुनर्वि.	(-)790.53	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 2210-01-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6612—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन— मूल 1,185.80 पुनर्वि. (-)1,185.20	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(3) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7327—मानसिक चिकित्सालय— मूल 976.39 पुनर्वि. (-)147.01	829.38	877.29	+47.91
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.01 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(4) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 748—दवाखाना— मूल 1,420.88 पुनर्वि. (-)274.49	1,146.39	1,106.50	(-)39.89
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 274.49 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 2210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय— मूल 28,664.90 पूरक. 10,500.00 पुनर्वि. (-)629.34	38,535.56	36,114.27	(-)2,421.30
समर्पण के पश्चात् ₹ 2,421.30 लाख का अंतिम बचत, समर्पण के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 629.34 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2210-01-200-77—अंध रोग उपचार की रोकथाम की इकाइयां स्थापित करना— मूल 2,798.20 पुनर्वि. (-)104.42	2,693.78	2,650.05	(-)43.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 104.42 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(7) 2210-01-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8649—मुख्य मंत्री शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम— मूल 295.20 पुनर्वि. (-)124.25	170.95	191.60	+20.65
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 124.25 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(8) 2210-03-110-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6611—प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन— मूल 2,522.00 पुनर्वि. (-)2,522.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(9) 2210-03-110-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 28,807.00 पूरक. 8,000.00 पुनर्वि. (-)2,384.32	34,422.68	34,422.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,384.32 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2210-03-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6611—प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन— पूरक 3,783.50 पुनर्वि. (-)3,783.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2210-03-110-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6884—राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 43,211.00 पुनर्वि. (-)8,368.00	34,843.00	34,843.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,368.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 748—दवाखाना— मूल 376.00 पुनर्वि. (-)232.24	143.76	169.30	+25.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 232.24 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6811—राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान— मूल 227.85 पुनर्वि. (-)107.73	120.12	122.45	+2.33
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.50 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 116.23 लाख की कमी होने के कारण प्रावधान में ₹ 107.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(14) 2210-06-101-4244—शीत ज्वर— मूल 2,474.35 पुनर्वि. (-)824.08	1,632.27	2,254.20	+621.93
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 824.08 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(15) 2210-06-101-858—कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम— मूल 3,857.90 पुनर्वि. (-)954.30	2,903.60	3,024.90	+121.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 954.30 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(16) 2210-06-102-1070—खाद्य पदार्थों में मिलावट की रोकथाम (खाद्य प्रयोगशाला सहित)— मूल 1,691.40 पुनर्वि. (-)1,482.90	208.50	788.00	+579.50
समर्पण के पश्चात् ₹ 579.50 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,482.90 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 2210-06-104-750—औषधि नियंत्रण— मूल 1,325.90 पुनर्वि. (-)1,325.90	0.00	919.44	+919.44
सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण के पश्चात् ₹ 919.44 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(18) 2210-06-200-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6613-15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान— मूल 22,700.00 पुनर्वि. (-)22,700.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(19) 2210-06-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6363—मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)2,500.00	0.00	500.00	+500.00
सम्पूर्ण प्रावधान के समर्पण के पश्चात् ₹ 500.00 लाख का आधिक्य व्यय कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है। सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(20) 2211-001-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 1508—जिला स्तरीय अमला	120.50	21.87	(-)98.63

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(21) 2211-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 1508—जिला स्तरीय अमला—			
मूल	545.05		
पुनर्वि.	(-)210.71	334.34	413.54
			+79.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 210.71 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(22) 2211-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 3704—राज्य स्तरीय परिवार कल्याण	787.00	550.45	(-)236.55
---	--------	--------	-----------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(23) 2211-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 621—उप स्वास्थ्य केन्द्र	14,867.00	10,607.35	(-)4,259.65
---	-----------	-----------	-------------

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(1) 2071-01-800-5499—सेवानिवृत्त कर्मचारियों को चिकित्सा सुविधा—			
मूल	230.00		
पुनर्वि.	(-)172.23	57.77	414.64
			+356.87

निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 356.87 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 172.23 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर आधिक्य दृष्टिगत हुआ था।

(2) 2210-03-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र—			
मूल	15,218.10		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(-)996.15	14,221.96	19,794.21
			+5,572.25

निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 5,572.25 लाख का आधिक्य व्यय, अनुपूरक अनुदान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 996.15 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 19—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(3) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 33,069.20 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,265.23	31,803.97	33,448.12	+1,644.15

निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 1,644.15 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,265.23 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(4) 2210-03-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल. 8,780.80 पूरक. सांकेतिक पुनर्वि. (-)677.94	8,102.86	11,666.25	+3,563.39
--	----------	-----------	-----------

निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 3,563.36 लाख का आधिक्य व्यय, अनुपूरक अनुदान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 677.94 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 143.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया गया। यह कमजोर बजटीय प्रबंधन का द्योतक है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2210-01-001-2283—निर्देशन एवं प्रशासन— (राजीव गांधी मिशन) मूलभूत सेवाएं— मूल 36.00 पूरक 177.00	213.00	70.37	(-)142.63

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vii) ₹ 1,072.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 524.44 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-196-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1473—जिला चिकित्सालय	2,468.10	2,260.81	(-)207.29

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुआ था।

अनुदान संख्या 19—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(2) 4210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 620—उप स्वास्थ्य केन्द्र	400.00	0.00	(-)400.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(3) 4210-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2777—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 356.00 पुनर्वि. (-)207.35	148.65	148.65	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 207.35 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(4) 4210-02-197-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5998—सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 1,280.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)309.69	970.31	1,038.51	+68.20

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 309.69 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय			
6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत	2,96,83,72	2,07,42,54	(-)89,41,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			89,91,46
प्रभारित	16,00	00	(-)16,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			16,00
पूंजीगत:			
दत्तमत:			
मूल	5,72,71,07		
पूरक	5,81,60,00	11,54,31,07	(-)41,24,14
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			43,58,40

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 8,941.18 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 8,991.46 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-2294-निर्देशन—			
मूल	2,080.70		
पुनर्वि.	(-)526.91	1,553.79	+7.41

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 526.91 लाख की कमी मांग तथा आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2215-01-001-2715-प्रशासन—

मूल	12,432.00		
पुनर्वि.	(-)3,096.38	9,335.62	+9.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,096.38 लाख की कमी मांग तथा आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 2215-01-101-5300-स्थानीय संस्थाओं की

जल प्रदाय योजनाओं का
संधारण—

मूल	1,155.40		
पुनर्वि.	(-)368.41	786.99	+56.35

अनुदान संख्या 20—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 368.41 लाख की कमी मांग अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5097-विशिष्ट भवनों में जल प्रदाय-			
मूल	283.00		
पुनर्वि.	(-)250.96	32.04	32.04
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.96 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2215-01-102-1202-ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं का अनुरक्षण-			
मूल	700.00		
पुनर्वि.	(-)198.05	501.95	500.12
			(-)1.83

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 198.05 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2215-01-102-1854-ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन-			
मूल	1,617.60		
पुनर्वि.	(-)446.96	1,170.64	1,172.93
			+2.29

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 446.96 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(7) 2215-01-102-2219-नलकूपों का अनुरक्षण-			
मूल	6,408.70		
पुनर्वि.	(-)2,545.11	3,863.59	3,858.45
			(-)5.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,545.11 लाख की कमी आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(8) 2215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7858-सौर ऊर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत भी बचत हुई थी।

(9) 2215-01-192-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6707-बलौदाबाजार जल प्रदाय योजना-			
मूल	225.22		
पुनर्वि.	(-)69.19	156.03	156.03
			0.00

अनुदान संख्या 20—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 69.19 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(10) 2215-01-799-4058—विविध लोक निर्माण

कार्य अग्रिम—

मूल 1,500.10

पुनर्वि. (-)929.59 570.51 552.13 (-)18.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 929.59 लाख की कमी निधियों के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

2215-01-193-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

8661—डोंगरगढ़ जल प्रदाय

आवर्धन योजना—

मूल 0.01

पुनर्वि. 69.19 69.20 69.20 0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 69.19 लाख का आवर्धन संशोधित अनुमान के अनुसार कार्य को पूर्ण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

प्रभारित—

(iv) ₹ 16.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत-
-------	---------------	---------------------------------	-----------------

2215-01-001-2294—निर्देशन—

मूल 16.00

पुनर्वि. (-)16.00 0.00 0.00 0.00

सम्पूर्ण विनियोग निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iv) उचंत लेन देन—

इस अनुदान के व्यय में "2215—जल प्रदाय और सफाई—01—जल प्रदाय—799—उचंत" के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 552.13 लाख का व्यय सम्मिलित है। लघु शीर्ष "उचंत" में अस्थायी प्रकृति के लेन-देन दर्ज किए जाते हैं जो कि न तो अंतिम रूप से सम्बंधित निर्माण कार्य को समायोजित किए जाते हैं और न ही उनका उचित वर्गीकरण शीघ्र ही सुनिश्चित किया जा सकता है। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तर्गत लेन देनों को यदि लेखे के अंतिम शीर्ष में समायोजित नहीं किया गया है, तो उन्हें प्रति वर्ष अग्रणीत किया जाता है।

"उचंत" शीर्ष में चार उपभाग हैं यथा :-

(1) क्रय (2) भण्डार (3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम और (4) कार्यशाला उचंत

प्रत्येक उपभाग के अन्तर्गत लेन-देनों का प्रकार और लेखा कार्य विधि जो अपनाई जाती है, नीचे स्पष्ट की गई है :-

(1) क्रय— राज्य में 1983-84 से नई लेखा पद्धति के अपनाने के फलस्वरूप उप संभाग अक्रियाशील हो गया है, तथापि केवल विगत वर्षों के शेषों को अग्रणीत किया जाता है और बाद के वर्षों में इस शीर्ष से कोई लेन-देन नहीं हुआ है।

अनुदान संख्या 20—जारी

(2) भण्डार— इस शीर्ष में किसी निश्चित कार्य के लिए नहीं अपितु संभाग के सामान्य उपयोग हेतु सामग्री का मूल्य नामे किया जाता है। इसे निर्माण कार्यों पर उपयोग के लिए प्रदत्त या बेची गई अथवा अन्य संभागों को अंतरित की गई सामग्री के मूल्य से क्रेडिट किया जाता है। इसलिए यह शीर्ष स्टॉक में रखी गई सामग्रियों के पुस्तक मूल्य तथा सामग्रियों के उत्पादन से सम्बंधित असमायोजित प्रभार यदि कोई हो, के योग के नामे शेष दर्शायेगा।

(3) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम— इस शीर्ष में उधार बेचे गए सामान के मूल्य प्राप्त जमा या निधि से अधिक जमा, निर्माण कार्यों पर किया गया व्यय, बट्टे खाते में न डाली गई नगदी या भण्डारों की हानियां और सरकारी कर्मचारियों से वसूली योग्य राशियों आदि के नामे आते हैं। इस प्रकार इस शीर्ष के अन्तर्गत नामे शेष वसूली योग्य राशियां दर्शाते हैं।

(4) कार्यशाला उचंत—किए गए कार्यों के प्रभार या लोक निर्माण विभाग के कार्यशालाओं में अन्य परिचालन सम्बन्धी प्रभार वसूली या समायोजन पर्यन्त इस शीर्ष के नामे डाले जाते हैं।

2022-23 के दौरान अनुदान के अन्तर्गत लेखाबद्ध किए गए विभिन्न उप शीर्षों के अन्तर्गत "उचंत" लेन-देनों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2022 को नामे + जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2023 को नामे + जमा (-)
2215—जल आपूर्ति तथा सफाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)1,600.70	-	-	(-)1,600.70
(ii) भण्डार	+1,550.23	-	-	+1,550.23
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+12,930.10	552.13	195.60	+13,286.63
योग	+12,879.63	552.13	195.60	+13,236.16

पूंजीगत:

दत्तमत—

(vii) ₹ 4,124.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 4,358.40 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2294-निर्देशन- मूल 295.21 पुनर्वि. (-)269.86	25.35	25.35	0.00

समर्पण द्वारा ₹ 269.86 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 4215-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2715-प्रशासन- मूल 140.50 पुनर्वि. (-)128.91	11.59	11.59	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा ₹ 128.91 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5097-विशिष्ट भवनों में जल प्रदाय- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)120.05	79.95	79.95	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा ₹ 120.05 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 20—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4215-01-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6434—भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई हेतु जल प्रदाय योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 4215-01-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6383—जल जीवन मिशन योजना— मूल 23,463.20 पुनर्वि. (-)23,463.20	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 4215-01-102-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5403—पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)859.65	140.35	133.60	(-)6.75
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 859.65 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(7) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4378—ग्रामों में पेय जल प्रदाय— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)78.25	2,921.75	2,921.75	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.25 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(8) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5700—शालाओं में पेयजल व्यवस्था— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)256.06	43.94	43.94	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 256.06 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 4215-01-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6420—गोठानों में नलकुप खनन— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)282.26	217.74	217.74	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 282.26 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 20—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत—
(10) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 693-औजार और संयंत्र- मूल 131.00 पुनर्वि. (-)131.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7963-मुख्यमंत्री चलित संयंत्र पेयजल योजना- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 4215-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7964-राजीव गांधी सर्व-जल योजना- मूल 140.70 पुनर्वि. (-)94.49	46.21	46.21	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.49 लाख की कमी निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 6215-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2182-नई नगरीय जल प्रदाय योजनाएं- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)640.45	1,859.55	2,101.17	+241.62
--	----------	----------	---------

₹ 241.62 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 640.45 लाख की कमी दिनांक 31/03/2022 को शासन की स्वीकृति प्राप्त होने के कारण कोषालय से निधि का आहरण नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

4215-01-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश 6383-जल जीवन मिशन योजना- मूल 23,463.20 पूरक 58,160.00 पुनर्वि. 23,164.22	1,04,787.42	1,04,787.42	0.00
--	-------------	-------------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23,463.20 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 298.98 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 23,164.22 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 21—आवास एवं पर्यावरण विभाग से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज भुगतान			
2216—आवास			
2217—शहरी विकास			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास ऋण			
राजस्व			
दत्तमत—			
मूल	2,18,72,74		
पूरक	2,05,00,00	4,23,72,74	3,78,95,65
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)44,77,09 44,77,76

पूंजीगत:

दत्तमत—

मूल	3,60,42,90		
पूरक	3,26,00	3,63,68,90	2,28,41,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,35,27,24 1,35,01,24

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) ₹ 4,477.09 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 4,477.76 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-60-701-7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण—			
मूल	8,135.80		
पुनर्वि.	(-)1,078.80	7,057.00	7,057.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,078.80 लाख की कमी विभाग द्वारा बैंक से लिए गए ऋण का केवल ब्याज भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)–

7444-विकास नगर

योजना–

मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के साथ ही भवन क्रय का आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं भवन निर्माण नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2216-02-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7670-मुख्यमंत्री आवासीय योजना-			
मूल	743.00		
पुनर्वि.	(-)322.00	421.00	421.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 322.00 लाख की कमी भवन क्रय हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने एवं भवन निर्माण नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2217-01-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर विकास प्राधिकरण-			
मूल	4,186.72		
पुनर्वि.	(-)1,108.72	3,078.00	3,078.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,108.72 लाख की कमी समय पर निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एस.यू.टी.पी. योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2217-01-053-5371-नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण-			
मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)146.00	1,854.00	1,854.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 146.00 लाख की कमी निधि विलम्ब से जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2217-01-053-8635-नया मंत्रालय की मरम्मत-			
मूल	3,900.00		
पुनर्वि.	(-)565.00	3,335.00	3,335.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 565.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)।			
(8) 2217-05-001-2020-नगर और ग्राम निवेश-			
मूल	2,021.20		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)815.10	1,206.10	1,206.76
			+0.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 815.10 लाख की कमी मुख्यतः कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं किए जाने, घर किराया के लिए अधिक आवंटन होने, क्षेत्रीय कार्यालय से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं रायपुर, दुर्ग तथा बिलासपुर में शहर प्रतिपूर्ति भत्ते का बजट प्रावधान नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 21-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2217-05-001-8892-छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण अधिकरण-			
मूल	216.02		
पुनर्वि.	(-)136.02	80.00	80.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.02 लाख की कमी विलम्ब से प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 300.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 26.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 326.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(iv) ₹ 13,527.24 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 13,501.24 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह दोषपूर्ण बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7552-कर्मचारियों हेतु आवासीय भवनों का निर्माण-			
मूल	12,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,246.00	11,254.00	11,254.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,246.00 लाख की कमी बैंक ऋण का भुगतान तय समय के अनुसार किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 4217-01-050-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण-			
मूल	2,808.88		
पुनर्वि.	(-)93.64	2,715.24	2,715.24
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.64 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण-			
मूल	15,367.59		
पूरक	300.00		
पुनर्वि.	(-)8,270.17	7,397.42	7,397.42
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,270.17 लाख की कमी आवश्यकतानुसार निधि विमुक्त नहीं किए जाने, नया कार्य स्वीकृत नहीं किये जाने एवं कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 21—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7334-जी.ई.एफ. सहायता प्राप्त एस. यू.टी.पी. योजना- मूल 441.42 पुनर्वि. (-)441.42	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 4217-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7416-13वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत प्राप्त अनुदान- मूल 350.00 पुनर्वि. (-)175.00	175.00	175.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.00 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 6217-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5371-नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि के विलम्ब से जारी किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 6217-01-193-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7669-रायपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,250.00 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 22—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय निकाय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
राजस्व :			
दत्तमत	13,75,71	10,10,40	(-)3,65,31
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			3,65,44
<i>प्रभारित</i>	<i>5</i>	<i>00</i>	<i>(-)5</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>5</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 365.31 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 365.44 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217—80—001—6148—नगरीय स्थानीय निकाय संचालनालय—			
मूल	437.90		
पुनर्वि.	(-)182.05	255.85	256.00
			0.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.05 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2021—22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2217—80—001—7442—संभागीय कार्यालय
की स्थापना—

मूल	530.90		
पुनर्वि.	(-)182.90	348.00	347.91
			(-)0.09

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015—16 से 2021—22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.05 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2010—11 से 2021—22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 23—जल संसाधन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2700—वृहद सिंचाई			
2701—मध्यम सिंचाई			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4711—बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :

दत्तमत	6,03,39,13	4,71,76,65	(-)1,31,62,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,31,73,66
<i>प्रभारित</i>	<i>1,10</i>	<i>00</i>	<i>(-)1,10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>1,10</i>

पूंजीगत:

दत्तमत—			
मूल	5,79,20,60		
पूरक	सांकेतिक		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)	5,79,20,61	2,74,15,24	(-)3,05,05,37
<i>प्रभारित</i>	<i>55,00</i>	<i>33,27</i>	<i>(-)21,73</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>20,06</i>

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 13,162.48 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 13,173.66 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2700-01-101-2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	3,977.40		
पुनर्वि.	(-)190.42	3,786.98	3,790.38
			+3.40
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.42 लाख की कमी कार्य भारत स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2700-02-101-2894—बांध तथा नहरें—			
मूल	2,666.80		
पुनर्वि.	(-)142.33	2,524.47	2,523.26
			(-)1.21

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 142.33 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2700-03-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	309.95		
पुनर्वि.	(-)84.30	225.65	226.05
			+0.40

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 84.30 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 2700-04-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	268.50		
पुनर्वि.	(-)125.46	143.04	142.41
			(-)0.63

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.46 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2700-05-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	809.80		
पुनर्वि.	(-)173.61	636.19	640.71
			+4.52

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 173.61 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2700-06-101-2894-बांध तथा नहरें—			
मूल	730.95		
पुनर्वि.	(-)204.29	526.66	529.18
			+2.52

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 204.29 लाख की कमी कार्य भारित स्थापना के अंतर्गत रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 2701-80-001-275-आबियाना स्थापना—			
मूल	2,330.84		
पुनर्वि.	(-)582.32	1,748.52	1,748.88
			(-)0.64

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 582.32 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(8) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3264-मंडल स्थापना—			
मूल	2,446.61		
पुनर्वि.	(-)623.68	1,822.93	1,823.67
			+0.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 623.68 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3556-मुख्यालय स्थापना यूनिट-I-			
मूल	4,000.38		
पुनर्वि.	(-)1,229.44	2,770.94	2,768.69
			(-)2.25

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,229.44 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(10) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 814-मुख्यालय स्थापना (विद्युत यांत्रिकी)-				
मूल	1,018.75			
पुनर्वि.	(-)174.75	844.00	841.46	(-)2.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 174.75 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(11) 2701-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 815-कार्यपालिक स्थापना-				
मूल	34,882.70			
पुनर्वि.	(-)9,454.20	25,428.50	25,452.22	+23.72

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,454.20 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

2701-80-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4843-अधोसंरचना विकास निगम-				
मूल	1,650.00			
पुनर्वि.	400.00	2,050.00	2,050.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 400.00 लाख का आवर्धन सी.एस.आई.डी.सी. के कर्मचारियों के वेतन भुगतान एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ प्रदाय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के राजस्व (दत्तमत) के अन्तर्गत व्यय में "उचंत" शीर्ष के अधीन लेखांकित ₹ 5.47 लाख सम्मिलित है। "उचंत" के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) पर की गई है।

वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित "उचंत" लेन देन का विश्लेषण विभिन्न "उचंत उपशीर्षों" के अन्तर्गत प्रारम्भिक तथा अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 01 अप्रैल 2022 को नामे + / जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2023 को नामे + / जमा (-)
2701-मध्यम सिंचाई	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)841.87	0.00	0.00	(-)841.87
(ii) भण्डार	+648.66	0.00	5.47	+643.19
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+2,425.83	0.00	0.00	+2,425.83
(iv) कार्यशाला उचंत	+147.09	0.00	0.00	+147.09
कुल	+2,379.71	0.00	5.47	+2,374.24

अनुदान संख्या 23—जारी

प्रभारित—

(v) वर्ष के दौरान ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2021—22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) ₹ 30,505.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 30,512.66 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यकारी स्थापना (यूनिट 1 एवं 2)— मूल 3,812.40 पुनर्वि. (-)855.02	2,957.38	2,958.21	+0.83
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 855.02 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016—17 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 4700—01—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना (यूनिट-1)— मूल 788.95 पुनर्वि. (-)166.35	622.60	622.46	(-)0.14
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 166.35 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)611.37	3,388.63	3,388.62	0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 611.37 लाख की कमी निविदा कार्य को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 4700—01—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5685—बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)196.05	203.95	203.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.05 लाख की कमी निविदा कार्य को अंतिम रूप देने में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 4700—02—001—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2428—कार्यपालन स्थापना (यूनिट-1 एवं 2)— मूल 9,190.10 पुनर्वि. (-)2,982.88	6,207.22	6,211.31	+4.09

अनुदान संख्या 23—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,982.88 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने तथा मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	2,510.00		
पुनर्वि.	(-)1,456.82	1,053.18	(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,456.82 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(7) 4700-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण-			
मूल	900.00		
पुनर्वि.	(-)823.11	76.89	0.00

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 400.00 लाख एवं ₹ 423.11 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति होने के कारण प्रावधान में ₹ 823.11 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(8) 4700-04-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	155.00		
पुनर्वि.	(-)155.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,319.81	180.19	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,319.81 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 4700-06-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5685-बांध सुरक्षा एवं सुदृढीकरण-			
मूल	330.00		
पुनर्वि.	(-)254.55	75.45	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 254.55 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 4700-08-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2884-नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य-			
मूल	1,300.00		
पुनर्वि.	(-)986.78	313.22	0.00

अनुदान संख्या 23—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 686.78 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 986.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 4700-09-800-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,509.66	1,490.34	1,490.34	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,509.66 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 4700-09-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)503.22	496.78	496.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 503.22 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 4700-11-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 990.00 पुनर्वि. (-)886.32	103.68	103.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 886.32 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(15) 4700-12-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2884—नहर तथा उससे संबंधित निर्माण कार्य— मूल 470.00 पुनर्वि. (-)236.05	233.95	233.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 236.05 लाख की कमी भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नहीं होने एवं वन विभाग से दावा प्राप्त न होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(16) 4700-80-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416—सर्वेक्षण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 4700-80-800-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश 6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस—II— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 23—जारी

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 4700-80-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस—II— मूल 3,500.00 पुनर्वि. (-)3,500.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 4700-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6597—उद्वहन सिंचाई परियोजना (मेगा प्रोजेक्ट)— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(20) 4701-13-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)149.73	0.27	0.27	0.00
---	------	------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 70.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 79.73 लाख की कमी कार्य की धीमी प्रगति एवं निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 149.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 4701-18-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(22) 4701-19-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(23) 4701-20-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 4701-32-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 425.00 पुनर्वि. (-)317.94	107.06	107.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 317.94 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नही होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(25) 4701-36-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 110.00 पुनर्वि. (-)90.34	19.66	19.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 90.34 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(26) 4701-38-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2898—बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)110.25	69.75	69.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.25 लाख की कमी निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने एवं भू-अर्जन प्रकरणों का निराकरण नही होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(27) 4701-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3556—मुख्यालय स्थापना यूनिट—एक— मूल 127.50 पुनर्वि. (-)112.96	14.54	14.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 112.96 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
(28) 4701-80-002-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4793—जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना— मूल 1,927.60 पुनर्वि. (-)788.17	1,139.43	1,141.63	+2.20
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 788.17 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(29) 4701-80-005-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3363—मध्यम परियोजनाओं का सर्वे— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 23—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 4701-80-190-4843—अधोसंरचना विकास निगम— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 4701-80-800-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश 6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(32) 4701-80-800-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II— मूल 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 4711-01-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6757—बाढ़ नियंत्रण योजनाएं— मूल 12,500.00 पुनर्वि. (-)10,805.64	1,694.36	2,394.48	+700.12

₹ 700.12 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 3,100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,705.64 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 10,805.64 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न के अंतर्गत प्रावधान से आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

(1) 4700-80-800-1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6354—बांध पुनर्वास एवं सुधार परियोजना फेस-II— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 3,018.01	3,018.01	3,018.01	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,070.00 लाख का वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,051.99 लाख की कमी क्रमशः प्रक्रियाधीन कार्य के भुगतान किये जाने एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 3,018.01 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 23—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4701-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2898-बांध तथा संलग्न कार्य-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	92.78	112.78	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 130.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 37.22 लाख की कमी क्रमशः प्रक्रियाधीन कार्य के लिए भुगतान किये जाने एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 92.18 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(ix) उचंत लेन देन-

“उचंत” के अन्तर्गत लेन-देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या विनियोग लेखे की अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत टिप्पणी (iv) पर की गई है।

वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित “उचंत” लेन देन का विश्लेषण विभिन्न “उचंत उपशीर्षों” के अन्तर्गत प्रारम्भिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया जा रहा है :-

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2022 को नामे + / जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2023 को नामे + / जमा (-)
4700-वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)830.51	0.00	0.00	(-)830.51
(ii) भण्डार	+346.16	0.00	0.00	+346.16
(iii) विविध कार्य अग्रिम	+1,590.21	0.00	0.00	+1,590.21
(iv) कार्यशाला उचंत	(-)77.13	0.00	0.43	(-)77.56
कुल	+1,028.73	0.00	0.43	+1,028.30

प्रभारित-

(x) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4700-80-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4948-डिक्री धन का भुगतान (भारित)-			
मूल	50.00		
पुनर्वि.	(-)17.85	32.15	(-)1.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 17.85 लाख की कमी डिक्री प्रकरण की संख्या अनुसार भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—लोक निर्माण कार्य—सड़कों और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3053—नागर विमानन			
3054—सड़क तथा सेतु			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	9,38,25,67		
पूरक	2,60,27,00	11,98,52,67	6,60,96,33
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)5,37,56,34 5,31,75,70
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	16,67,51,00		
पूरक	1,00,00,08	17,67,51,08	13,79,42,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)3,88,08,11 3,97,49,13
प्रभारित	10,10,00	7,63,41	(-)2,46,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			2,46,60

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 (₹ 20,027.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 6,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 26,027.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 53,756.34 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 53,175.70 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-60-701-6464-सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. के द्वारा निर्माण कार्य हेतु लिए गए ऋण के ब्याज की अदायगी—			
मूल	18,000.00		
पुनर्वि.	(-)12,633.00	5,367.00	5,367.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,633.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(2) 3053-60-102-7755-अतिविशिष्ट अतिथियों का भ्रमण—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 24-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 3054-01-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत-			
मूल	3,905.00		
पुनर्वि.	(-)3,561.25	343.75	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,561.25 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 3054-03-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत-			
मूल	8,000.00		
पूरक	281.00		
पुनर्वि.	(-)228.99	8,052.01	(-)0.42
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 228.99 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 3054-03-337-2227-नवीनीकरण-			
मूल	3,500.00		
पूरक	1,404.00		
पुनर्वि.	(-)4,203.35	700.65	(-)77.24
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 1,404.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,203.35 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 3054-03-337-4090-विशेष मरम्मत-			
मूल	850.00		
पुनर्वि.	(-)371.28	478.72	+0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 371.28 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 3054-04-337-134-अनुरक्षण और मरम्मत- साधारण मरम्मत-			
मूल	10,000.00		
पूरक	702.00		
पुनर्वि.	(-)201.55	10,500.45	(-)249.46
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 701.55 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 201.55 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
(8) 3054-04-337-2227-नवीनीकरण-			
मूल	10,300.00		
पूरक	7,191.00		
पुनर्वि.	(-)9,650.57	7,840.43	(-)49.02
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 7,191.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,650.57 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति तथा विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 3054-04-337-7983—ग्रामीण मार्गों की साधारण मरम्मत— मूल 7,500.00 पूरक 702.00 पुनर्वि. (-)54.84	8,147.16	7,917.35	(-)229.81
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 500.00 लाख एवं ₹ 554.84 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 54.84 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)।			
(10) 3054-04-337-7985—ग्रामीण मार्गों का सुदृढीकरण— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 3054-04-337-7986—ग्रामीण मार्गों का डामरीकरण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 3054-04-337-7987—ग्रामीण मार्गों का नवीनीकरण— मूल 4,000.00 पूरक 9,747.00 पुनर्वि. (-)12,492.16	1,254.84	1,279.96	+25.12
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 9,747.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 11,492.16 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 12,492.16 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात् ₹ 25.12 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 3054-80-001-2301—निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग सं. 67-2059—लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)— मूल 11,000.00 पुनर्वि. (-)5,951.62	5,048.38	5,048.38	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,951.62 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रो-रेटा के आँकड़ों का विवरण एवं बजट में प्रो-रेटा प्रावधान के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के भी दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 3054-80-052-692-औजार एवं संयंत्र प्रभार— (मांग सं. 67-2059-लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना का समानुपातिक भाग)— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,812.22	187.78	187.78	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,812.22 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रो-रेटा के आँकड़ों का विवरण एवं बजट में प्रो-रेटा प्रावधान के अनुसार कार्यालय प्रधान महालेखाकार छत्तीसगढ़ द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iv) केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता—

केन्द्र सरकार द्वारा इस निधि का गठन सड़क विकास के लिए उद्दिष्ट मोटर स्पिंट पर उत्पादन शुल्क तथा आयात कर की प्राप्तियों में से किया जाता है। इस निधि से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित सड़क विकास की योजनाओं पर व्यय हेतु राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है। आर्थिक सहायता के रूप में यह राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान के रूप में जमा की जाती है और उसके समतुल्य राशि “3054-सड़कें तथा पुल-800-अन्य व्यय” जिसके लिए अनुदान संख्या 24-“लोक निर्माण कार्य सड़कें एवं पुल” में प्रावधान किया गया है, के नामे डालकर जमा लेखा “8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता” को अन्तरित कर दी जाती है।

योजनाओं पर वास्तविक व्यय भी इस अनुदान के अन्तर्गत प्रारम्भिक तौर पर लेखांकित किया जाता है और बाद में जमा लेखा “8449-अन्य जमा-केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता” को अंतरित कर दिया जाता है।

31 मार्च 2023 को केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि से आर्थिक सहायता के जमा लेखे में ₹ 4,468.35 लाख शेष था। निधि का लेखा वर्ष 2022-23 के वित्त लेखे के क्रम संख्या 21-आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण में दिया गया है।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 0.03 लाख), दिसम्बर 2022 (₹ 0.02 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 10,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया कुल ₹ 10,000.05 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 38,808.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 39,749.13 लाख का अभ्यर्षण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3775-रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण— मूल 9,085.00 पुनर्वि. (-)5,877.89	3,207.11	3,276.15	+69.04

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,000.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,877.89 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 5,877.89 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 69.04 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5054-03-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4151—वृहद पुलों का निर्माण— मूल 7,500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)5,121.49	2,378.51	2,444.68	+66.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,121.49 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 66.17 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 5054-03-337-0520—केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि— 8716—केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि— मूल 10,065.00 पूरक 6,000.01 ¹ पुनर्वि. (-)3,314.92	12,750.09	13,003.35	+253.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,314.92 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 253.26 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4336—राज्यों में सड़कों का निर्माण राज्य मार्ग— मूल 10,700.00 पुनर्वि. (-)636.81	10,063.19	10,085.50	+22.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 636.81 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 22.31 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 4557—सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)— मूल 2,577.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,577.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8716—केन्द्रीय सड़क एवं अधोसंरचना निधि— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भूमि अधिग्रहण मामलों का निपटारा नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

¹राज्य शासन द्वारा पूंजीगत मद के अंतर्गत (निवल आधार पर) ₹ 4,000.00 लाख का तृतीय अनुपूरक अनुमान पारित किया गया, जिसमें इस योजना के लिए ₹ 6,000.00 लाख का प्रावधान किया गया, जिसे व्यय में कटौती से समायोजित किया गया। इस प्रकार योजना का बजट प्रावधान निरंक रहा। चूँकि विनियोग लेखों को सकल आधार पर तैयार किया जाता है, ₹ 6,000.00 लाख का बजट प्रावधान इस योजना में दर्शाया गया है।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 5054-04-101-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 7976—जवाहर सेतु योजना— मूल 5,900.00 पुनर्वि. (-)4,625.78	1,274.22	1,312.96	+38.74

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,625.78 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 38.74 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(8) 5054-04-337-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 7,700.00 पुनर्वि. (-)4,126.28	3,573.72	3,606.61	+32.89
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,126.28 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 32.89 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1222—मूलभूत न्यूनतम सेवा के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों का निर्माण— मूल 20,000.00 पूरक 0.03 पुनर्वि. (-)3,922.26	16,077.77	16,237.66	+159.89
--	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,922.26 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 159.89 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(10) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1513—जिलों की मुख्य सड़कों का निर्माण— मूल 35,000.00 पुनर्वि. (-)5,789.65	29,210.35	29,373.52	+163.17
---	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,789.65 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 163.17 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(11) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— मूल 30,000.00 पूरक 4,000.01 पुनर्वि. (-)3,019.32	30,980.69	31,115.91	+135.22
--	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,019.32 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 135.22 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 24—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4557—सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)— मूल 2,350.00 पूरक 0.02 पुनर्वि. (-)996.68	1,353.34	1,120.06	(-)233.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 996.68 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 233.28 लाख की अंतिम बचत निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
(13) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5041—वृहद सड़कों का सर्वेक्षण— मूल 160.00 पुनर्वि. (-)146.91	13.09	13.10	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 146.91 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6484—मुख्यमंत्री धरसा विकास योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 5054-04-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7977—शहरी क्षेत्र के मार्ग— मूल 5,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)1,262.04	3,737.96	3,836.35	+98.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,262.04 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 98.32 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।			
(16) 5054-05-337-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6596—सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. निर्माण कार्यो हेतु सहायता— मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,750.00	3,250.00	3,250.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,750.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 24—समाप्त

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-101-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 7976—जवाहर सेतु योजना— मूल 4,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,863.54	5,863.54	5,998.55	+135.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 136.46 लाख की कमी देयकों का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 1,863.54 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 135.01 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 5054-03-337-0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 7991—सी. आर. एफ. अंतर्गत निर्माण कार्यो में राज्य शासन द्वारा व्यय— मूल 230.00 पुनर्वि. 2,000.00	2,230.00	2,230.00	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,000.00 लाख का आवर्धन प्रक्रियाधीन कार्यो के देयकों का भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित किया गया है।

प्रभारित—

(ix) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-80-800-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3115—भू-अर्जन हेतु मुआवजा— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)245.56	754.44	754.45	+0.01

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 245.56 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 25—खनिज संसाधन विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
6853—अलौह खनन और धातुकर्म उद्योगों के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत	4,80,31,40	4,68,63,20	(-)11,68,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			11,77,88
<i>प्रभारित</i>	<i>5,00</i>	<i>00</i>	<i>(-)5,00</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>5,00</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत	2,71,39,02	2,16,86,83	(-)54,52,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			54,52,19
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 1,168.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 1,177.88 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2853-02-001-4639—मुख्यालय स्थापना—			
मूल	1,187.95		
पुनर्वि.	(-)273.11	914.84	+7.00
(2) 2853-02-001-4640—जिला स्थापना—			
मूल	2,248.80		
पुनर्वि.	(-)428.49	1,820.31	+3.43
(3) 2853-02-001-4643—क्षेत्रीय स्थापना—			
मूल	1,385.65		
पुनर्वि.	(-)399.15	986.50	(-)0.74

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 273.11 लाख, ₹ 428.49 लाख एवं ₹ 399.15 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2021-22 के दौरान उपरोक्त क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत 2012-13 से 2021-22 के दौरान, क्रम संख्या (2) तथा 2011-12 से 2021-22 के दौरान क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 25—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2853-02-004-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7792—संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप— मूल 174.00 पुनर्वि. (-)77.13	96.87	96.87	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 77.13 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा वाहन किराये पर नहीं लिए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 5.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4853-01-004-4639—मुख्यालय स्थापना— मूल 323.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)321.33	1.67	1.67	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 321.33 लाख की कमी प्रयोगशाला सामग्री खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया पूरी न होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4853-01-004-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7792—संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप— मूल 3,305.00 पुनर्वि. (-)2,383.77	921.23	921.23	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 742.90 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,126.67 लाख की कमी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (CHiPS) से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने कारण प्रावधान में ₹ 2,383.77 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 6853-01-190-0420—खनिज क्षेत्र विकास निधि— 7796—छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम सम्बन्धी कार्य/क्रियाकलाप— मूल 11,250.00 पुनर्वि. (-)2,683.28	8,566.72	8,566.72	0.00
--	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 742.90 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,940.38 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (CMDC) से मांग के अनुसार निधि जारी किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 2,683.28 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 26—संस्कृति विभाग से संबंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2205—कला एवं संस्कृति			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	52,08,39		
पूरक	15,50,00	67,58,39	55,94,16
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)11,64,23 11,67,04
पूंजीगत:			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)	37,50	6,45	(-)31,05 31,05
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 1,164.23 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 1,167.04 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-05-102-285—अर्थाभावग्रस्त ख्याति प्राप्त साहित्यकारों/कलाकारों को को वित्तीय सहायता—			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)88.44	31.56	31.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 88.44 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			0.00
(2) 2202-05-102-444—आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्धन—			
मूल	140.56		
पुनर्वि.	(-)78.37	62.19	62.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.37 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।			+0.14
(3) 2205-103-2318—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	779.42		
पुनर्वि.	(-)89.38	690.04	689.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.38 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			(-)0.31

अनुदान संख्या 26—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2205-103-2685-प्रकाशन खण्ड—			
मूल	134.11		
पुनर्वि.	(-)82.64	51.47	51.53
			+0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 82.64 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2205-103-758-कन्जरवेशन सेल—			
मूल	336.52		
पुनर्वि.	(-)148.33	188.19	186.98
			(-)1.21

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.33 लाख की कमी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2205-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 598-उत्खनन तथा सर्वेक्षण—			
मूल	157.00		
पुनर्वि.	(-)110.22	46.78	46.78
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(7) 2205-107-4283-संग्रहालय—			
मूल	553.68		
पुनर्वि.	(-)216.96	336.72	337.10
			+0.38

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 216.96 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(8) 3454-02-110-0101-राज्य आयोजना (सामान्य) 6041-जिला विवरणिका का पुनरीक्षण—			
मूल	106.12		
पुनर्वि.	(-)70.63	35.49	35.49
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.63 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं विवरणिका का प्रकाशन नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4202-04-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7760-सिरपुर का सांस्कृतिक विकास—			
मूल	30.00		
पुनर्वि.	(-)30.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 27—स्कूल शिक्षा

मुख्य शीर्ष—	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202—सामान्य शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
4202—शिक्षा, खेलकूद तथा कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	55,98,16,60		
पूरक	2,70,04	56,00,86,64	51,67,71,08
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)4,33,15,56 3,51,06,75
प्रभारित	30,00	1,77	(-)28,23 28,23
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			
पूंजीगत :			
दत्तमत	34,34,30	34,15,04	(-)19,26 19,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 में प्राप्त किया गया कुल ₹ 270.04 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 43,315.56 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 35,106.75 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-001-1500-जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	10,541.20		
पूरक	3.88		
पुनर्वि.	(-)445.86	10,099.22	10,092.27
			(-)6.95

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 445.86 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-001-3930- विकास खंड अधिकारी कार्यालय की स्थापना (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 4,565.50 पूरक 3.26 पुनर्वि. (-)159.06	4,409.70	4,409.13	(-)0.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 1,15,548.20 पूरक 40.16 पुनर्वि. (-)6,795.02	1,08,793.34	1,08,770.51	(-)22.83
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 3,000.00 लाख एवं ₹ 3,795.02 लाख की कमी वेतन शीर्ष में बचत होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 6,795.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2202-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 1,43,230.40 पूरक 200.97 पुनर्वि. (-)11,010.05	1,32,421.32	1,32,384.93	(-)36.39
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 200.97 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 3,000.00 लाख एवं ₹ 8,010.05 लाख की कमी वेतन शीर्ष में बचत होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 11,010.05 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(5) 2202-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 110-अशासकीय विद्यालय को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 3,800.00 पुनर्वि. (-)1,469.62	2,330.38	2,330.37	(-)0.01
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,301.90 लाख एवं ₹ 167.72 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,469.62 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2202-01-107-3024—बुनियादी प्रशिक्षण संस्थाएँ—मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए मूल 334.30 पुनर्वि. (-)80.05	254.25	253.88	(-)0.37
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं दावा कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2202-01-107-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 1502—जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)815.40	1,084.60	1,084.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 815.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(8) 2202-01-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1394—छात्राओं को गणवेश— (मूलभूत न्यूनतम— सेवाओं के लिए)— मूल 3,825.00 पुनर्वि. (-)127.97	3,697.03	3,697.03	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,382.00 लाख एवं ₹ 1,509.97 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 127.97 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-01-111-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 20,000.00 पुनर्वि. (-)5,447.32	14,552.68	14,552.68	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 7.37 लाख एवं ₹ 5,439.95 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 5,447.95 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(10) 2202-01-112-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 6615—प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 4,915.00 पुनर्वि. (-)4,913.42	1.58	1.58	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 4,913.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(11) 2202-01-112-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6615—प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 15,712.00 पुनर्वि. (-)2,921.96	12,790.04	12,790.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,921.96 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 2202-02-104-7761—शिक्षको का वेतन— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)249.13	2,750.87	2,750.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 249.13 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 2202-02-105-4402—शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय— मूल 1,119.90 पुनर्वि. (-)292.94	826.96	826.20	(-)0.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 292.94 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं दावे कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(14) 2202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3694—राज्य शिक्षा संस्थान एवं (एस. सी. ई. आर. टी.) का पुनर्गठन— मूल 778.90 पुनर्वि. (-)253.56	525.34	524.63	(-)0.71
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 253.56 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, दावे कम प्राप्त होने एवं प्रशिक्षण कम संचालित होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(15) 2202-02-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6400—ई-लर्निंग स्कीम— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)478.42	21.58	21.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 478.42 लाख की कमी कम दावे प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2202-02-109-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 7,600.00 पुनर्वि. (-)3,976.76	3,623.24	1,829.50	(-)1,793.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,976.76 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(17) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 11,400.00 पुनर्वि. (-)355.72	11,044.28	5,663.05	(-)5,381.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 355.72 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5551-हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय- मूल 4,650.00 पुनर्वि. (-)1,392.10	3,257.90	3,257.90	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 10.10 लाख एवं ₹ 1.382.00 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 1,392.10 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(19) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय- मूल 1,32,610.70 पूरक 20.27 पुनर्वि. (-)3,693.59	1,28,937.38	1,28,936.06	(-)1.32
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 2,000.00 लाख एवं ₹ 1,693.59 लाख की कमी वेतन शीर्ष में बचत होने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 3,693.59 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(20) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6496-विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना- मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(21) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7367-आदर्श विद्यालय योजना- मूल 2,076.00 पुनर्वि. (-)111.03	1,964.97	1,964.97	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.03 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(22) 2202-02-109-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8659-अशासकीय विद्यालयों में शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति- मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)2,200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(23) 2202-02-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5646-सैनिक विद्यालय की स्थापना- मूल 380.00 पुनर्वि. (-)133.00	247.00	247.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.00 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(24) 2202-04-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6943—राज्य साक्षरता कार्यक्रम— मूल 303.00 पुनर्वि. (-)106.05	196.95	196.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.05 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(25) 2202-80-001-3858—लोक शिक्षण संचालनालय— मूल 1,278.20 पुनर्वि. (-)201.97	1,076.23	1,073.69	(-)2.54
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 201.97 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 2202-80-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7840—विभागीय कार्यालय— मूल 778.50 पूरक 1.50 पुनर्वि. (-)159.41	620.59	620.21	(-)0.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.41 लाख की कमी मुख्यतः रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(27) 2204-102-3755—राष्ट्रीय सैन्य दल	2,706.00	1,689.98	(-)1,016.02
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(28) 2204-104-1084—खेलकूद एवं गतिविधियों पर व्यय— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)421.18	678.82	678.82	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 421.18 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2205-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4395—सरकारी पुस्तकालय— मूल 372.90 पुनर्वि. (-)127.87	245.03	244.47	(-)0.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 127.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 27—समाप्त

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-112-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6615—प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 18,782.00 पुनर्वि. 4,913.42	23,695.42	23,695.42	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 4,913.42 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2023)।			

(2) 2202-02-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 110—अशासकीय विद्यालयों हेतु अनुदान— (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)8,971.54	12,971.54	13,027.31	+55.77
---	-----------	-----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 9,301.90 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 330.36 लाख की कमी स्वामी आत्मानन्द मॉडल अंग्रेजी विद्यालय के शिक्षको को वेतन एवं भत्ता के भुगतान किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 8,971.54 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-80-001-3858—लोक शिक्षण संचालनालय— मूल 30.00 पुनर्वि. (-)28.23	1.77	1.77	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 28.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 28—राज्य विधान मंडल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2011—संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	68,43,60		
पूरक	4,50,00	72,93,60	52,76,79
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)20,16,81 5,38,60
प्रभारित—			
मूल	88,00		
पूरक	10,00	98,00	36,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)61,50 00
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,00,00	96,24	(-)3,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			00

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 450.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 2,016.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 538.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह दोषपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2011-02-101-4007—विधान सभा—			
मूल	3,934.60		
पूरक	450.00	4,384.60	3,191.20
			(-)1,193.40

₹ 1,193.40 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में, प्रावधान में ₹ 450.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2004-05 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2011-02-103-4009—विधानसभा
सचिवालय

2,170.00

1,961.17

(-)208.83

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2006-07 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 28—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2011-02-103-6582-भारतीय संसदीय संघ को सहायक अनुदान	100.00	18.44	(-)81.56

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(4) 2011-02-103-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश 6493-नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय एस.पी.एम.यु. के नेवा क्रियान्वयन समिति द्वारा किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(5) 2011-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6493-नेशनल ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा)- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन का क्रियान्वयन राज्य स्तरीय एस.पी.एम.यु. के नेवा क्रियान्वयन समिति द्वारा किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

प्रभारित-

(iv) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹ 10.00 लाख का अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(v) ₹ 61.50 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई है। यह दोषपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(vi) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2011-02-101-125-अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष को भत्ता-			
मूल 88.00			
पूरक 10.00	98.00	36.50	(-)61.50

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2004-05 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vii) ₹ 3.76 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह दोषपूर्ण बजट को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 29—न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2014—न्याय प्रशासन			
2015—निर्वाचन			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4059—लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
4070—अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	4,47,58,40		
पूरक	9,52,70	4,57,11,10	3,99,27,39
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)57,83,71 57,96,96
<i>प्रभारित—</i>			
<i>मूल</i>	<i>95,31,53</i>		
<i>पूरक</i>	<i>1,09,18</i>	<i>96,40,71</i>	<i>81,90,03</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>(-)14,50,68 14,42,02</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	12,37,50		
पूरक	3,57,00	15,94,50	3,79,81
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)12,14,69 12,14,69
<i>प्रभारित</i>		<i>53,00</i>	<i>24,69</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>(-)28,31 28,31</i>

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 1,68 हजार सम्मिलित है जिसको जून 2022 को स्वीकृत एवं सितम्बर 2022 को आहरित किया गया तथा मार्च 2023 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व:

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 118.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹ 620.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 214.70 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 952.70 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 5,783.71 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 5,796.96 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 29—जारी

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2014-102-5421—छत्तीसगढ़ राज्य

न्यायिक अकादमी—

मूल	612.70		
पूरक	20.00		
पुनर्वि	(-)323.59	309.11	309.35
			+0.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 323.59 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2014-105-2410—निर्वाह पत्र

तामिल स्थापना—

मूल	2,192.10		
पुनर्वि	(-)197.64	1,994.46	1,987.92
			(-)6.54

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 197.64 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं लिए जाने एवं चिकित्सा अग्रिम के लिए दावा प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2006-07 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 2014-105-4497—सामान्य

स्थापना—

मूल	24,525.90		
पुनर्वि	(-)1,507.74	23,018.16	23,018.30
			+0.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,507.74 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(4) 2014-105-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश—

6356—फास्ट ट्रैक स्पेशल

कोर्ट और पाक्सो—

मूल	386.20		
पूरक	13.20		
पुनर्वि	(-)204.23	195.17	195.17
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 204.23 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सहायक कर्मचारियों द्वारा वेतन आहरण नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2014-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—

6356—फास्ट ट्रैक स्पेशल

कोर्ट और पाक्सो—

मूल	579.30		
पूरक	19.80		
पुनर्वि	(-)89.69	509.41	509.41
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.69 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, सहायक कर्मचारियों द्वारा वेतन आहरण नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2014-114-2918—बार एसोसिएशन के पुस्तकालयों के लिए आर्थिक सहायता—			
मूल	150.00		
पुनर्वि	(-)118.81	31.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.81 लाख की कमी निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2014-114-3572—मुफस्सिल स्थापना—			
मूल	930.80		
पुनर्वि	(-)75.29	855.51	+0.11
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.29 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005-06 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2014-114-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5464—हिदायतुल्लाह राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय—			
मूल	150.00		
पूरक	450.00		
पुनर्वि	(-)150.00	450.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से निधि का आवंटन नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2014-117-5416—परिवार न्यायालय की स्थापना—			
मूल	3,398.30		
पूरक	65.00		
पुनर्वि	(-)933.40	2,529.90	(-)2.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 933.40 लाख की कमी मुख्य रूप से रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अधिकारियों द्वारा यात्रा पर कम व्यय किये जाने एवं आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 2014-118-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7256—न्यायालयों का कम्प्यूटरीकरण—			
मूल	955.15		
पूरक	170.00		
पुनर्वि	(-)159.23	965.92	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 159.23 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं मरम्मत पर वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 29—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2015-102-2409—निर्वाचन अधिकारी—			
मूल	2,129.50		
पुनर्वि.	(-)302.40	1,827.10	1,846.67
			+19.57
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 302.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, यात्रा पर व्यय नहीं किये जाने एवं शासन से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(12) 2015-103-3307—मतदाता सूचियों की छपाई एवं तैयारी—			
मूल	3,041.44		
पुनर्वि.	(-)502.63	2,538.81	2,538.81
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 502.63 लाख की कमी निर्माण कार्य पर वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं चुनाव सूची के मुद्रण की तैयारी पर कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2015-105-4311—संसद के लिए चुनाव कराने के प्रभार—			
मूल	350.30		
पुनर्वि.	(-)342.18	8.12	8.12
			0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 99.50 लाख एवं ₹ 242.67 लाख की कमी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 342.18 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2052-090-9057—विधि एवं विधायी कार्य—			
मूल	982.40		
पुनर्वि.	(-)99.80	882.60	881.86
			(-)0.74
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 99.80 लाख की कमी प्रशिक्षण नहीं दिये जाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2235-60-200-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3255—विधिक सलाह बोर्ड को विधिक सहायता एवं अनुदान—			
मूल	2,334.90		
पूरक	214.70		
पुनर्वि.	(-)660.37	1,889.23	1,889.45
			+0.21
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 660.37 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मानदेय पर निधि का कम उपयोग किये जाने, फिल्म फेस्टिवल का आयोजन नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 29—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2015—106—4006—राज्य विधान मण्डल के निर्वाचन के प्रभार—			
मूल	250.30		
पुनर्वि	56.72	307.02	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.50 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 42.78 लाख की कमी वित्तीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 56.72 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 101.68 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹ 7.50 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 109.18 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 1,450.68 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,442.02 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014—102—573—उच्च न्यायालय—			
मूल	9,260.68		
पूरक	100.00		
पूरक	(-),1,408.75	7,951.93	+0.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,408.75 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, प्रशिक्षण नहीं दिये जाने एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2005—06 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2052—091—9056—माध्यस्थम
अधिकरण—

मूल	270.85		
पुनर्वि	(-)33.27	237.58	+0.08

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 33.27 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, कर्मचारियों को सरकारी आवासीय परिसर के आवंटन में मकान भत्ता पर व्यय कम किये जाने, प्रशिक्षण नहीं दिये जाने एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(viii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 357.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 29—समाप्त

(ix) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन-			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि	(-)-1,100.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5421-छत्तीसगढ़ राज्य न्यायिक अकादमी-			
मूल	100.00		
पुनर्वि	(-)-100.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 30—पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2215—जल पूर्ति तथा सफाई			
2216—आवास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
2505—ग्राम रोजगार			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
3054—सड़कें तथा सेतु			
4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			

राजस्व :**दत्तमत—**

मूल	28,75,80,43			
पूरक	5,39,80,86	34,15,61,29	25,21,37,19	(-)8,94,24,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				8,94,30,14

प्रभारित—

मूल	19,00			
पूरक	10,00	29,00	24,81	(-)4,19
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				4,19

पूंजीगत :**दत्तमत—**

मूल	6,19,03,00			
पूरक	1,60,62,50	7,79,65,50	7,37,80,59	(-)41,84,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)				40,66,03

टीका एवं टिप्पणियां**राजस्व :****दत्तमत—**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 38,478.42 लाख), दिसम्बर 2022 (₹ 10,000.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 5,502.44 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 53,980.86 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 89,424.10 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 89,430.14 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049-60-701-7807-प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)-			
मूल	20,000.00		
पुनर्वि.	(-)7,466.30	12,533.70	12,533.70
			0.00

अनुदान संख्या 30—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,466.30 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2215-02-107-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)7,023.33	2,976.67	2,976.67	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,023.33 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 2215-02-107-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7610—स्वच्छ भारत अभियान— मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)10,535.00	4,465.00	4,465.00	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,535.00 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने एवं भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2216-03-105-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 10,010.00 पूरक 40,868.55 पुनर्वि. (-)12,545.02	38,333.53	38,333.53	0.00
--	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,545.02 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2216-03-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 25,000.00 पुनर्वि. (-)11,230.82	13,769.18	13,769.18	0.00
---	-----------	-----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,230.82 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2501-06-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन— मूल 10,422.20 पूरक 192.14 पुनर्वि. (-)5,335.90	5,278.44	5,278.44	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,335.90 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 30—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2501-06-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7490—राष्ट्रीय ग्रामीण लाईवलीहुड मिशन— मूल 15,614.89 पूरक 2,540.04 पुनर्वि. (-)10,600.56	7,554.37	7,554.37	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,600.56 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने एवं भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2505-02-60-196-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 20,750.00 पुनर्वि. (-)6,141.88	14,608.12	14,608.12	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,141.88 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2505-60-196-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 64,300.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)11,694.34	52,605.66	52,605.66	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,694.34 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने एवं जिला पंचायतो से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 2515-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1033—विकासखण्ड कार्यालय— मूल 7,076.38 पुनर्वि. (-)2,156.34	4,920.04	4,916.22	(-)3.82
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,156.34 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2515-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3926—विकास आयुक्त— मूल 602.82 पुनर्वि. (-)120.96	481.86	482.20	+0.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.96 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(12) 2515-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5063—ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान— मूल 486.12 पूरक 372.70 पुनर्वि. (-)265.67	593.15	593.15	0.00

अनुदान संख्या 30—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 265.67 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2515-101-2474—पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रभार—			
मूल	9,875.50		
पुनर्वि.	(-)1,987.10	7,888.40	7,878.60 (-)9.80

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 17.28 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,969.82 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,987.10 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(14) 2515-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7687—मुख्य मंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना—			
मूल	1,210.70		
पुनर्वि.	(-)491.44	719.26	719.26 0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 491.44 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने एवं रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत दृष्टिगत हुई थी।

(15) 2515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1208—ग्रामीण यांत्रिकी सेवा—			
मूल	6,670.65		
पूरक	7.42		
पुनर्वि.	(-)817.72	5,860.35	5,859.83 (-)0.52

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.50 लाख की वृद्धि एन.आई.सी.एस.आई. सेवा प्रदाता के विक्रेता को भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 826.22 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के निवल प्रावधान से प्रावधान में ₹ 817.72 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(16) 2515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4855—प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना—			
मूल	5,986.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)232.17	5,753.83	5,752.64 (-)1.19

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 8.50 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 223.67 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 232.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2515-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना—			
मूल	1,546.05		
पुनर्वि.	(-)434.39	1,111.66	1,132.45 +20.79

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 434.39 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 20.79 लाख का आधिक्य व्यय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 30-जारी

पूँजीगत:

दत्तमत-

(iv) ₹ 4,184.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 4,066.03 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4515-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन-			
मूल	1,200.00		
पुनर्वि.	(-)838.83	361.17	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 838.83 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी किये जाने के अनुसार राज्यांश विमुक्त किये जाने एवं वित्त विभाग से देयक पारित करने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 4515-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7759-श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन-			
मूल	1,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,258.25	541.75	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,258.25 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने एवं भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 4515-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6437-ग्रामीण क्षेत्रों में गोठान निर्माण-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 5054-04-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	0.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 5054-04-337-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	30,000.00		
पूरक	11,012.50		
पुनर्वि.	(-)296.66	40,715.84	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 296.66 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश विमुक्त किये जाने एवं वित्त विभाग से देयक पारित करने हेतु अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 30—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 5054-04-337-0311-नाबार्ड सहायित योजना (सामान्य)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना-			
मूल	2,967.00		
पुनर्वि.	(-1,320.77	1,646.23	1,656.84
			+10.61

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,320.77 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054-04-337-0311-नाबार्ड सहायित योजना (सामान्य)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना-			
मूल	2,500.00		
पुनर्वि.	(-36.36	2,463.64	2,334.14
			(-129.50

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 36.36 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(8) 5054-04-337-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना-			
मूल	750.00		
पुनर्वि.	(-704.58	45.42	45.42
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 704.58 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(vi) उपरोक्त टिप्पणी (v) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-04-337-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	20,000.00		
पूरक	5,050.00		
पुनर्वि.	2,076.58	27,126.58	27,126.58
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,204.58 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 128.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केद्रांश के आधार पर राज्यांश विमुक्त किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 2,076.58 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 31—योजना आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय—आर्थिक सेवाएं			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	53,79,48		
पूरक.	2,04	53,81,52	33,40,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)20,41,17 20,46,79
प्रभारित	40	00	(-)40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			40
पूंजीगत :			
दत्तमत	27,50	7,99	(-)19,51
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			19,51
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 2,041.17 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 2,046.79 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3451—101—3686—राज्य योजना आयोग—			
मूल	604.40		
पुनर्वि.	(-)143.13	461.27	461.15
			(-)0.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.13 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009—10 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 3451—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6474—नवाचारो का बौद्धिक
संपदा अधिकार—

मूल 200.00

पुनर्वि. (-)191.54

8.46

8.46

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 191.54 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 31—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 3451-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7639-राज्य योजना का सुदृढीकरण, मूल्यांकन एवं अनुसंधान-			
मूल	841.00		
पुनर्वि.	(-)771.33	69.67	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 771.33 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(4) 3454-02-111-1430-महत्वपूर्ण आंकड़ों का संकलन-			
मूल	415.70		
पुनर्वि.	(-)125.99	289.71	+1.99

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 125.99 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, दावे प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 3454-02-201-512-नमूना सर्वेक्षण-			
मूल	205.70		
पुनर्वि.	(-)68.54	137.16	(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 68.54 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 3454-02-205-8048-आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय-			
मूल	3,084.78		
पूरक	2.04		
पुनर्वि.	(-)722.84	2,363.98	+3.76

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 722.84 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.40 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 32—जनसम्पर्क विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2015—निर्वाचन			
2029—भू—राजस्व			
2039—राज्य उत्पाद शुल्क			
2040—बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर			
2051—लोक सेवा आयोग			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवाएं			
2053—जिला प्रशासन			
2054—खजाना तथा लेखा प्रशासन			
2055—पुलिस			
2056—जेल			
2058—लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075—विविध सामान्य सेवाएं			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेल और युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2220—सूचना तथा प्रचार			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2251—सचिवालय—सामाजिक सेवाएं			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2405—मछली पालन			
2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी			
2408—खाद्य, भंडारण और भांडागारण			
2425—सहकारिता			
2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
2701—मध्यम सिंचाई			
2702—लघु सिंचाई			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
2852—उद्योग			
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3054—सड़क तथा सेतु			
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं			
4220—सूचना तथा प्रसार पर पूंजीगत परिव्यय			

अनुदान संख्या 32—जारी

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	3,19,23,10		
पूरक	88,02,57	4,07,25,67	3,89,91,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)17,33,94 17,33,90
प्रभारित	10	00	(-)10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			10

पूंजीगत :

दत्तमत	64,00	20,72	(-)43,28
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			43,28
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,733.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,733.90 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2220-01-001-2320—निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	10,658.55		
पूरक	1,079.95		
पुनर्वि.	(-)563.17	11,175.33	11,173.93
			(-)1.40

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 499.32 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 63.85 लाख की कमी व्यय कम किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 563.17 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2220-60-001-6619—डिजिटल एवं
सोशल मीडिया—

मूल	2,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,009.51	990.49	990.49
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 509.51 लाख की कमी व्यय कम किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,009.51 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(3) 2220-60-106-4065—विशेष अवसरों
पर प्रचार—

मूल	150.00		
पूरक	700.00		
पुनर्वि.	(-)169.94	680.06	680.06
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 169.94 लाख की कमी व्यय कम किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 32—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2220-60-106-5376—इलेक्ट्रानिक मीडिया से प्रचार प्रसार— मूल 8,000.00 पूरक 3,500.00 पुनर्वि. (-)139.64	11,360.36	11,360.36	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 639.64 लाख की कमी लम्बित देयको के भुगतान किये जाने एवं व्यय कम किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 139.64 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(5) 2701-80-001-3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल 420.00 पुनर्वि. (-)130.12	289.88	289.88	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 130.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.12 लाख की कमी व्यय कम किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 130.12 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 3054-80-001-3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल 420.00 पुनर्वि. (-)120.02	299.98	299.98	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 120.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.02 लाख की कमी व्यय कम किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 120.02 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2215-01-001-3956—विज्ञापन, बिक्री और प्रचार व्यय— मूल 240.00 पुनर्वि. 249.59	489.59	489.59	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 250.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.41 लाख की कमी क्रमशः देयक लंबित रहने एवं व्यय कम किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 249.59 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2220-60-106-1479—जिला प्रचार तथा चल इकाई की स्थापना— मूल 8,921.65 पूरक 3,522.62 पुनर्वि. 241.19	12,685.46	12,686.67	+1.21
---	-----------	-----------	-------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 258.81 लाख की कमी क्रमशः देयक लंबित रहने एवं व्यय कम किये जाने के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 241.19 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 33—आदिम जाति कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों का कल्याण			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यक के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	52,19,11,46		
पूरक	3,05,13,40	55,24,24,86	52,83,65,91
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)2,40,58,95 2,38,94,79
<i>प्रभारित</i>	<i>34,00</i>	<i>00</i>	<i>(-)34,00</i> <i>34,00</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि</i> <i>(31 मार्च 2023)</i>			
पूंजीगत:			
दत्तमत	5,55,00	40,55	(-)5,14,45
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			5,14,45
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			
(i) ₹ 24,058.95 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 23,894.79 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ लाख में)	
(1) 2202-01-001-2721-प्रशासन का सुदृढीकरण विकास खण्ड			
स्तर—			
मूल	4,978.90		
पूरक	4.19		
पुनर्वि.	(-)734.61	4,248.48	4,243.74
			(-)4.74
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 4.19 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 734.61 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2202-01-101-2772—प्राथमिक शालायें—			
मूल	2,00,174.40		
पूरक	226.51		
पुनर्वि.	(-)11,466.91	1,88,934.00	1,88,842.62
			(-)91.38

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 226.51 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 5,000.00 लाख एवं ₹ 6,466.91 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 11,466.91 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(3) 2202-02-109-3492—माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	1,86,567.50		
पूरक	30,073.46		
पुनर्वि.	(-)8,982.08	2,07,658.88	2,07,620.89
			(-)37.99

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,000.00 लाख एवं ₹ 7,982.08 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 8,982.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई थी।

(4) 2202-02-109-363—आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—			
मूल	1,474.10		
पूरक	3.15		
पुनर्वि.	(-)208.74	1,268.51	1,268.92
			+0.41

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 3.15 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 208.74 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(5) 2202-02-109-583—उच्चतर माध्यमिक शालाएं—			
मूल	1,09,041.10		
पूरक	147.09		
पुनर्वि.	(-)3,753.20	1,05,434.99	1,05,402.41
			(-)32.58

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 147.09 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,753.20 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(6) 2202-02-109-761—कन्या शिक्षा परिसर—			
मूल	1,105.50		
पूरक	59.00		
पुनर्वि.	(-)78.50	1,086.00	1,085.67
			(-)0.33

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 59.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.50 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 33—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 2202-02-109-979—क्रीड़ा परिसर— मूल 1,501.50 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)211.55	1,289.95	1,290.14	+0.19

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 211.55 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(8) 2225-02-001-1483—जिला प्रशासन— मूल 5,954.50 पुनर्वि. (-)1,134.05	4,820.45	4,822.43	+1.98
---	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,134.05 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(9) 2225-02-001-3728—आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास— मूल 1,092.40 पुनर्वि. (-)382.46	709.94	710.18	+0.24
--	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 382.46 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की मांग नहीं किये जाने एवं वाहनो का समर्पण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(10) 2225-02-001-6130—संचालनालय— मूल 1,794.60 पुनर्वि. (-)352.90	1,441.70	1,441.42	(-)0.28
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 352.90 लाख की कमी निधि की मांग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(11) 2515-101-5495—मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का वेतन— मूल 2,646.50 पुनर्वि. (-)203.68	2,442.82	2,440.44	(-)2.38
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 203.68 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2202-02-110-307—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान— मूल 5,011.00 पुनर्वि. 3,677.33	8,688.33	8,688.33	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 6,000.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,322.67 लाख की कमी स्वामी आत्मानंद आदर्श अंग्रेजी विद्यालय के कर्मचारियों को भुगतान किये जाने एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 3,677.33 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 33-समाप्त

प्रभारित-

(iv) ₹ 34.00 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(v) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4225-02-001-3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास-			
पूरक	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 34—समाज कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	1,07,13,10	83,01,44	(-)24,11,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			24,13,52
प्रभारित	40	00	(-)40
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			40
पूंजीगत:			
दत्तमत	8,51,00	5,60,82	(-)2,90,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			2,90,18
टीका एवं टिप्पणी:			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 2,411.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 2,413.52 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-2322-निर्देशन और प्रशासन—			
मूल	2,502.82		
पुनर्वि.	(-)1,065.44	1,437.38	1,436.59
			(-)0.79
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 82.68 लाख एवं ₹ 982.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,065.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई थी।			
(2) 2235-02-101-79-दृष्टि एवं श्रवण बाधितों हेतु शालाएं तथा संस्थाएं—			
मूल	1,609.00		
पुनर्वि.	(-)438.00	1,171.00	1,170.75
			(-)0.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 438.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई थी।			
(3) 2235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3921-निःशक्तजनो एवं विकलांगों के सहायता के लिये योजना—			
मूल	635.00		
पुनर्वि.	(-)75.38	559.62	559.62
			0.00

अनुदान संख्या 34—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.38 लाख की कमी पोषण आहार में स्वैच्छिक आयोजन पर कम व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2235-02-104-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7014—वरिष्ठ नागरिक सहायता योजना— मूल 75.00 पुनर्वि. (-)75.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान पी.एफ.एम.एस. कार्य के क्रियान्वयन पूर्ण नहीं होने पर व्यय नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2235-02-105-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 2245—नशाबन्दी कार्यक्रम— मूल 276.50 पुनर्वि. (-)276.50	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235-107-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5490—निःशक्तजनो के लिए राष्ट्रीय पुनर्वास कार्यक्रम— मूल 231.60 पुनर्वि. (-)113.26	118.34	118.34	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.26 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-02-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2969—बिलासपुर में जिला पुनर्वास केन्द्र की स्थापना— मूल 250.75 पुनर्वि. 77.78	328.53	328.53	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 82.68 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4.90 लाख की कमी बकाया भुगतान किये जाने के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 77.78 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 34—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5650-जिला निःशक्त पुनर्वास केन्द्र-			
मूल	90.00		
पुनर्वि.	(-)90.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4235-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 79-दृष्टि एवं श्रवण बाधितों हेतु शालाएँ तथा संस्थाएँ-			
मूल	205.00		
पुनर्वि.	(-)200.10	4.90	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 200.10 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 35—पुर्नवास
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
राजस्व	1,94,03	1,64,78	(-)29,25
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			30,11

टीका एवं टिप्पणियां:

राजस्व :

(i) ₹ 29.25 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 30.11 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-01-200-3135—भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये नव अप्रवासियों के पुर्नवास—			
मूल	16.10		
पुनर्वि.	(-)13.00	3.10	(-)0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13.00 लाख की कमी कम व्यय किए जाने एवं जिला कलेक्टरों से निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2235-01-200-4625—स्थायी दायित्व गृह, माना जिला रायपुर का संचालन—			
मूल	141.43		
पुनर्वि.	(-)13.02	128.41	+0.24

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 13.02 लाख की कमी कम व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2003-04 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—परिवहन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2013—मंत्री परिषद			
2041—वाहन कर			
2052—सचिवालय सामान्य सेवाएं			
2070—अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
5055—सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	92,74,69		
पूरक	9,81,00	1,02,55,69	65,74,85
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)36,80,84 34,16,78
प्रभारित—			
मूल	20,50		
पूरक	1,00,00	1,20,50	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,20,50 1,00,50
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	12,33,70		
पूरक	6,03,00	18,36,70	7,23,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)11,13,52 10,64,19
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:**दत्तमत—**

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 981.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 3,680.84 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 3,416.78 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2041-001-3565-मुख्यालय स्थापना—			
मूल	979.59		
पुनर्वि.	(-)541.71	437.88	438.85
			+0.97

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 541.71 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 36—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2041-001-5379—राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण— मूल 160.70 पुनर्वि. (-)73.32	87.38	87.28	(-)0.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 73.32 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2041-001-8333—सड़क सुरक्षा कोष से व्यय— मूल 268.98 पुनर्वि. (-)149.54	119.44	119.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.54 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2041-001-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6370—व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म— मूल 336.40 पुनर्वि. (-)336.40	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 2041-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6370—व्हीकल ट्रेकिंग प्लेटफार्म— मूल 504.60 पुनर्वि. (-)504.60	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2041-101-4280—संग्रह प्रभार— मूल 3,036.80 पूरक 500.00 पुनर्वि. (-)1,316.77	2,220.03	2,319.98	+99.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,316.77 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 99.95 लाख के अधिक व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2041-102-679—एन्फोर्समेंट— मूल 1,766.15 पूरक 31.00 पुनर्वि. (-)494.34	1,302.81	1,302.81	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 494.34 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2070-114-3598—मोटर गैरेज— मूल 1,351.37 पूरक 150.00	1,501.37	1,136.51	(-)364.86

अनुदान संख्या 36—समाप्त

₹ 364.86 लाख की अंतिम बचत के परिप्रेक्ष्य में अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 150.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। सम्पूर्ण बचत के समर्पण न करने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) ₹ 120.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 100.50 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(v) विनियोग में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2041-101-4280—संग्रह प्रभार—			
मूल	0.50		
पूरक	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.50	0.00	0.00

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(2) 2070-114-3598—मोटर गैरेज	20.00	0.00	(-)20.00
------------------------------	-------	------	----------

सम्पूर्ण विनियोग के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त किया गया ₹ 603.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ एवं यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) ₹ 1,113.52 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 1,064.19 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5055-800-3598—मोटर गैरेज	300.00	250.66	(-)49.34

बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(2) 5055-800-679—एन्फोर्समेंट—

मूल	871.00		
पूरक	603.00		
पुनर्वि.	(-)1,021.42	452.58	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,021.42 लाख की कमी भारत सरकार से राशि सीधे विभाग के बैंक खाते में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 37-पर्यटन

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
3452-पर्यटन			
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	51,48,17	45,74,50	(-)5,73,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			5,73,67
पूंजीगत	83,76,01	72,01,00	(-)11,75,01
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			11,75,01

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3239-छत्तीसगढ़ राज्य पर्यटन विकास मंडल को अनुदान-			
मूल	4,825.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	4,325.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 500.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा आंशिक रूप से निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 3452-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-
7323-भारतीय होटल
प्रबंधन संस्थान-

मूल	163.17		
पुनर्वि.	(-)73.67	89.50	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 73.67 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा आंशिक रूप से निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूंजीगत:

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6380-सिरपुर एकीकृत विकास योजना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)375.00	125.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 375.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा आंशिक रूप से निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 37—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 5452-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6396-कुदरगढ़ में रोपवे निर्माण-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)300.00	0.00	0.00
(3) 5452-80-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7323-भारतीय होटल प्रबंधन संस्थान-			
मूल	500.00		
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
		(₹ हजार में)	
मुख्य शीर्ष—			
2408—खाद्य भण्डारण तथा भण्डागार			
3475—अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें			
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय			
4408—खाद्य, भंडारण तथा भण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय			
6408—खाद्य भंडारण तथा भण्डागार के लिए कर्ज			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	25,24,39,10		
पूरक	6,50,00,00	31,74,39,10	29,27,88,48
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)2,46,50,62 2,46,34,95
प्रभारित	50	00	(-)50 50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			
पूंजीगत:			
दत्तमत	24,07,70	19,16	(-)23,88,54 23,88,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 24,650.62 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 24,634.95 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2408-01-001-1471-जिला कार्यालय—			
मूल	2,988.40		
पुनर्वि.	(-)455.21	2,533.19	2,526.86
			(-)6.33

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 455.21 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं चिकित्सा अग्रिम का लाभ नहीं लेने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2408-01-001-629-उपभोक्ता

संरक्षण प्रकोष्ठ—

मूल
 1,812.60 | | |

पूरक
 सांकेतिक | | |

पुनर्वि.
 (-)426.43 | 1,386.17 | 1,376.91 |

 (-)9.26 |

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 426.43 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 39—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2408-01-003-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण-			
मूल	387.40		
पुनर्वि.	(-)320.70	66.70	66.70
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 320.70 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2408-01-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7872-पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन-			
मूल	4,300.00		
पूरक	13,300.00		
पुनर्वि.	(-)9,711.00	7,889.00	7,889.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,711.00 लाख की कमी केंद्रांश प्राप्त नहीं होने से राज्यांश का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2408-01-101-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7872- पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन-			
मूल	0.10		
पूरक	13,300.00		
पुनर्वि.	(-)5,411.10	7,889.00	7,889.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,411.10 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2408-01-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 6401-राईस फोर्टिफिकेशन-			
मूल	232.00		
पूरक	900.00		
पुनर्वि.	(-)900.00	232.00	232.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 900.00 लाख की कमी केंद्रांश प्राप्त नहीं होने से राज्यांश का उपयोग नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2408-01-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6401-राईस फोर्टिफिकेशन-			
मूल	348.00		
पूरक	2,500.00		
पुनर्वि.	(-)2,776.21	71.79	71.79
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,776.21 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2408-01-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7894-उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण-			
मूल	4,250.00		
पुनर्वि.	(-)4,250.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 39—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 3475-106-6112-मुख्यालय एवं मंडल कार्यालय—			
मूल	820.85		
पुनर्वि.	(-)215.95	604.90	+0.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.95 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.50 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 6408-01-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6914-सुदूर क्षेत्रों हेतु वर्षा ऋतु में खाद्यान्न भंडारण हेतु सहायता—			
मूल	125.00		
पुनर्वि.	(-)125.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 6408-02-190-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)—

8545-नाबार्ड सहायता से

गोदाम निर्माण—

मूल
 2,250.00 | | |

पुनर्वि.
 (-)2,250.00 | 0.00 | 0.00 |

सम्पूर्ण प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम से दावा प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना

मुख्य शीर्ष—

- 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं
 2205—कला एवं संस्कृति
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलापूर्ति तथा सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2220—सूचना तथा प्रचार
 2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
 2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास
 2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी तथा वन्य प्राणी
 2408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागार
 2415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्राम रोजगार
 2515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलापूर्ति और सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषिकर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4403—पशुपालन पर पूंजी परिव्यय
 4405—मतस्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408—खाद्य भण्डारण तथा भांडागारपर पूंजीगत परिव्यय
 4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

अनुदान संख्या 41—जारी

कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य+ बचत(-)
(₹ हजार में)		
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय		
4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय		
4810—गैर-पारम्पारिक उर्जा स्रोतों पर पूंजीगत परिव्यय		
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		
4853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय		
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
5275—संचार/अन्य सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय		
6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज		
6408—खाद्य, भण्डारण एवं भण्डागार के लिए कर्ज		
6425—सहकारिता के लिए कर्ज		
राजस्व:		
दत्तमत—		
मूल	1,61,26,13,80	
पूरक	23,99,32,37	1,85,25,46,17
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		1,61,97,17,26
		(-)23,28,28,91
		24,77,66,25
प्रभारित		
मूल	10	
पूरक	20,00	20,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		19,81
		(-)29
		29
पूंजीगत:		
दत्तमत—		
मूल	31,64,82,47	
पूरक	9,19,74,40	40,84,56,87
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		32,80,69,30
		(-)8,03,87,57
		7,98,91,69
प्रभारित		
मूल	15,00	
पूरक	6,40,00	6,55,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2022)		6,40,00
		(-)15,00
		15,00

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 31,59,22 हजार सम्मिलित है जिसको वर्ष के दौरान स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2023 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व:

दत्तमत—

(i) ₹ 2,32,828.91 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 2,47,766.25 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेक पूर्ण था।

अनुदान संख्या 41-जारी

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3491-माध्यमिक शालाएं-(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 85,179.50 पूरक 107.04 पुनर्वि. (-)4,346.89	80,939.65	80,918.08	(-)21.57
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 2,000.00 लाख एवं ₹ 2,346.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान से ₹ 4,346.89 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4396-सरकारी प्राथमिक शालाएं- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 97,480.70 पूरक 532.75 पुनर्वि. (-)3,000.63	95,012.82	94,977.63	(-)35.19
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 2,000.00 लाख एवं ₹ 1,000.63 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों द्वारा निधि का आहरण नहीं किये जाने के कारण प्रावधान से ₹ 3,000.63 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 495-आश्रम और शालाएं- मूल 31,678.60 पूरक 2.91 पुनर्वि. (-)3,519.60	28,161.91	28,155.68	(-)6.23
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 183.30 लाख एवं ₹ 3,336.30 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं जिलों से निधि का कम मांग प्राप्त होने के कारण प्रावधान से ₹ 3,519.60 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2202-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5092-जवाहर उत्कर्ष योजना- मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)151.46	848.54	848.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.46 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2202-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 110-अशासकीय विद्यालय को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,531.44	3,468.56	3,468.56	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,401.72 लाख एवं ₹ 129.72 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान से ₹ 1,531.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2202-01-796-109-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना-			
मूल	3,125.10		
पूरक	2,127.10		
पुनर्वि.	(-)-2,133.60	3,118.50	3,118.50
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,133.60 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2202-01-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8979-एकीकृत अम्ब्रेला योजना-			
मूल	9,375.10		
पूरक	6,381.00		
पुनर्वि.	(-)-6,400.62	9,355.48	9,355.48
			0.00

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में किया गया आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,400.62 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(8) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1394-छात्राओं का गणवेश- (मूलभूत न्यूनतम- सेवाओं के लिए)-			
मूल	2,907.00		
पुनर्वि.	(-)-152.14	2,754.86	2,754.86
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,050.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,202.14 लाख की कमी प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान से ₹ 152.14 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(9) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3673-राज्य छात्रवृत्तियां-			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-)-1,415.84	3,584.16	3,584.17
			+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,415.84 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2202-01-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7437-मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना-			
मूल	3,353.10		
पुनर्वि.	(-)-481.13	2,871.97	2,872.11
			+0.14

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 481.13 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने कारण उल्लिखित की गई है। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2202-01-796-111-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7979-समग्र शिक्षा-			
मूल	15,200.00		
पुनर्वि.	(-)4,139.97	11,060.03	11,060.03
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,139.97 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 2202-01-796-112-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6615-प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण-			
मूल	7,914.00		
पुनर्वि.	(-)1,478.05	6,435.95	6,435.95
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,478.05 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 2202-01-796-112-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7765-मुख्यमंत्री अमृत योजना-			
मूल	271.00		
पुनर्वि.	(-)199.31	71.69	71.69
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.31 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2202-02-796-109-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5480-आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार, {अनुच्छेद-275(i)}-			
मूल	6,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,463.14	3,536.86	3,536.86
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,463.14 लाख की कमी जिलों में निधि की आवश्यकता नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 2202-02-796-109-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7979-समग्र शिक्षा-			
मूल	5,776.00		
पुनर्वि.	(-)3,022.35	2,753.65	2,753.65
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,022.35 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2202-02-796-109-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7979-समग्र शिक्षा-			
मूल	8,664.00		
पुनर्वि.	(-)270.34	8,393.66	8,393.66
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 270.34 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1395-छात्रावास-			
मूल	27,318.50		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(-)2,416.50	24,902.01	28,824.41
			(-)77.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,416.50 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(18) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5216-हाई स्कूल-			
मूल	40,794.60		
पूरक	3,852.31		
पुनर्वि.	(-)1,306.21	43,340.70	43,328.38
			(-)12.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,306.21 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(19) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5551-हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय-			
मूल	3,534.00		
पुनर्वि.	(-)1,070.17	2,463.83	2,463.83
			0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 1,050.00 लाख एवं ₹ 20.17 लाख की कमी से प्रावधान में ₹ 1,070.17 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(20) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 578-उच्चतर माध्यमिक विद्यालय-			
मूल	98,697.20		
पूरक	226.30		
पुनर्वि.	(-)6,137.40	92,786.10	92,760.44
			(-)25.66
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 226.30 लाख आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,000.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,137.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान से ₹ 6,137.40 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(21) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7363-युवा कैरियर निर्माण योजना-			
मूल	752.90		
पुनर्वि.	(-)477.19	275.71	491.38
			+215.67

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 477.19 लाख की कमी निधि की कम मांग होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 215.67 लाख का अधिक व्यय निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(22) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7592-खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न-			
मूल	2,400.00		
पुनर्वि.	(-)1,273.47	1,126.53	1,126.53
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,273.47 लाख की कमी निधि की कम मांग होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(23) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 761-कन्या शिक्षा परिसर-			
मूल	1,120.00		
पूरक	2.74		
पुनर्वि.	(-)112.68	1,010.06	1,019.76
			+9.70

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 112.68 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2202-02-796-109-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8549-विज्ञान वाणिज्य शिक्षा प्रोत्साहन योजना-			
मूल	349.90		
पुनर्वि.	(-)123.27	226.63	226.63
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 123.27 लाख की कमी जिलों से निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(25) 2202-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 307-अशासकीय संस्थाओं को अंशदान-			
मूल	8,378.10		
पुनर्वि.	(-)1,880.89	6,497.21	6,435.15
			(-)62.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,880.89 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2022)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2202-03-796-001-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-			
मूल	320.00		
पुनर्वि.	(-)133.14	186.86	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 133.14 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(27) 2202-03-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8971-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान-			
मूल	480.00		
पुनर्वि.	(-)199.71	280.29	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.71 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(28) 2202-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 798-कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय-			
मूल	11,890.90		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(-)1,430.89	10,460.02	(-)4.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,430.89 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने एवं मितव्ययी उपायों को अपनाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(29) 2203-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2668-पालिटेक्निक संस्थाएं-			
मूल	5,497.13		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(-)1,011.52	4,485.62	+25.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,011.52 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(30) 2204-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6407-राज्य युवा महोत्सव-			
मूल	190.00		
पूरक	114.00		
पुनर्वि.	(-)118.65	185.35	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 118.65 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार निधि स्वीकृत किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 2204-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6408—राज्य युवा मितान क्लब— मूल 2,850.00 पुनर्वि. (-)1,928.75	921.25	921.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,928.75 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(32) 2205-796-107-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5377—मुक्ताकाश संग्रहालय— मूल 905.00 पूरक (-)636.92	268.08	268.08	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 636.92 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 2210-01-796-110-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 6612—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन— मूल 600.80 पुनर्वि. (-)255.15	345.65	0.00	(-)345.65
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 255.15 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(34) 2210-01-796-110-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6612—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन— मूल 901.20 पुनर्वि. (-)901.20	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(35) 2210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6385—चिकित्सा विद्यालय संबद्ध अस्पताल— मूल 11,326.30 पुनर्वि. (-)3,149.63	8,176.67	8,162.71	(-)13.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,149.53 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 2210-01-796-110-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6389—सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय— मूल 463.40 पुनर्वि. (-)446.31	17.09	17.09	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 446.31 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(37) 2210-02-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7730-राष्ट्रीय आयुष मिशन- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)330.00	70.00	70.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 330.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(38) 2210-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7730-राष्ट्रीय आयुष मिशन- मूल 600.00 पुनर्वि. (-)495.00	105.00	105.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 495.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा प्राप्त स्वीकृति के आधार पर व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(39) 2210-02-769-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना- मूल 740.80 पुनर्वि. (-)139.66	601.14	599.56	(-)1.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.66 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(40) 2210-03-796-110-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6611-प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन- मूल 1,916.72 पुनर्वि. (-)1,916.72	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(41) 2210-03-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6611-प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन- मूल 2,875.46 पुनर्वि. (-)2,875.46	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(42) 2210-03-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6884-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन-			
मूल	17,984.00		
पूरक	13,300.00		
पुनर्वि.	(-7,713.00)	23,571.00	23,571.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,713.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 2210-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना-			
मूल	3,610.90		
पुनर्वि.	(-740.40)	2,870.50	2,869.84
			(-0.66)
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 740.40 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(44) 2210-04-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5683-जिला एलोपैथिक चिकित्सालयों में में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठ की स्थापना-			
मूल	554.90		
पुनर्वि.	(-167.40)	387.50	387.85
			+0.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 167.40 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किये जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(45) 2210-05-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6386-चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय-			
मूल	10,735.75		
पुनर्वि.	(-2,336.54)	8,399.21	8,383.00
			(-16.21)
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,336.54 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(46) 2210-06-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6388-चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र-			
मूल	547.96		
पुनर्वि.	(-129.02)	418.94	419.13
			+0.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 129.02 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(47) 2210-06-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण-			
मूल	781.10		
पुनर्वि.	(-)212.46	568.64	567.29
			(-)1.35
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 212.46 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(48) 2210-06-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4244-मलेरिया-			
मूल	1,841.69		
पुनर्वि.	(-)102.86	1,738.83	1,675.05
			(-)63.78
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.86 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(49) 2210-06-796-200-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6613-15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान-			
मूल	17,252.00		
पुनर्वि.	(-)17,252.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(50) 2210-06-796-200-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6363-मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना-			
मूल	1,900.00		
पुनर्वि.	(-)1,520.00	380.00	380.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,520.00 लाख की कमी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(51) 2211-796-001-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1508-जिला स्तरीय अमला-			
मूल	275.50		
पुनर्वि.	(-)153.98	121.52	121.03
			(-)0.49
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.98 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(52) 2211-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 621-उप स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	14,202.25		
पुनर्वि.	(-)225.72	13,976.53	12,768.27
			(-)1,208.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 225.72 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(53) 2215-01-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1196-ग्रामीण जल प्रदाय सर्वेक्षण एवं जॉच पड़ताल- मूल 110.00 पुनर्वि. (-)106.80	3.20	3.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 106.80 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)।			
(54) 2215-02-796-107-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7610-स्वच्छ भारत अभियान- मूल 7,600.00 पुनर्वि. (-)5,416.31	2,183.69	2,183.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,416.31 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(55) 2215-02-796-107-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7610-स्वच्छ भारत अभियान- मूल 11,400.00 पुनर्वि. (-)8,124.47	3,275.53	3,275.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,124.47 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुसार राज्यांश जारी किये जाने एवं कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(56) 2216-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7807-प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)- मूल 19,000.00 पुनर्वि. (-)3,750.60	15,249.40	15,249.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,750.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(57) 2217-80-796-191-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन- मूल 134.20 पुनर्वि. (-)134.20	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(58) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सभी के लिए आवास योजना- मूल 7,100.00 पुरक 11,288.58 पुनर्वि. (-)11,106.73	7,281.85	7,281.85	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 4,065.45 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 7,041.28 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 11,106.73 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(59) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8996-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन-			
मूल	201.30		
पुनर्वि.	(-)201.30	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(60) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सभी के लिए आवास योजना-			
मूल	3,100.00		
पूरक	4,989.87		
पुनर्वि.	(-)4,871.09	3,218.78	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 4,871.09 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(61) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7709-सभी के लिए आवास योजना-			
मूल	2,600.00		
पूरक	4,136.00		
पुनर्वि.	(-)4,068.02	2,667.98	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 4,068.02 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं के कारण उल्लिखित की गई है।

(62) 2225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग-			
मूल	1,925.00		
पुनर्वि.	(-)1,925.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(63) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6870-अनुसूचित जनजाति के हितग्राहियों को ऋण उपलब्ध बाबत-			
मूल	350.00		
पुनर्वि.	(-)250.00	100.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(64) 2225-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9853-आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास-			
मूल	995.00		
पूरक	2,572.83		
पुनर्वि.	(-)2,746.00	821.83	3,341.05
			+2,519.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,746.00 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(65) 2225-02-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएं-			
मूल	578.00		
पुनर्वि.	(-)290.68	287.32	287.32
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 290.68 लाख की कमी जिलों द्वारा निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(66) 2230-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7632-युवा क्षमता विकास योजना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(67) 2230-03-796-003-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7867-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	400.00		
पुनर्वि.	(-)400.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)।			
(68) 2230-03-796-003-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7955-जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण-			
मूल	228.00		
पुनर्वि.	(-)228.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)।			
(69) 2230-03-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7867-प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	600.00		
पुनर्वि.	(-)600.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(70) 2230-03-796-003-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7955-जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण-			
मूल	342.00		
पुनर्वि.	(-)342.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(71) 2230-03-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 717-औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं-			
मूल	3,748.29		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)734.08	3,014.21	3,013.16 (-)1.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 734.08 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(72) 2230-03-796-003-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8935-लाइवलीहुड कॉलेज-			
मूल	490.00		
पुनर्वि.	(-)249.50	240.50	240.50 0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 249.50 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(73) 2230-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना-			
मूल	3,385.00		
पुनर्वि.	(-)3,385.00	0.00	0.00 0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(74) 2235-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 79-दृष्टि एवं श्रवण बधितार्थ शालाएं तथा संस्थाएं-			
मूल	577.25		
पुनर्वि.	(-)149.07	428.18	428.50 +0.32
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.07 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(75) 2235-02-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना)-			
मूल	1,321.19		
पुनर्वि.	(-)699.92	621.27	621.27 0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,321.19 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,021.11 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 699.19 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(76) 2235-02-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7884-प्रधान मंत्री मातृ वंदना-			
मूल	1,219.93		
पूरक	320.00		
पुनर्वि.	(-)519.59	1,020.34	1,020.34
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 519.59 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(77) 2235-02-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 9044-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना-			
मूल	12,194.70		
पुनर्वि.	(-)8,097.89	4,096.81	4,096.05
			(-)0.76

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,097.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(78) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अंतर्गत योजना)-			
मूल	5,284.75		
पुनर्वि.	(-)5,284.75	0.00	0.00
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,321.19 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,963.56 लाख की कमी से सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(79) 2235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7884-प्रधान मंत्री मातृ वंदना-			
मूल	253.85		
पुनर्वि.	(-)253.85	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(80) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को मानदेय-			
मूल	8,840.00		
पुनर्वि.	(-)377.34	8,462.66	8,463.34
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 377.34 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी केन्द्रांश के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(81) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7680-आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई घटक- मूल 960.00 पुनर्वि. (-)295.41	664.59	664.59	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 295.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(82) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना- मूल 646.00 पुनर्वि. (-)484.50	161.50	161.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 484.50 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(83) 2235-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8958-आंगनवाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय- मूल 205.10 पुनर्वि. (-)148.22	56.88	56.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(84) 2235-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6641-वन स्टॉप सेन्टर (सखी)- मूल 370.00 पुनर्वि. (-)370.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केद्रांश जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(85) 2235-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6642-बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ- पूरक 140.00 पुनर्वि. (-)140.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केद्रांश जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(86) 2236-02-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 13,049.25 पुनर्वि. (-)2,998.71	10,050.53	10,050.54	+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26.47 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,972.24 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 2,998.71 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(87) 2236-02-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	13,049.25		
पुनर्वि.	(-)2,998.71	10,050.53	10,050.54
			+0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26.47 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,972.24 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 2,998.71 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(88) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-- 6359-मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान-			
मूल	2,335.21		
पुनर्वि.	(-)1,477.25	857.96	857.95
			(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,477.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(89) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7747-महतारी जतन योजना-			
मूल	1,441.10		
पुनर्वि.	(-)921.59	519.51	519.51
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 921.59 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(90) 2236-02-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना-			
मूल	2,990.00		
पुनर्वि.	(-)1,044.35	1,945.65	1,934.65
			(-)11.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,044.35 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(91) 2401-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-			
मूल	1,520.00		
पुनर्वि.	(-)684.33	835.67	835.67
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 684.33 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(92) 2401-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7258-राष्ट्रीय मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम-			
मूल	172.00		
पुनर्वि.	(-)139.76	32.24	32.24
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.76 लाख की कमी शासन द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(93) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन-			
मूल	2,280.00		
पुनर्वि.	(-)1,026.50	1,253.50	1,253.50
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,026.50 लाख की कमी सरकार द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(94) 2401-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7258-राष्ट्रीय मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम-			
मूल	258.00		
पुनर्वि.	(-)209.63	48.37	48.37
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 209.63 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(95) 2401-796-103-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7264-एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना-			
मूल	298.00		
पुनर्वि.	(-)201.88	96.12	96.12
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 201.88 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(96) 2401-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7264-एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना-			
मूल	447.00		
पुनर्वि.	(-)302.82	144.18	144.18
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 302.82 लाख की कमी निधि के जारी निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(97) 2401-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6448-गोधन न्याय योजना-			
मूल	6,650.00		
पुनर्वि.	(-2,857.00)	3,793.00	3,793.00
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,857.00 लाख की कमी जिलों से मांग अनुसार निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(98) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6606-भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति-			
मूल	220.00		
पुनर्वि.	(-220.00)	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना के क्रियांवयन नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(99) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	1,976.00		
पुनर्वि.	(-1,782.75)	193.25	193.25
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,782.75 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(100) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7266-एन.एम.एस.ए. रेन फेड ऐरिया डेवलपमेंट योजना-			
मूल	206.84		
पुनर्वि.	(-115.04)	91.80	91.80
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 115.04 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(101) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7267-एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मैनेजमेंट स्कीम-			
मूल	232.40		
पुनर्वि.	(-232.40)	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(102) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
मूल	772.00		
पुनर्वि.	(-415.50)	356.50	356.50
			0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 415.50 लाख की कमी निधि के जारी किए जाने के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(103) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7830-परम्परागत कृषि विकास योजना- मूल 256.00 पुनर्वि. (-)256.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(104) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7832-टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)- मूल 1,294.00 पुनर्वि. (-)1,294.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(105) 2401-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)- मूल 1,520.00 पुनर्वि. (-)1,520.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना बंद किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(106) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6606-भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति- मूल 330.00 पुनर्वि. (-)330.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना के क्रियांवयन नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(107) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 2,964.00 पुनर्वि. (-)2,674.12	289.88	289.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,674.12 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(108) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7266-एन.एम.एस.ए. रेनफेड एरिया डेवलपमेंट स्कीम- मूल 310.26 पुनर्वि. (-)172.56	137.70	137.70	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 172.56 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(109) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7267-एन.एम.एस.ए. स्वाईल हेल्थ मेनेजमेंट योजना-			
मूल	348.60		
पुनर्वि.	(-348.60	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(110) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7684-प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना-			
मूल	1,158.00		
पुनर्वि.	(-623.25	534.75	534.75

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 623.25 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(111) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7830-परम्परागत कृषि विकास योजना-			
मूल	384.00		
पुनर्वि.	(-384.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(112) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7832-टारगेटेड राईस फेलो एरिया-			
मूल	1,941.00		
पुनर्वि.	(-1,941.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(113) 2401-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8942-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)-			
मूल	2,280.00		
पुनर्वि.	(-2,280.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान योजना बंद किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(114) 2401-796-108-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5549—गन्ना कृषकों को बोनस— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)1,400.11	1,599.89	1,599.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,400.11 लाख की कमी सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(115) 2401-796-109-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)150.59	329.41	329.41	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.59 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(116) 2401-796-109-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7269—एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 720.00 पुनर्वि. (-)318.39	401.61	401.61	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 318.39 लाख की कमी निधि के जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(117) 2401-796-113-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,024.00 पुनर्वि. (-)344.00	680.00	680.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 344.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी किए जाने के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(118) 2401-796-113-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान— मूल 1,536.00 पुनर्वि. (-)516.00	1,020.00	1,020.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 516.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी किए जाने के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(119) 2401-796-119-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(सामान्य)- मूल 384.00 पुनर्वि. (-)343.62	40.38	40.38	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 343.62 लाख की कमी केन्द्रांश कम प्राप्त होने से राज्यांश मद में व्यय कम किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(120) 2401-796-119-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- मूल 512.00 पुनर्वि. (-)155.50	356.50	356.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 155.50 लाख की कमी केन्द्रांश कम प्राप्त होने से राज्यांश मद में व्यय कम किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(121) 2401-796-119-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7705-एकीकृत बागवानी विकास मिशन- मूल 2,624.00 पुनर्वि. (-)1,322.68	1,301.32	1,301.32	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 197.20 लाख एवं ₹ 1,125.48 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत निधि हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने एवं भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,322.68 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(122) 2401-796-119-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7947-एन.एम.एस.ए. के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन- मूल 153.60 पुनर्वि. (-)153.60	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(123) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 576.00 पुनर्वि. (-)515.44	60.56	60.56	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 515.44 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(124) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7258-नेशनल मिशन आन आईलसीड्स एन्ड आईलपाम-	मूल 192.00 पुनर्वि. (-)161.17	30.83	30.83
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 161.17 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(125) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7684-प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-	मूल 768.00 पुनर्वि. (-)233.25	534.75	534.75
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 233.25 लाख की कमी योजना के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(126) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7705-एकीकृत बागवानी विकास मिशन-	मूल 3,936.00 पुनर्वि. (-)1,984.00	1,952.00	1,952.00
			0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 295.79 लाख एवं ₹ 1,688.21 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत निधि हेतु कम स्वीकृति प्राप्त होने एवं भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,984.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(127) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7874-नेशनल मिशन ऑन एग्रोफोरेस्ट्री (एन.एम.एस.ए.)-	मूल 136.80 पुनर्वि. (-)136.80	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष 2022-23 से भारत सरकार द्वारा योजना का क्रियायवन बंद किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(128) 2401-796-119-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7947-एन.एम.एस.ए. के तहत पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन-	मूल 230.40 पुनर्वि. (-)230.40	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना अंतर्गत कम निधि प्राप्त होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(129) 2401-796-800-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6353-चिराग योजना-			
मूल	7,000.00		
पुनर्वि.	(-)7,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(130) 2402-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम-			
मूल	1,520.00		
पुनर्वि.	(-)697.66	822.34	822.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 697.66 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के विमुक्ति अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(131) 2402-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7350-एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम-			
मूल	2,280.00		
पुनर्वि.	(-)1,046.50	1,233.50	1,233.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,046.50 लाख की कमी शासन द्वारा निधि के विमुक्ति अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(132) 2403-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 5620-पशु रोग नियंत्रण-			
मूल	112.00		
पुनर्वि.	(-)102.90	9.10	9.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.90 लाख की कमी शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(133) 2403-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5620-पशु रोग नियंत्रण-			
मूल	168.00		
पुनर्वि.	(-)154.34	13.66	13.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 154.34 लाख की कमी शासन द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(134) 2403-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7621-नेशनल लाइवस्टॉक मिशन-			
मूल	171.40		
पुनर्वि.	(-)171.40	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(135) 2403-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7621-नेशनल लाइवस्टॉक मिशन-			
मूल	257.10		
पुनर्वि.	(-)257.10	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(136) 2403-796-108-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	646.00		
पुनर्वि.	(-)607.64	38.36	38.36

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 607.64 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(137) 2403-796-108-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)-			
मूल	969.00		
पुनर्वि.	(-)911.44	57.56	57.56

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 911.44 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(138) 2405-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6449-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-			
मूल	537.00		
पुनर्वि.	(-)272.23	264.76	264.76

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 272.23 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(139) 2405-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना(सामान्य)-			
मूल	280.00		
पुनर्वि.	(-)280.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(140) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6449-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना-			
मूल	805.00		
पुनर्वि.	(-)407.85	397.15	397.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 407.85 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(141) 2405-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)- मूल 420.00 पुनर्वि. (-)420.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(142) 2406-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2962-बिगड़े वनों का सुधार- मूल 10,907.40 पुनर्वि. (-)127.59	10,779.81	10,791.20	+11.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 127.59 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 11.39 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का द्योतक है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(143) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2533- हरियाली प्रसार योजना- मूल 900.00 पुनर्वि. (-)98.23	801.77	799.44	(-)2.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं अधिनस्थ कार्यालयों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(144) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4475-सामाजिक वानिकी- मूल 375.00 पुनर्वि. (-)176.23	198.77	198.80	+0.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 176.23 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं अधीनस्थ अधिकारियों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(145) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5091-लोक संरक्षित क्षेत्र की स्थापना- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)165.87	134.13	133.13	(-)1.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 165.87 लाख की कमी निधि हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(146) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार- मूल 3,265.00 पुनर्वि. (-)308.50	2,956.50	2,956.54	+0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 308.50 लाख की कमी अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा वित्त वर्ष समाप्त होने के पहले व्यय नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(147) 2406-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6854-लाख विकास योजना- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(148) 2406-01-796-105-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5231-लघु वनोपज कार्य हेतु लघु वनोपज संघ को अनुदान- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(149) 2406-01-796-105-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6373-लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान- मूल 416.50 पुनर्वि. (-)416.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन के साथ ही भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(150) 2406-01-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6373-लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान- मूल 1,249.50 पुनर्वि. (-)1,249.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान राज्य शासन के साथ ही भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(151) 2406-02-796-110-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 3730-प्रोजेक्ट टाईगर-			
मूल	920.00		
पुनर्वि.	(-)663.78	256.22	256.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 663.78 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(152) 2406-02-796-110-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6539-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास-			
मूल	170.56		
पुनर्वि.	(-)150.11	20.45	20.45
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.11 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(153) 2406-02-796-110-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6771-अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व का विकास-			
मूल	133.76		
पुनर्वि.	(-)133.76	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(154) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3730-प्रोजेक्ट टाईगर-			
मूल	1,380.00		
पुनर्वि.	(-)1,102.39	277.61	277.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,102.39 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2009-10 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(155) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6539-राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यों का विकास-			
मूल	255.84		
पुनर्वि.	(-)224.51	31.33	31.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 224.51 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(156) 2406-02-796-110-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6771-अचानकमार अमरकंटक बायोस्फेयर रिजर्व का विकास-			
मूल	200.64		
पुनर्वि.	(-)200.64	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(157) 2406-04-796-101-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7857-पारिस्थितिकीय सेवा विकास परियोजना-			
मूल	224.00		
पुनर्वि.	(-)224.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(158) 2406-04-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	140.00		
पुनर्वि.	(-)140.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(159) 2406-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7261-राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम-			
मूल	210.00		
पुनर्वि.	(-)210.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई दृष्टिगत हुई थी।			
(160) 2408-01-796-003-0102- अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8919-सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण-			
मूल	303.90		
पुनर्वि.	(-)257.71	46.19	46.19
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.71 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(161) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7436-अन्तोदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय-			
मूल	17,100.00		
पूरक	15,000.00		
पुनर्वि.	(-)5,000.00	27,100.00	27,100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,000.00 लाख की कमी विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(162) 2408-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7894-उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण-			
मूल	3,230.00		
पुनर्वि.	(-)3,230.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभाग द्वारा निधि विमुक्त नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(163) 2415-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5006-जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नियमों का संशोधन नहीं किये जाने एवं सम्पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(164) 2415-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5628-कृषक ऋण ब्याज दर युवित्करण हेतु ब्याज अनुदान- मूल 10,462.54 पुनर्वि. (-)3,508.00	6,954.54	6,954.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,508.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(165) 2415-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7889-प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण	380.00	0.00	(-)380.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(166) 2501-06-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- मूल 5,755.12 पुनर्वि. (-)4,311.93	1,443.19	1,443.19	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,311.93 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने एवं वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(167) 2501-06-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7490-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन- मूल 8,632.68 पुनर्वि. (-)6,467.89	2,164.79	2,164.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,467.89 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने एवं भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(168) 2505-60-796-196-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना- मूल 16,150.00 पुनर्वि. (-)5,047.84	11,102.16	11,102.16	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,047.84 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्ति अनुसार राज्यांश का आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(169) 2505-60-796-196-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6728-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना-			
मूल	48,450.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)9,487.10	38,962.90	38,962.90
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,487.10 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश के विमुक्त अनुसार आहरण किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(170) 2515-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1208-ग्रामीण यांत्रिकी सेवा-			
मूल	3,843.55		
पुनर्वि.	(-)825.74	3,017.81	3,020.12
			+2.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 825.74 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(171) 2702-03-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5707-शाकम्बरी योजना-			
मूल	494.00		
पुनर्वि.	(-)103.98	390.02	390.02
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 103.98 लाख की कमी क्रियांवयन संस्थान द्वारा प्रस्तुत देयक के आधार पर व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(172) 2810-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6375-दिव्यांगजन हेतु सौर चलित ट्राईसायकल योजना-			
मूल	114.00		
पुनर्वि.	(-)114.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(173) 2851-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 164-नैसर्गिक टसर कोसा उत्पादन विकास योजना-			
मूल	870.00		
पुनर्वि.	(-)514.03	355.97	355.97
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 514.03 लाख की कमी अनुमान अनुसार कैम्प तथा रैली का आयोजन नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(174) 2851-796-107-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5662-पालित प्रजाति के कृमि पालकों को टसर स्वस्थ डिम्ब समूह-			
मूल	1,084.00		
पूरक	70.07		
पुनर्वि.	(-)113.99	1,040.08	1,040.08
			0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.99 लाख की कमी टसर कोकून की आपूर्ति मांग अनुसार नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(175) 2852-80-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना-			
मूल	1,560.00		
पुनर्वि.	(-)152.42	1,407.58	1,407.58
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 152.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 110-अशासकीय विद्यालय को अनुदान (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)-			
मूल	3,500.00		
पुनर्वि.	5,644.01	9,144.01	9,144.00
			(-)0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,401.72 लाख की वृद्धि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय के कर्मचारियों के वेतन भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,757.71 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान में ₹ 5,644.01 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 2210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला अस्पताल-			
मूल	12,158.20		
पूरक	10,500.00		
पुनर्वि.	(-)715.96	21,942.24	23,807.30
			+1,865.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 715.96 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 1,865.06 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का द्योतक है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2210-03-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	8,389.20		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(-)864.11	7,525.10	13,714.22
			+6,189.12

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 864.11 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 6,189.12 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का द्योतक है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ था।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	14,042.30		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)609.66	13,432.64	14,794.09
			+1,361.45

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 609.66 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 1,361.45 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का द्योतक है।

(5) 2210-03-796-198-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र-				
मूल	5,066.95			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)988.76	4,078.19	7,901.34	+3,823.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 988.76 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 3,823.15 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का द्योतक है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर आधिक्य दृष्टिगत हुआ था।

(6) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट-				
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	3,118.73	3,118.73	3,118.73	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,818.73 लाख का आवर्धन स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत नवीन योजना का क्रियांवयन किये जाने एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(7) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6655-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.आई.सी. एवं बिहेवियर चेंज-				
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	477.62	477.62	477.62	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 477.62 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(8) 2217-80-796-191-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6656-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग, स्कूल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट-				
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	175.46	175.46	175.46	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 175.46 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,378.56	1,378.56	1,378.56	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,378.56 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2217-80-796-192-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6655-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.आई.सी. एवं बिहेवियर चेंज- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 211.12	211.12	211.12	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 211.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 1,142.66	1,142.66	1,142.66	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,142.66 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2217-80-796-193-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6655-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.आई.सी. एवं बिहेवियर चेंज- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 175.00	175.00	175.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 175.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधि प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(13) 2401-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)- 6438-राजीव गांधी किसान न्याय योजना- मूल 1,92,000.00 पूरक 30,000.00 पुनर्वि. 5,754.00	2,27,754.00	2,27,754.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,754.00 लाख का आवर्धन भुगतान हेतु निधि की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 2401-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)- 7797-प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना- मूल 18,560.00 पुनर्वि. 1,343.06	18,917.08	19,903.06	+985.98

अनुदान संख्या 41-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,353.99 लाख की वृद्धि निधि की अतिरिक्त आवश्यकता होने एवं समर्पण द्वारा ₹ 10.93 लाख की कमी शासन द्वारा प्राप्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,343.06 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2425-796-107-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6639-डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राईमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरटिव्ह सोसाइटीज- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 0.00	0.00	152.00	+152.00
₹ 152.00 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(16) 2425-796-107-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6639-डिजिटलाइजेशन ऑफ प्राईमरी एग्रीकल्चर को-ऑपरटिव्ह सोसाइटीज- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 0.00	0.00	228.00	+228.00
₹ 228.00 लाख के आधिक्य व्यय के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(17) 2810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना (सामान्य)- 7695-विद्यमान संयंत्रों की क्षमता उन्नयन व संधारण- मूल 1,520.00 पुनर्वि. 114.00	1,634.00	1,634.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 114.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

पूजीगत:

दत्तमत-

(v) ₹ 80,387.57 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 79,891.69 लाख का अभ्यर्पण किया गया।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-796-201-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7657-विज्ञान केन्द्र की स्थापना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय अनुमति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4202-01-796-202-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना- पूरक 12,000.00 पुनर्वि. (-)2,291.71	9,708.29	9,708.29	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 2,291.71 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(3) 4202-01-796-202-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना- मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)112.72	5,887.28	5,887.28	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 112.72 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(4) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1400-विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना- मूल 5,541.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,304.14	2,236.87	2,237.12	+0.25
समर्पण द्वारा प्रावधान में ₹ 3,304.14 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 4202-01-796-202-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5086-कॉलेज भवन का निर्माण- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(6) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7290-बस्तर विश्वविद्यालय- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7751-स्वामी विवेकानन्द ज्ञानदीप योजना- मूल 120.00 पुनर्वि. (-)120.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(8) 4202-02-796-103-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7438-स्टेट स्कूल डेव्हलपमेंट मिशन- मूल 137.50 पुनर्वि. (-)137.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4202-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7438-स्टेट स्कूल डेव्हलपमेंट मिशन-			
मूल	412.50		
पुनर्वि.	(-)412.50	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 4202-02-796-104-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 2668-पॉलिटैक्निक संस्थाएं-			
मूल	1,582.80		
पुनर्वि.	(-)1,106.06	476.74	476.74
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 8.26 लाख एवं ₹ 1,097.80 लाख की कमी भारत सरकार से प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पी.एफ.एम.एस. पोर्टल में तकनीकी खराबी आ जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,106.06 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(11) 4202-02-796-800-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 3728-आदिवासी संस्कृति का संवर्धन, अनुसंधान, प्रशिक्षण एवं विकास-			
मूल	1,035.18		
पुनर्वि.	(-)1,035.18	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(12) 4210-01-796-110-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6385-चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय-			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)144.60	155.40	155.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.60 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 4210-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 1473-जिला चिकित्सालय-			
मूल	1,667.00		
पुनर्वि.	(-)717.62	949.38	1,015.63
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 717.62 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 66.25 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का द्योतक है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 4210-02-796-103-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 500.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)215.09	284.91	294.14	+9.23
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 215.09 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4210-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र- मूल 900.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)434.25	465.75	497.75	+32.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 434.25 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 32.00 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का कारण है।			
(16) 4210-03-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6386-चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय- मूल 6,411.00 पूरक 13,759.24 पुनर्वि. (-)982.00	19,188.24	19,188.24	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 982.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6386-चिकित्सा, दंत, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय- मूल 9,920.00 पुनर्वि. (-)139.40	9,780.60	9,780.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6383-जल जीवन मिशन योजना- मूल 18,149.78 पुनर्वि. (-)18,149.78	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना- मूल 773.00 पुनर्वि. (-)309.22	463.78	463.78	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 309.22 लाख की कमी निधि की मांग नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(20) 4215-01-796-102-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7858-सौर उर्जा आधारित ग्रामीण पेयजल योजना- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2715-प्रशासन- मूल 546.58 पुनर्वि. (-)440.61	105.97	105.97	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 440.61 लाख की कमी निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)313.12	86.88	86.88	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 313.12 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(23) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5700-शालाओं में पेयजल व्यवस्था- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)115.05	84.95	84.95	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 90.00 लाख एवं ₹ 25.05 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 115.05 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(24) 4215-01-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6420-गोटानों में नलकुप खनन- मूल 380.00 पुनर्वि. (-)156.75	223.25	223.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.75 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 4225-02-796-102-0802-केन्द्र क्षेत्रीय योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5024-आदिवासी विशेष पिछड़ा वर्ग- मूल 11,000.00 पुनर्वि. (-)11,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि के लिए मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(26) 4225-02-796-800-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7844-शहीद वीर नारायण स्मारक एवं संग्रहालय- मूल 600.00 पूरक 30.36 पुनर्वि. (-)135.18	495.18	495.18	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 135.18 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत हुई थी।			
(27) 4235-02-796-102-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण- मूल 146.25 पुनर्वि. (-)146.25	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(28) 4235-02-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण- मूल 325.00 पुनर्वि. (-)325.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 4235-02-796-103-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6641-वन रॉप सेन्टर (सखी)- पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केंद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(30) 4401-796-119-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7970-प्लग टाइप यूनिट की स्थापना- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान शासन द्वारा स्वीकृति नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 4406-01-796-070-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4342-सड़के तथा मकान निर्माण कार्य- मूल 600.00 पुनर्वि (-)113.92	486.08	489.09	+3.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.92 लाख की कमी अधीनस्थ वित्त से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(32) 4406-01-796-105-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 6373-लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान- मूल 458.50 पुनर्वि (-)458.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(33) 4406-01-796-105-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6373-लघु वनोपज प्रसंस्करण हेतु अनुदान- मूल 1,375.50 पुनर्वि (-)1,375.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(34) 4415-01-796-277-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 9182-इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय- मूल 1,593.00 पुनर्वि. (-)1,593.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि के विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 4425-796-108-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7678-सहकारी संस्थाओं के लिए अंश पूंजी- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)400.00	1,100.00	1,100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(36) 4425-796-200-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण- मूल 217.00 पूरक 2,010.00 पुनर्वि. (-)970.00	1,257.00	1,257.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 970.00 लाख की कमी वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(37) 4515-796-102-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन— मूल 912.00 पुनर्वि. (-)637.51	274.49	274.49	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 637.51 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश का आहरण किए जाने एवं वित्त विभाग द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन प्राप्त नहीं होने कारण उल्लिखित की गई है।			
(38) 4515-796-102-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन— मूल 1,368.00 पुनर्वि. (-)956.27	411.73	411.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 956.27 लाख की कमी केन्द्रांश के अनुरूप राज्यांश का आहरण किए जाने एवं कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 4515-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6437—ग्रामीण क्षेत्रों में गौठान निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(40) 4515-796-103-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7493—विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	11,600.00	11,451.72	(-)148.28
₹ 148.28 लाख के कुल बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं किया गया। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(41) 4700-03-796-800-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2898—बांध एवं संलग्न कार्य— मूल 990.10 पुनर्वि. (-)755.39	234.71	234.71	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 755.39 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति एवं वृक्षारोपण मुआवजा हेतु राज्य शासन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(42) 4700-80-796-005-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4416—सर्वेक्षण— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,379.05	120.95	120.95	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,379.05 लाख की कमी सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(43) 4701-08-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	520.00		
पुनर्वि.	(-)112.11	407.89	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 112.11 लाख की कमी भूमि मुआवजे मामले का निपटारा नहीं किये जाने एवं निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है।			
(44) 4701-25-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(45) 4701-29-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	295.00		
पुनर्वि.	(-)295.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरण हेतु अवार्ड पारित नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(46) 4701-31-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरण हेतु अवार्ड पारित नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(47) 4701-34-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2898-बांध एवं संलग्न कार्य-			
मूल	1,010.00		
पुनर्वि.	(-)1,008.33	1.67	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,008.33 लाख की कमी निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(48) 4701-80-796-005-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान सर्वेक्षण कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(49) 4702-796-101-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 40,000.00 पुनर्वि. (-)24,088.79	15,911.21	15,643.22	(-)267.99
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 24,088.79 लाख की कमी वन विभाग से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने, नवीन योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(50) 4702-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 5059—एनीकट/स्टॉपडेम का निर्माण— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)3,843.48	3,156.52	3,156.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,843.48 लाख की कमी नवीन योजना हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(51) 4702-796-102-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7422—औद्योगिक जल संरचना निर्माण— मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)3,187.87	812.13	812.13	0.00
₹ 168.00 लाख का पुनर्विनियोजन एवं ₹ 3,019.87 लाख का समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,187.87 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा प्रक्रिया में धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(52) 4702-796-800-0705—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 6354—बांध पुर्नवास एवं सुधार प्रोजेक्ट— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(53) 4702-796-800-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6354—बांध पुर्नवास एवं सुधार प्रोजेक्ट— पूरक 700.00 पुनर्वि. (-)700.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(54) 4801-02-796-190-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 7498—पूजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी— मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)1,900.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 41-जारी

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(55) 4810-796-101-0312-नाबार्ड सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6415-प्रधान मंत्री कुसुम योजना-			
मूल	3,800.00		
पुनर्वि.	(-)3,800.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(56) 4810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6416-सोलर पंप के माध्यम से नदी/एनीकटों के जल से तालाबो का भरने की योजना-			
मूल	570.00		
पुनर्वि.	(-)342.00	228.00	228.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 342.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(57) 4851-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5385-नये औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(58) 5054-04-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना 4871-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मार्गों पर पुलों का निर्माण-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-)1,500.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(59) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4855-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	22,800.00		
पूरक	8,369.50		
पुनर्वि.	(-)225.46	30,944.04	30,944.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 225.46 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केद्रांश जारी किये जाने के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 41-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(60) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड सहायता योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7475-मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना- मूल 7,241.00 पुनर्वि. (-)5,867.60	1,373.40	1,296.38	(-)77.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,867.60 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(61) 5054-04-796-337-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8650-मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना- मूल 1,900.00 पुनर्वि. (-)41.66	1,858.34	1,761.39	(-)96.95
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 41.66 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(62) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 750.00 पुनर्वि. (-)750.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(63) 5275-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7861-संचार क्रांति योजना- मूल 4,140.00 पूरक 363.28 पुनर्वि. (-)363.28	4,140.00	4,140.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 363.28 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान के बराबर रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 363.28 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ।			
(64) 6215-01-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2182-नई नगरीय जल प्रदाय योजनाएं- मूल 1,600.00 पुनर्वि. (-)1,600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(65) 6408-02-796-190-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण- मूल 1,710.00 पुनर्वि. (-)1,710.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम से दावा प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 41-जारी

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-796-102-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 6383-जल जीवन मिशन योजना-			
मूल	18,149.78		
पूरक	43,733.00		
पुनर्वि.	18,149.78	80,032.56	80,032.56
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 18,149.78 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			0.00
(2) 4701-24-796-800-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य-			
मूल	860.00		
पुनर्वि.	486.34	1,346.34	1,346.44
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों का भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 13.66 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण मामलों में अवार्ड पारित नहीं किये जाने के प्रभाव से प्रावधान में ₹ 486.34 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।			+0.10
(3) 4702-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7953-जलवायु संवेदनशील योजना-			
मूल	10.00		
पुनर्वि.	154.78	164.78	164.78
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 168.00 लाख की वृद्धि लम्बित देयकों के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 13.22 लाख की कमी के प्रभाव से प्रावधान में ₹ 154.78 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			0.00
(4) 4801-06-796-190-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8965-मुख्यमंत्री मजार टोला विद्युतिकरण योजना-			
मूल	3,060.00		
पुनर्वि.	1,900.00	4,960.00	4,960.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,900.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			0.00
(5) 4810-796-101-0312-नाबार्ड सहायता योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान-			
मूल	14,901.00		
पूरक	3,757.00		
पुनर्वि.	3,800.00	22,458.00	22,458.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 3,800.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			0.00

अनुदान संख्या 41—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4810-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6634-इन्दिरा गांव गंगा योजना- पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 342.00	342.00	342.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 342.00 लाख के आवर्धन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

(7) 5054-04-796-337-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- मूल 15,200.00 पूरक 3,838.00 पुनर्वि. 1,578.20	20,616.20	20,616.20	0.00
--	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,250.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 671.80 लाख की कमी केन्द्रांश एवं राज्यांश के जारी किये जाने के अनुसार व्यय किये जाने के प्रभाव से प्रावधान में ₹ 1,578.20 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 42—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कें एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	12,38,16,06		
पूरक	28	12,38,16,34	(-)5,61,60,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			5,68,33,30
प्रभारित	2,00,00	18,02	(-)1,81,98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,81,99
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत:
दत्तमत—

(i) ₹ 56,160.98 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 56,833.30 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053—02—796—102—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4727—हवाई पट्टियों का निर्माण एवं विस्तार—			
मूल	285.00		
पुनर्वि.	(-)228.25	56.75	+0.03
(2) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4149—वृहद पुलों का निर्माण—			
मूल	11,700.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)3,674.40	8,025.60	+121.14

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 228.25 लाख एवं ₹ 3,674.40 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। निधि के समर्पण के पश्चात् उपरोक्त शीर्षों में आधिक्य व्यय के परिप्रेक्ष्य में पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। उपरोक्त क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015—16 से 2021—22 के दौरान भी उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 5054—03—796—101—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना—
4557—सुदृढीकरण (सतह
मजबूतीकरण)—

मूल	1,010.00		
पुनर्वि.	(-)1,010.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 5054-03-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3710-राज्यों के राजमार्ग- मूल 6,070.01 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,151.76	2,918.25	2,966.37	+48.12

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,000.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,151.76 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 3,151.76 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 48.12 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 5054-04-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7842-आर. आर. पी. फेस-II- मूल 4,800.00 पुनर्वि. (-)4,800.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(6) 5054-04-796-101-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7842-आर. आर. पी. फेस-II- मूल 7,200.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)7,200.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(7) 5054-04-796-101-0312-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 7976-जवाहर सेतु योजना- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)675.72	1,324.28	1,369.97	+45.69
---	----------	----------	--------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 675.72 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 45.69 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये हैं (जुलाई 2023)।

(8) 5054-04-337-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)-राज्यांश- 7842-आर. आर. पी. फेस-II- मूल 16,000.00 पुनर्वि. (-)8,180.00	7,820.00	7,820.00	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,180.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 5054-04-796-337-0702—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7842—आर. आर. पी. फेस-II— मूल 24,000.00 पूरक 0.09 पुनर्वि. (-)12,270.09	11,730.00	11,730.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,270.09 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 5054-04-796-337-0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)3,368.48	3,631.52	3,739.67	+108.15
--	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,368.48 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 108.15 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(11) 5054-04-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 2457—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम— मूल 20,000.00 पूरक 0.05 पुनर्वि. (-)4,489.57	15,510.48	15,682.80	+172.32
---	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,489.57 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 172.32 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(12) 5054-04-796-337-0102—अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 3539—मुख्य जिला सड़कें— मूल 10,750.01 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)6,335.93	4,414.08	4,457.02	+42.94
--	----------	----------	--------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 4,835.93 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 6,335.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात राशि ₹ 42.94 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 42—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4557-सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)- मूल 520.00 पूरक 0.02 पुनर्वि. (-)482.91	37.11	37.11	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 482.91 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(14) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6450-मुख्य मंत्री सुगम सड़क योजना- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)126.02	4,873.98	4,873.96	(-)0.02
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.02 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 5054-05-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6485-सड़क सुरक्षा- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

₹ 200.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(16) 5054-04-796-337-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 6596-सी.जी.आर.आई.डी.सी.एल. निर्माण कार्य हेतु सहायता- मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054-03-796-101-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 7976-जवाहर सेतु योजना- मूल 4,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 2,420.05	6,420.05	6,551.44	+131.39

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,500.00 एवं समर्पण द्वारा ₹ 321.82 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार संविदात्मक दायित्व का भुगतान एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने से प्रावधान में ₹ 2,420.05 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 42—समाप्त

प्रभारित—

(iv) विनियोग में बचत निम्न के अंतर्गत हुई—

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
5054—04—796—800—0102—अनुसूचित जनजाति उपयोगना— 3115—भू अर्जन हेतु मुआवजा— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)181.99	18.01	18.02	+0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 181.99 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 43—खेल और युवा कल्याण

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	68,71,15		
पुनर्वि.	13,45,00	82,16,15	44,53,72
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)37,62,43 37,62,24
<i>प्रभारित</i>	<i>30</i>	<i>00</i>	<i>(-)30</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>30</i>
पूंजीगत:			
दत्तमत	1,57,50	1,31,75	(-)25,75
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			25,75
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 250.00 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹ 1,095.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,345.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2204—103—2323—निर्देशन एवं प्रशासन—			
मूल	992.20		
पुनर्वि.	(-)286.65	705.55	705.41
			(-)0.14

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 286.65 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2008—09 से 2021—22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2204—103—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6408—राज्य युवा

मितान क्लब—

मूल 3,750.00

पुनर्वि. (-)2,793.00

957.00

957.00

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,793.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 43-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3459-महिला खेलकूद प्रतियोगिता-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)91.46	8.54	8.54
			0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 31.46 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता के आधार पर व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 91.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(4) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5223-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)85.68	164.32	164.32
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.68 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(5) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6367-खेल प्राधिकरण-			
मूल	100.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान योजना की रूप-रेखा को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2204-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7296-खेल अकादमी-			
मूल	384.67		
पुनर्वि.	(-)234.77	149.90	149.85
			(-)0.05

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख की कमी एवं समर्पण द्वारा ₹ 194.77 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार निधि की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 234.77 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित-

(iii) ₹ 0.30 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया।

अनुदान संख्या 44—उच्च शिक्षा

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष —			
2202—सामान्य शिक्षा			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	8,34,75,90		
पूरक	15,00,01	8,49,75,91	7,73,39,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)76,35,94 78,81,71
प्रभारित	1,10	00	(-)1,10
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,10
पूंजीगत :			
दत्तमत	23,22,00	1,70,39	(-)21,51,61
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			21,51,36
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:
दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 (₹ 0.01 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 1,500.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,500.01 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 7,635.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 7,881.71 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अर्न्तगत हुई:—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-03-001-3443—महाविद्यालयीन शिक्षा संचालनालय—			
मूल	1,206.80		
पुनर्वि.	(-)615.03	591.77	589.33
			(-)2.44

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 615.03 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं प्रशिक्षण प्रदान नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-03-001-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश—
8971—राष्ट्रीय उच्चतर
शिक्षा अभियान—

मूल	2,638.40		
पुनर्वि.	(-)1,012.38	1,626.02	1,626.02
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,012.38 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 44—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-03-001-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 3,957.60 पुनर्वि. (-)1,518.57	2,439.03	2,439.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,518.57 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुरूप व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2202-03-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8971—राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान— मूल 120.80 पुनर्वि. (-)75.84	44.96	44.96	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.84 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़— मूल 1,700.00 पुनर्वि. (-)246.58	1,453.42	1,453.42	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 246.58 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2202-03-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7656—दुर्ग विश्वविद्यालय— मूल 530.00 पुनर्वि. (-)243.00	287.00	287.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 243.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2202-03-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 798—कला, विज्ञान तथा वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 59,951.60 पूरक 0.01 पुनर्वि. (-)2,727.99	57,223.62	57,143.07	(-)80.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,727.99 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, चिकित्सा दावे की स्वीकृति नहीं होने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2202-03-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3444—महाविद्यालयों को पोषण अनुदान— मूल 4,800.00 पुनर्वि. (-)1,333.79	3,466.21	3,796.55	+330.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,333.79 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 330.35 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 44—जारी

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 1.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2015—16 से 2021—22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) ₹ 2,151.61 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 2,151.36 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202—01—203—0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5086—कॉलेज भवनों का निर्माण— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(2) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5205—रविशंकर विश्वविद्यालय, रायपुर— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015—16 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6414—रायगढ़ विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7238—इंदिरा कला विश्वविद्यालय, खैरागढ़— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 4202—01—203—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7656—दुर्ग विश्वविद्यालय— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान कोषालय द्वारा देयक स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 44—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4202-01-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7751-स्वामी विवेकानंद ज्ञानदीप योजना-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-71.38	78.62	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 71.38 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई

है।

अनुदान संख्या 45—लघु सिंचाई निर्माण कार्य

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2702—लघु सिंचाई			
4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	80,14,36	66,26,99	(-)13,87,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			13,93,00
पूंजीगत:			
दत्तमत	6,79,50,97	4,05,38,03	(-)2,74,12,94
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			2,74,01,38
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 1,387.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,393.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2702-03-101-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	4,504.80		
पुनर्वि.	(-)824.81	3,679.99	3,678.64
			(-)1.35
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 45.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 779.81 लाख की संयुक्त कमी से प्रावधान में ₹ 824.81 लाख की कमी विभिन्न रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, विभिन्न भत्तों की दरों में वृद्धि नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य की आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2702-03-103-207-अन्य लघु सिंचाई निर्माण कार्य—			
मूल	1,508.20		
पुनर्वि.	(-)505.06	1,003.14	1,005.84
			+2.70
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 505.06 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, विभिन्न भत्तों की दरों में वृद्धि नहीं किए जाने, सहायता मद में व्यय नहीं किए जाने एवं अनुरक्षण कार्य की आवश्यकतानुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(3) 2702-03-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 5707—शाकम्बरी परियोजना—			
मूल	650.00		
पुनर्वि.	(-)49.49	600.51	600.51
			0.00

अनुदान संख्या 45—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 49.49 लाख की कमी छत्तीसगढ़ बीज निगम द्वारा देयक प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(iii) ₹ 27,412.94 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 27,401.38 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3803—लघु एवं लघुतम सिंचाई योजनाएं— मूल 41,500.00 पुनर्वि. (-)22,442.36	19,057.64	19,058.17	+0.53

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 22,442.36 लाख की कमी नई योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4702—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4416—सर्वेक्षण— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)102.65	497.35	488.18	(-)9.17
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.65 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015—16 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 4702—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5059—एनिकट / स्टापडेम का निर्माण— मूल 15,700.00 पुनर्वि. (-)4,514.42	11,185.58	11,185.49	(-)0.09
--	-----------	-----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,514.42 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(4) 4702—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7422—औद्योगिक जल संरचना निर्माण— मूल 8,960.00 पुनर्वि. (-)70.93	8,889.07	8,886.23	(-)2.84
---	----------	----------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 70.93 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011—12 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 4702—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6597—उद्वहन सिंचाई परियोजना (मेगा लिफ्ट)— मूल 60.00 पुनर्वि. (-)60.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान नई योजना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 45-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 5054-05-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7820-सड़क एवं पुल निर्माण- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)100.00	100.00	100.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न "उचंत उपशीर्षों" के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2022 को नामें +/जमा(-)	वर्ष के दौरान नामें	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंतिम शेष नामें +/जमा(-)
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-)47.83	0.00	0.00	(-)47.83
(ii) भण्डार	+186.40	0.00	0.00	+186.40
(iii) विविध निर्माण कार्य अग्रिम	+42.24	0.00	0.00	+42.24
(iv) कार्यशाला उचन्त	+0.04	0.00	0.00	+0.04
योग	+180.85	0.00	0.00	+180.85

अनुदान संख्या 46—विज्ञान और टेक्नालॉजी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3425—अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
5425—अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	21,75,00	9,79,38	(-)11,95,62
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			11,95,62
पूंजीगत	3,60,00	00	(-)3,60,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			3,60,00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5433—विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अनुदान— मूल 1,225.00 पुनर्वि. (-)650.00	575.00	575.00	0.00
(2) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5632—साईन्स सिटी की स्थापना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)210.00	390.00	390.00	0.00
(3) 3425—60—200—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6736—केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना— मूल 350.00 पुनर्वि. (-)335.62	14.38	14.38	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के शीर्षान्तर्गत समर्पण द्वारा प्रावधान से क्रमशः ₹ 650.00 लाख, ₹ 210.00 लाख एवं ₹ 335.62 लाख की कमी निधि का आहरण प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 से 2020—21 के दौरान भी क्रम संख्या (3) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

पूंजीगत:

(ii) ₹ 360.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 46—समाप्त

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5425-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5632- साइन्स सिटी की स्थापना-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
(2) 5425-600-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6736-केन्द्रीय प्रयोगशाला की स्थापना-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान निधि के आहरण के लिए प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी क्रम संख्या (1) के शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी क्रम संख्या (2) के शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई है।

अनुदान संख्या 47—तकनीकी शिक्षा और जनशक्ति नियोजन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2230—श्रम, रोजगार तथा कौशल विकास			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	3,63,77,90		
पूरक	14,00,00	3,77,77,90	2,49,28,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,28,49,21 1,28,77,24
प्रभारित	20	00	(-)20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			20
पूंजीगत			
दत्तमत—			
मूल	17,53,50		
पूरक	47,00,00	64,53,50	53,19,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)11,33,81 11,33,81

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 3,50,00 हजार सम्मिलित है जिसको अप्रैल 2022 को स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2023 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 350.00 लाख), एवं दिसम्बर 2022 (₹ 1,050.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 1,400.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। अनुपूरक प्रावधान के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 12,849.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 12,877.24 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल	वास्तविक अनुदान	आधिक्य+ व्यय (₹ लाख में)	बचत(-)
(1) 2203—001—1869—तकनीकी शिक्षा संचालनालय—				
मूल	524.80			
पुनर्वि.	(-)92.19	432.61	448.99	+16.38

₹ 16.38 लाख का आधिक्य व्यय समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से 92.19 लाख की कमी के साथ ही अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2203-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668—पॉलीटेक्निक संस्थाएं— मूल 7,649.70 पुनर्वि. (-)912.69	6,737.01	6,751.80	+14.79
₹ 14.79 लाख का आधिक्य व्यय समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से 912.69 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 502—इंजीनियरिंग महाविद्यालय— मूल 2,701.70 पुनर्वि. (-)271.76	2,429.94	2,431.52	+1.58
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 271.76 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6425—मुख्यमंत्री पॉलीटेक्निक गुणवत्ता विकास योजना— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजनाओं के क्रियान्वयन नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7341—आई. आई. आई. टी. की स्थापना— मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)720.00	1,480.00	1,480.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 720.00 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2203-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8643—मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ब्याज अनुदान योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)206.97	293.03	293.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 206.97 लाख की कमी प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2230-02-001-3795—रोजगार संचालनालय— मूल 246.80 पुनर्वि. (-)107.35	139.45	139.38	(-)0.07
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 107.35 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2230-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7632—युवा क्षमता विकास योजना— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)297.02	2.98	2.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 297.02 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 2230-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9147—रोजगार कार्यालय— मूल 1,520.77 पुनर्वि. (-)291.95	1,228.82	1,228.56	(-)0.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.95 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 2230-03-003-0801—केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)— 7960—औद्योगिक गुणवत्ता में वृद्धि हेतु कौशल प्रशिक्षण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)883.29	116.71	116.71	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 883.29 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2230-03-003-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7867—प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(12) 2230-03-003-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7955—जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(13) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7867—प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 2230-03-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7955—जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)450.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6627—छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(17) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान— मूल 11,393.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,051.30	9,341.70	9,338.10	(-)3.60
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,051.30 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(18) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7438—स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)150.00	250.00	250.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7683—मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 4,040.00 पुनर्वि. (-)4,040.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 47—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2230-03-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8935—लाइवलीहुड कॉलेज— मूल 454.00 पुनर्वि. (-)258.98	195.02	195.02	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 258.98 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 0.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(v) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5637—विवेकानन्द तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना— मूल 100.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 4202-02-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 717—औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाएं— मूल 300.00 पूरक 4,700.00 पुनर्वि. (-)142.44	4,857.56	4,857.56	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 142.44 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(3) 4202-02-104-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 2668—पॉलिटेक्निक संस्थाएं— मूल 495.00 पुनर्वि. (-)495.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। है।

2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 4202-02-104-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2668—पॉलिटेक्निक संस्थाएं— मूल 85.98 पुनर्वि. (-)78.85	7.13	7.13	0.00
---	------	------	------

अनुदान संख्या 47—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.85 लाख की कमी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(5) 4202-02-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7700-सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सिपेट)- मूल 700.00 पुनर्वि. (-)245.00	455.00	455.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 245.00 लाख की कमी संस्थाओं से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 49—अनुसूचित जाति कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
राजस्व	5,26,10	3,79,88	(-)1,46,22
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,54,26

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 146.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 154.26 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-110-307-अशासकीय संस्थाओं को अंशदान—			
मूल	272.00		
पुनर्वि.	(-)79.23	192.77	200.78
			+8.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 79.23 लाख की कमी जिलों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात् राशि ₹ 8.01 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2225-01-102-6800-अनुसूचित जाति
आयोग का गठन—

मूल	214.10		
पुनर्वि.	(-)75.03	139.07	139.10
			+0.03

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 75.03 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 50-बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष-			
2053-जिला प्रशासन			
राजस्व	3,85,25	2,11,99	(-)1,73,26
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,73,00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 173.26 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 173.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2053-093-2987-20 सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन-			
मूल	385.25		
पुनर्वि.	(-)173.00	211.99	(-)0.26

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 173.00 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—धार्मिक न्यास और धर्मस्व
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2075—विविध सामान्य सेवायें			
2250—अन्य सामाजिक सेवायें			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	14,25,00		
पूरक	33,48	14,58,48	8,83,09
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)5,75,39 5,26,35
पूंजीगत:			
मूल	4,50,00		
पूरक	1,85,00	6,35,00	6,10,21
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)24,79 17

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2023 में प्राप्त किया गया ₹ 33.48 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनु एवं यह दोषपूर्ण बजट को दर्शाता है।

(ii) ₹ 575.39 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 526.35 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2250-001-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6394—संचालनालय धर्मस्थ तथा अधीनस्थ कार्यालय—			
मूल	100.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)85.31	14.69	14.69
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.31 लाख की कमी रिक्त पदों की भर्ती के लिए प्रस्ताव की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2250-103-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

5455—राजिम, गिरौदपुरी एवं लालपुर
मेले आदि में जनसुविधायें उपलब्ध
कराने हेतु अनुदान—

मूल	900.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)430.00	470.00	470.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 430.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।
2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 51—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2250-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6292-शासकीय मंदिरों का पुनरोद्धार-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-90.10)	9.90	(-9.90)

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.10 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 80.00 लाख की कमी के संयुक्त प्रभाव से प्रावधान में ₹ 90.10 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2250-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5805-मंदिरों तथा धार्मिक स्थलों पर धर्मशालाओं आदि का निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	79.08	179.08	(-39.15)

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 80.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.92 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 79.08 लाख का आवर्धन मंदिरों के नवीकरण एवं मरम्मत कार्य होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

पूँजीगत:

(i) ₹ 24.79 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 0.17 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

अनुदान संख्या 53—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजनान्तर्गत
नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2853—लौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	24,89,40	22,77,40	(-)2,12,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			2,12,00
पूंजीगत	56,10,00	55,00,80	(-)1,09,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			0,00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235—60—789—192—1003—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना— मूल 70.00 पुनर्वि. (-)25.61	44.39	44.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 25.61 लाख की कमी लाभार्थियों की संख्या में कमी होने से कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2853—02—789—102—0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7611—गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण— मूल 334.40 पुनर्वि. (-)151.84	182.56	182.56	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 151.84 लाख की कमी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत :

(ii) ₹ 109.20 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को कोई भी राशि अभ्यर्पित की नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 53—समाप्त

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4217-60-789-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6421-पौनी पसारी योजना	312.00	202.00	(-)109.20
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 54—कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा से सम्बंधित व्यय

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा			
4415—कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	2,12,80,10		
पूरक	सांकेतिक	2,12,80,10	1,90,79,50
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)22,00,60 22,00,60

पूंजीगत :

मूल	59,20,02		
पूरक	सांकेतिक	59,20,02	33,85,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)25,35,02 25,35,02

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6618-फायटोसेनेटरी प्रयोगशाला का संचालन-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)83.00	67.00	67.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 83.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(2) 2415-01-120-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

9182-इंदिरा गांधी कृषि
विश्वविद्यालय-

मूल	16,100.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,625.00	14,475.00	14,475.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,625.00 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी करने के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।

(3) 2415-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)-

7403-कामधेनु पशुचिकित्सा
विश्वविद्यालय-

मूल	3,540.00		
पुनर्वि.	(-)385.00	3,155.00	3,155.00
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 385.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 54—समाप्त

पूँजीगत :

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4415-01-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9182-इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय-			
मूल	4,500.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)1,125.00	3,375.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,125.00 लाख की कमी निधियों के विमुक्ती अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 4415-03-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7403-कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय-			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)1,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4415-04-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7403-कामधेनु पशुचिकित्सा विश्वविद्यालय-			
मूल	120.00		
पुनर्वि.	(-)120.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4415-05-277-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7434-मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए अनुदान-			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)240.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 55—महिला एवं बाल कल्याण से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण			
2236—पोषण			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	11,21,18,33		
पूरक	24,35,27	11,45,53,60	7,56,12,97
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)3,89,40,63 4,07,42,22
प्रभारित	10	1,08	+98
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			00
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	15,15,67		
पूरक	5,28,51	20,44,18	9,36,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)11,07,59 11,07,59
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 (₹ 290.01 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 2,145.26 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 2,435.27 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपर्याप्त आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 38,940.63 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 40,742.22 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2235-02-001-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय—			
मूल	1,813.75		
पूरक	3.00		
पुनर्वि.	(-)697.70	1,119.05	1,118.26
			(-)0.79
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 697.70 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई है।			
(2) 2235-02-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 5354-एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)-			
मूल	1,191.37		
पुनर्वि.	(-)535.74	655.63	655.63
			0.00

अनुदान संख्या 55—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,191.37 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,727.11 लाख की कमी के कारण प्रावधान से ₹ 535.74 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7361—सबला योजना— मूल 76.00 पुनर्वि. (-)76.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(4) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7507—राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला केन्द्र की स्थापना— मूल 461.05 पुनर्वि. (-)438.72	22.33	22.33	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 438.72 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2022-23 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 1,534.74 पूरक 420.00 पुनर्वि. (-)465.29	1,489.45	1,489.45	0.00
---	----------	----------	------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 420.22 लाख का प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 465.29 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(6) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 9042—एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह— मूल 881.82 पूरक 22.26 पुनर्वि. (-)671.74	232.34	235.21	+2.87
---	--------	--------	-------

यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 22.26 लाख का प्राप्त अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 396.58 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 275.16 लाख के कमी से प्रावधान से ₹ 671.74 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(7) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 16,750.19 पुनर्वि. (-)11,255.90	5,494.29	5,487.56	+6.73
--	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,255.90 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 9131—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण— मूल 280.00 पुनर्वि. (-)280.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(9) 2235-02-102-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 9949—एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 1,770.65 पुनर्वि. (-)1,721.35	49.33	49.33	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,721.35 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश का प्रथम किस्त मार्च 2023 में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 4,765.49 पुनर्वि. (-)4,765.49	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,191.37 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,574.12 लाख की कमी से ₹ 4,765.49 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7361—सबला योजना— मूल 75.00 पुनर्वि. (-)75.00	0.00	0.00	0.00
₹ 75.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7507—राज्य महिला सशक्तीकरण प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य महिला केन्द्र की स्थापना— मूल 691.59 पुनर्वि. (-)658.09	33.50	33.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 658.09 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 414.36 पुनर्वि. (-)408.36	6.00	6.00	0.00

अनुदान संख्या 55-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 408.36 लाख की कमी भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9042-एकीकृत बाल संरक्षण स्कीम के अन्तर्गत बाल गृह- मूल 1,358.78 पुनर्वि. (-)608.76	750.02	744.64	(-)5.38

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 608.76 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने एवं रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(15) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9131-एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण- मूल 420.00 पुनर्वि. (-)420.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(16) 2235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना- मूल 2,655.96 पुनर्वि. (-)2,581.97	73.99	73.99	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,581.97 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं भारत सरकार से केन्द्रांश का प्रथम किश्त मार्च 2023 में प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(17) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6908-कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय- मूल 7,400.00 पुनर्वि. (-)174.56	7,225.44	7,225.44	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 174.56 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2008-09 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(18) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7680-आंगनबाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई. घटक- मूल 991.00 पुनर्वि. (-)273.87	717.13	717.13	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 273.87 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7764-किशोर न्याय अधिनियम अर्तगत भवन निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)85.92	14.08	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 85.92 लाख की कमी जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(20) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7884-प्रधानमंत्री मातृ वंदना-			
मूल	850.00		
पुनर्वि.	(-)637.50	212.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 637.50 लाख की कमी जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार भुगतान होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(21) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8958-आंगनबाड़ी केन्द्रों का विद्युत व्यय-			
मूल	327.88		
पुनर्वि.	(-)196.62	131.26	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.62 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 2235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना-			
मूल	175.00		
पुनर्वि.	(-)175.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(23) 2235-02-103-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7879-महिला पुलिस स्वयं सेवक योजना-			
मूल	240.00		
पुनर्वि.	(-)140.00	100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 140.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा योजना बन्द किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(24) 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6641-वन रॉप सेन्टर (सखी)-			
पूरक	480.00		
पुनर्वि.	(-)480.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(25) 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6642-बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ-			
मूल	160.00		
पुनर्वि.	(-)160.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 55-जारी

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 2235-02-103-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7824-राजीव गांधी राष्ट्रीय झूलाघर- मूल 300.00 पुनर्वि. (-)60.00	240.00	240.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 60.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(27) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5645-मुख्यमंत्री कन्यादान योजना- मूल 950.00 पुनर्वि. (-)89.78	860.22	853.72	(-)6.50
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा कमशः ₹ 70.00 लाख एवं ₹ 19.78 लाख की कमी से प्रावधान से ₹ 89.78 लाख की कमी उल्लिखित की गई हैं। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(28) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6686-यूनीफाईड डिजिटल एप्लीकेशन योजना (उदय-एस.डी.जी.)- पूरक 190.00 पुनर्वि. (-)190.00	0.00	0.00	0.00
₹ 190.00 लाख के सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(29) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8681-राज्य महिला आयोग- मूल 512.07 पुनर्वि. (-)143.37	368.70	369.09	+0.39
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.37 लाख की कमी कर्मचारियों के स्वीकृत संख्या से कम कर्मचारियों होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(30) 2235-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8809-घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण (नवा-बिहान)- मूल 356.60 पुनर्वि. (-)111.80	244.80	244.72	(-)0.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 111.80 लाख की कमी जिला कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं स्वीकृत संख्या से कम संख्या में संविदा कर्मचारियों होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(31) 2236-02-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 17,133.22 पुनर्वि. (-)3,908.46	13,224.76	13,224.75	(-)0.01
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा कमशः ₹ 34.83 लाख एवं ₹ 3,873.63 लाख की कमी होने से प्रावधान से ₹ 3,908.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई हैं। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 55—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(32) 2236-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 17,133.22 पुनर्वि. (-)3,908.46	13,224.76	13,224.75	(-)0.01

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 34.83 लाख एवं ₹ 3,873.63 लाख की कमी होने से प्रावधान से ₹ 3,908.46 लाख की कमी उल्लिखित की गई हैं। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(33) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6359—मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान— मूल 3,050.01 पुनर्वि. (-)1,755.40	1,294.61	1,294.61	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,755.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 एवं 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(34) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7747—महतारी जतन योजना— मूल 1,552.06 पुनर्वि. (-)978.22	573.84	573.84	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 978.22 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(35) 2236-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9050—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 1,125.00 पुनर्वि. (-)452.08	672.92	672.94	+0.02
---	--------	--------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 452.08 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-02-102-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना	19,293.41	21,190.23	+1,896.82

मूल प्रावधान से आधिक्य व्यय होने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

प्रभारित—

(v) ₹ 97,850 लाख का विनियोग से आधिक्य व्यय का नियमिकरण की आवश्यकता है। यह कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 55—जारी

पूँजीगत:

दत्तमत—

(vi) यद्यपि वास्वविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 45.15 लाख), दिसम्बर 2022 (₹ 100.00 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 383.36 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 528.51 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक प्रावधान के समय कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4235-02-001-9041-महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय— मूल 210.00 पुनर्वि. (-)113.43	96.57	96.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.43 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(2) 4235-02-102-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 313.58 पूरक 224.02 पुनर्वि. (-)280.41	257.19	257.18	(-)0.01
यद्यपि वास्वविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 224.02 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 96.95 लाख एवं ₹ 377.36 लाख होने से प्रावधान से ₹ 280.41 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(3) 4235-02-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 337-आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 519.12 पूरक 149.34 पुनर्वि. (-)282.69	385.77	385.78	+0.01
यद्यपि वास्वविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, ₹ 149.34 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 96.68 लाख एवं ₹ 379.37 लाख होने से प्रावधान से ₹ 282.69 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 7764-किशोर न्याय अधिनियम अंतर्गत भवन निर्माण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)148.10	51.90	51.90	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 40.70 लाख एवं ₹ 107.40 लाख कमी जिलों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार व्यय होने से प्रावधान से ₹ 148.10 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 4235-02-102-0101-राज्य आयोजना(सामान्य)— 9949-एकीकृत बाल संरक्षण योजना— मूल 116.60 पुनर्वि. (-)116.60	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 55—समाप्त

पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 19.92 लाख एवं ₹ 96.68 लाख की कमी होने से सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 4235-02-103-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 6641—वन स्टॉप सेन्टर (सखी)— पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केद्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 56—ग्रामोद्योग

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2851—ग्राम तथा लघु उद्योग			
4851—ग्राम तथा लघु उद्योगों			
पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	1,14,85,94		
पूरक	2,12,93	1,16,98,87	98,48,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)18,50,21 18,39,62
पूंजीगत:			
मूल	2,95,40		
पूरक	1,00,00	3,95,40	3,85,12
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)10,28 7,28
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (₹ 101.37 लाख) एवं दिसम्बर 2022 (₹ 111.56 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 212.93 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ।

(ii) ₹ 1,850.21 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,839.62 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है। यह अनुपूरक प्रावधान के समय निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2851-103-931-केन्द्रीय कार्यालय—			
मूल	880.28		
पुनर्वि.	(-)392.04	488.24	484.98
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 392.04 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			(-)3.26
(2) 4851-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6769-भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना—			
मूल	153.36		
पुनर्वि.	(-)54.55	98.81	96.66
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 54.55 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			(-)2.15
(3) 2851-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 6892-ग्लेजिंग यूनिट की स्थापना—			
मूल	101.00		
पुनर्वि.	(-)61.00	40.00	40.00
			0.00

अनुदान संख्या 56—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 61.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2851—107—3778—रेशम उद्योग की योजनाओं का क्रियान्वयन—			
मूल	4,767.55		
पुनर्वि.	(-)-1,140.48	3,627.07	(-)-5.37

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,140.48 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011—12 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 57—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	2,00,00	00	(-)2,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			2,00,00

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700—13—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुर्नरोद्धार कार्य— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
(2) 4700—14—800—1202—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 6369—वृहद सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुर्नरोद्धार कार्य— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00
(3) 4701—80—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 6371—मध्यम सिंचाई योजनाओं का निर्माण एवं पुर्नरोद्धार कार्य— मूल 50.00 पुनर्वि. (-)50.00	0.00	0.00	0.00

उपरोक्त क्रम संख्या (1) से (3) के प्रत्येक शीर्षान्तर्गत ₹ 50.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान योजनाओं के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इन शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत			
6245—प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत के लिए कर्ज			
राजस्व:			
मूल	11,10,54,60		
पूरक	सांकेतिक	11,10,54,60	5,94,93,46
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)5,15,61,14 7,67,33,15
पूँजीगत	20,00	00	(-)20,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			20,00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) ₹ 51,561.14 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 76,733.15 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेपूर्ण था। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-01-101-2018-नगद दान-			
मूल	634.10		
पुनर्वि.	(-)616.52	17.58	17.58
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 430.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 186.52 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं जिलाधीशों से निधि का कम मांग प्राप्त होने के कारण प्रावधान में ₹ 616.52 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 2245-01-101-7710-फसल क्षति			
हेतु सहायता-			
मूल	3,000.00		
पुनर्वि.	(-)40.00	2,960.00	0.00
			(-)2,960.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 40.00 लाख की कमी के साथ अंतिम अत्यधिक बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 2245-01-102-2661-पेयजल			
आपूर्ति-			
मूल	606.00		
पुनर्वि.	(-)6.00	600.00	0.00
			(-)600.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6.00 लाख की कमी निधि की मांग कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई हैं। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2245-01-800-1467—जिला एवं अन्य सड़कें— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)300.00	100.00	0.00	(-)100.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 200.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 100.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं निधि की मांग कम प्राप्त होने के कारण प्रावधान में ₹ 300.00 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2245-01-800-2389—निर्माण कार्य— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
₹ 400.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2245-01-800-3819—लघु सिंचाई (कृषि)— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)169.79	230.21	0.00	(-)230.21
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 99.79 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 70.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं कम निधि प्राप्त होने के कारण प्रावधान में ₹ 169.79 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2245-02-101-2018—नगद दान— मूल 2,200.00 पुनर्वि. (-)1,654.53	545.47	460.47	(-)85.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,654.53 लाख की कमी निधि कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2245-02-102-2661—पेयजल आपूर्ति— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2245-02-106-1467—जिला एवं अन्य सड़कें— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)200.00	800.00	0.00	(-)800.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 200.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2245-02-110-2018-नगद दान— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)196.48	3.52	3.52	0.00
पुनर्विनियोजन एवं समर्पण द्वारा क्रमशः ₹ 104.00 लाख एवं ₹ 92.48 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं कम निधि की मांग प्राप्त होने से प्रावधान से ₹ 196.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2010-11 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 2245-02-111-7352-शोकरत परिवारों को सहायक अनुदान— मूल 2,350.00 पुनर्वि. (-)994.98	1,355.02	1,347.02	(-)8.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 215.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,209.98 लाख की कमी निधि का कम मांग प्राप्त होने से प्रावधान में ₹ 994.98 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2245-02-112-5607-बाढ़ नियंत्रण— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)154.97	645.03	645.03	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 771.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 925.97 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने एवं निधि का कम मांग प्राप्त होने के कारण प्रावधान से ₹ 154.97 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2245-02-112-7357-बाढ़ आदि में सहायता— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2245-02-114-7357-बाढ़ आदि में सहायता— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)405.57	594.43	593.99	(-)0.44
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 30.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 435.57 लाख की कमी निधि का कम मांग प्राप्त होने के कारण प्रावधान से ₹ 405.57 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(15) 2245-02-117-7357-बाढ़ आदि में सहायता— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)512.81	687.19	687.62	+0.43
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 26.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 538.81 लाख की कमी निधि का कम मांग प्राप्त होने के कारण प्रावधान से ₹ 512.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(16) 2245-02-122-6457-राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)3,369.16	3,630.84	3,630.84	0.00

अनुदान संख्या 58—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,369.16 लाख की कमी निधि का मांग कम प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(17) 2245—02—122—989—क्षतिग्रस्त सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण निर्माण कार्योंका मरम्मत और उसकी पुनःस्थापना— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)800.00	200.0	0.00	(-)200.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 800.00 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2010—11 से 2021—22 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(18) 2245—05—101—7427—राज्य आपदा मोचन निधि— मूल 50,688.00 पुनर्वि. (-)43,423.05	7,264.95	24,152.86	+16,887.91
--	----------	-----------	------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 43,423.05 लाख की कमी के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 16,887.91 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आकलन का द्योतक है। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।

(19) 2245—08—797—6442—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि— मूल 11,520.00 पुनर्वि. (-)11,520.00	0.00	486.38	+486.38
---	------	--------	---------

₹ 11,520.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 486.38 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आकलन का द्योतक है।

(20) 2245—80—001—2304—निर्देशन एवं प्रशासन— मूल 185.80 पुनर्वि. (-)75.72	5,760.00	5,760.00	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 0.80 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 76.52 लाख की कमी कम व्यय होने के कारण प्रावधान में ₹ 75.72 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(21) 2245—80—101—7354—प्रशिक्षण— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)196.00	4.00	4.00	0.00
--	------	------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 196.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018—19 से 2021—22 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।

(22) 2245—80—102—6457—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय— मूल 920.00 पुनर्वि. (-)920.00	0.00	0.00	0.00
---	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीषान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 2245-80-103-4849—राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से आपदा राहत निधि में अंतरण—			
मूल	5,000.00		
पुनर्वि.	(-5,000.00)	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(24) 2245-80-800-6457—राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से व्यय—			
मूल	3,600.00		
पुनर्वि.	(-3,600.00)	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2245-02-113-7357—बाढ़ अनुदान आदि में सहायता—			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	380.89	1,380.89	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 441.00 लाख की वृद्धि सहायक अनुदान प्रदाय किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 60.11 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण प्रावधान से ₹ 380.89 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

(2) 2245-80-102-7729—डुबने से, खदान धसकने से, रसोई गैस फअने से, बिजली गिरने से मृत्यु होने पर राहत—			
मूल	4,500.00		
पुनर्वि.	1,765.53	6,265.53	9,736.27

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,765.53 लाख का आवर्धन जिलों द्वारा आधिक्य व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पश्चात् ₹ 3,470.74 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(3) 2245-80-800-2018—नगद दान—			
मूल	4,422.00		
पुनर्वि.	(-3,393.48)	1,028.52	5,031.30

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,695.74 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,697.74 लाख की कमी प्रस्ताव कम प्राप्त होने के कारण प्रावधान में ₹ 3,393.48 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात् ₹ 4,002.78 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 58—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2245-80-800-6488—महामारी / विविध—			
मूल	110.00		
पुनर्वि.	119.85	229.85	1,500.00
			+1,270.15

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 430.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 310.15 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 119.85 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन के पश्चात् ₹ 1,270.15 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। समर्पण के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(5) 2245-80-800-7408—राज्य आपदा प्रबंधन अंतर्गत दक्षता निर्माण—				
मूल	2,750.00			
पूरक	सांकेतिक			
पुनर्वि.	(-)950.09	1,799.91	5,563.76	+3,763.85

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 40.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 910.09 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 950.09 लाख की कमी उल्लिखित किया गया है। कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात् ₹ 3,763.85 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(6) 2245-80-800-747—ओला पीड़ितों को राहत—				
मूल	1,300.00			
पुनर्वि.	829.22	2,129.22	2,129.22	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 904.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण ₹ 74.78 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 829.22 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(7) 2245-80-800-96—अग्नि पीड़ितों को राहत—				
मूल	1,850.00			
पुनर्वि.	(-)181.09	1,668.91	1,999.04	+330.13

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 50.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 231.09 लाख की कमी प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 181.09 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। समर्पण के पश्चात् ₹ 330.13 लाख का आधिक्य व्यय पुनर्विनियोजन के समय निधि के आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(v) अकाल राहत निधि—

1 अप्रैल 2022 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 872.51 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान ₹ 1.05 लाख जमा की गई एवं भारत सरकार की प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान कोई भी राशि निवेश नहीं की गई। 31 मार्च 2023 को निधि का अंत शेष ₹ 873.56 लाख (जमा) था।

31 मार्च 2023 को निधि का विवरण निम्नानुसार है :-

विवरण	01 अप्रैल 2022 को प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	31 मार्च 2023 को अंतशेष
8223	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)	(₹ लाख में)
अकाल				
राहत				
निधि				
101 निधि लेखा	411.78	0.00	1.05	412.83
102 निवेश लेखा	460.73	0.00	0.00	460.73
योग	872.51	0.00	1.05	873.56

निधि के लेन-देनों का लेखा राज्य वित्त लेखे वर्ष 2022-23 के विस्तृत विवरण क्रमांक-21—आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संयवहारों में सम्मिलित है।

अनुदान संख्या 58—समाप्त

(vi) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) :-

आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 के खण्ड 48 (1) (क) राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.) का गठन करने की स्वीकृति देती है। 'आपदा प्रबंधन विधेयक-2005 के खंड 48 (1) (क) के उपबंधों में भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन विभाग) के का ज्ञापन पत्र क्रम संख्या 33-3/2021-एन.डी.एम-1 दिनांक 12 जनवरी 2022 के अनुसार 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा को स्वीकार किया गया है।

चक्रवात, सूखा, भूकंप, अग्नि, बाढ़, सूनामी, ओला वृष्टि, भू-स्खलन, हिम स्खलन, बादल फटना तथा कीटों के आक्रमण आदि से पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए राज्य आपदा मोचन निधि का उपयोग किया जावेगा।

राज्य आपदा मोचन निधि के अन्तर्गत 2021-22 से 2025-26 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष की राशि को 15 वें वित्तीय आयोग की अनुशंसानुसार निर्धारित किया जावेगा। राज्य आपदा मोचन निधि की कुल राशि में 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार द्वारा जबकि 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा।

वर्ष 2022-23 के लिए कुल प्रावधानित राशि ₹ 50,688.00 लाख में से ₹ 23,040.00 लाख का आबंटन प्राप्त हुआ जिसमें केन्द्रांश ₹ 17,280.00 लाख एवं राज्यांश ₹ 5,760.00 लाख था।

केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान प्राथमिक अवस्था में लेखा शीर्ष "1601-भारत सरकार से सहायक अनुदान-01-आयोजनेत्तर अनुदान-109-राज्य आपदा मोचन निधि में अंशदान हेतु अनुदान " के अंतर्गत जमा होता है। भारत सरकार के अंशदान सहित सम्पूर्ण अंशदान लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा मोचन निधि" में अंतरण, अनुदान संख्या 58 के लेखा शीर्ष "2245-दैवी विपत्तियों के संबंध में राहत-05-राज्य आपदा मोचन निधि-101-आरक्षित निधि में अंतरण" में इस बावत प्रावधान करने के बाद किया गया है। मोचन सहायता पर व्यय आरंभ में इस अनुदान में प्रावधान के विरुद्ध नामें किया जाता है, तथा वर्ष के लेखा बंदी से पूर्व समान मात्रा की राशि अंतरित कर "2245-दैवीय विपत्तियों के संबंध में राहत 05-राज्य आपदा मोचन निधि में अंतरण 901-राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत पुर्नप्राप्तियां में समायोजित किया जाता है।

1 अप्रैल 2022 को निधि में प्रारंभिक शेष ₹ 20,551.84 लाख (जमा) था। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लेखा शीर्ष "8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधि-122-राज्य आपदा मोचन निधि" में ₹ 23,040.00 लाख जमा किया गया। लेखा शीर्ष "2245-05-101-7427 को नामें किया गया है।

₹ 24,577.41 का व्यय राष्ट्रीय आपदा निधि में किया गया जिसे इस निधि में नामें किया गया। 31 मार्च 2023 को निधि का अंत शेष ₹ 19,721.35 लाख (जमा) था। वर्ष के दौरान निधि में कोई भी निवेश एवं ब्याज जमा नहीं किया गया।

निधि में हुई अभिवृद्धि का पूंजी निवेश भारत सरकार के दिनांकित प्रतिभूतियां, नीलाम किए गए खजाना बिल एवं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में ब्याज वाले जमा और जमा प्रमाण पत्र में निवेश करना चाहिए। यदि निधि का निवेश संभव न हो तो, इस पर राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक की अधिविकर्षण विनिमय योजना के अन्तर्गत लागू ब्याज दर से ब्याज का भुगतान करना चाहिए। ब्याज अर्ध वार्षिक आधार पर मुख्य शीर्ष "2049-ब्याज आदयी"-05-आरक्षित निधियों पर ब्याज-105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज को नामें किया जाता है।

आपदा प्रबंधन में निहित प्रावधानों के अनुसार भारत सरकार ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) के गठन को अधिसूचित किया। जब भी राज्य सरकार एस.डी.आर.एफ. में राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एन.डी.आर.एफ.) से अतिरिक्त अनुदान द्वारा पूर्ति की जाती है तब ऐसी निधि को अन्तरण एवं लेखांकन प्रक्रिया के प्रयोजन हेतु एस.डी.आर.एफ.निधि के रूप में माना जाता है। भारत सरकार द्वारा उपरोक्त उल्लेखित प्रकृति आपदा को गम्भीर प्रकृति के रूप में माना है एवं राज्य सरकार द्वारा उसके स्वयं राज्य आपदा मोचन निधि में उपलब्ध शेष से अधिक व्यय की जरूरत है, तो एन.डी.आर.एफ. से तत्काल राहत सहायता हेतु पात्र होगा।

निधि के लेन देनों का लेखा वित्त लेखे वर्ष 2022-23 के आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा संव्यवहारों का विस्तृत विवरण क्रम संख्या-21 में दर्शाया गया है।

पूंजीगत :

(vii) ₹ 20.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 60—जिला परियोजनाओं से सम्बंधित व्यय
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3451—सचिवालय आर्थिक सेवाएं			
4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	65,00	24,56	(-)40,44
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			39,89
पूंजीगत	2,08,00,00	2,02,38,27	(-)5,61,73
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) ₹ 40.44 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 39.89 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
3451-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7282-जिला योजनाओं का सुदृढीकरण-			
मूल	65.00		
पुनर्वि.	(-)39.89	25.11	(-)0.55

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 39.89 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2008-09 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूंजीगत :

(iii) ₹ 561.73 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7493-विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	20,800.00	20,238.27	(-)561.73

₹ 561.73 लाख की बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

मुख्य शीर्ष—

- 2014—न्याय प्रशासन
 2202—सामान्य शिक्षा
 2203—तकनीकी शिक्षा
 2204—खेलकूद एवं युवा सेवाएं
 2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य
 2211—परिवार कल्याण
 2215—जलापूर्ति और सफाई
 2216—आवास
 2217—शहरी विकास
 2225—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
 अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण
 2230—श्रमतथा रोजगार
 2235—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
 2236—पोषण
 2401—फसल कृषि—कर्म
 2402—मृदा तथा जल संरक्षण
 2403—पशु—पालन
 2405—मछली—पालन
 2406—वानिकी और वन्य प्राणी
 2408—खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार
 2425—सहकारिता
 2501—ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
 2505—ग्रामीण रोजगार
 2702—लघु सिंचाई
 2801—बिजली
 2810—नवीन तथा अक्षय उर्जा
 2851—ग्राम तथा लघु उद्योग
 2852—उद्योग
 4202—शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय
 4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय
 4215—जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय
 4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा
 अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय
 4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय
 4401—फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय
 4402—मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय
 4406—वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय
 4408—खाद्य भण्डारण और भंडागार पर पूंजीगत परिव्यय
 4415—कृषि अनुसंधान और शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय
 4425—सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय
 4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय
 4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय
 4801—उर्जा परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय
 4810—नवीन तथा अक्षय उर्जा पर पूंजीगत परिव्यय
 5054—सड़कों और सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय
 5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय
 6215—जलापूर्ति तथा सफाई के लिए कर्ज

अनुदान संख्या 64—जारी

6408—खाद्य भण्डारण तथा भंडागार के लिए कर्ज
6425—सहकारिता के लिए कर्ज

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	52,87,40,02		
पूरक	8,64,07,12	61,51,47,14	(-)7,35,62,41
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			7,24,85,01
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	9,80,98,45		
पूरक	2,57,84,74	12,38,83,19	(-)2,49,49,37
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			2,50,21,95
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व:			
दत्तमत—			

(i) ₹ 73,562.41 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 72,485.01 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2014-789-103-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 5171-विशेष न्यायालयों की स्थापना—			
मूल	297.52		
पूरक	15.60		
पुनर्वि.	(-)134.16	178.96	178.87
			(-)0.09
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 134.16 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं लंबित देयकों का निराकरण नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3491-माध्यमिक शालायें (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)—			
मूल	17,752.26		
पुनर्वि.	(-)3,130.87	14,621.39	14,628.79
			+7.40

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,130.87 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4396-शासकीय प्राथमिक शालाएं (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 25,526.80 पूरक 178.56 पुनर्वि. (-)1,975.65	23,729.71	23,734.71	+5.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,975.65 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(4) 2202-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 495-आश्रम एवं शालाएं— मूल 2,682.70 पुनर्वि. (-)656.94	2,025.76	2,028.96	+3.20
---	----------	----------	-------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 656.94 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधियों की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(5) 2202-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 110-अशासकीय विद्यालय को अनुदान—(मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)491.33	608.67	608.67	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 404.33 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 87.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 491.33 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।

(6) 2202-01-789-109-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 327-अस्वच्छ धन्धे में लगे लोगों के बच्चों के लिए आश्रम, छात्रवृत्ति— मूल 290.00 पुनर्वि. (-)290.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(7) 2202-01-789-111-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7979-समग्र शिक्षा— मूल 4,800.00 पुनर्वि. (-)1,307.35	3,492.65	3,492.65	0.00
--	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,307.35 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2202-01-789-111-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा	7,200.00	5,238.97	(-)1,961.03
बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2202-01-789-112-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6615—प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण— मूल 4,799.13 पुनर्वि. (-)902.14	3,896.69	3,896.69	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 902.44 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2202-02-789-109-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6614—छात्रवृत्तियां— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)378.39	621.61	621.61	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 378.39 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(11) 2202-02-789-109-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 1,824.00 पुनर्वि. (-)954.43	869.57	869.57	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 954.43 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6614—छात्रवृत्तियां— मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(13) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना — (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7979—समग्र शिक्षा— मूल 2,736.00 पुनर्वि. (-)354.16	2,381.84	2,381.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 354.16 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक पारित नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

शीर्ष	अनुदान संख्या 64—जारी		वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
	कुल अनुदान			
(14) 2202-02-789-109-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना – (अनुसूचित जाति उपयोजना)– 8050—छात्रवृत्तियां– मूल 3,600.00 पुनर्वि. (-)3,560.00	40.00		40.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,560.00 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।				
(15) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 1395—छात्रावास– मूल 9,826.60 पुनर्वि. (-)1,665.17	8,164.43		8,630.77	+466.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,665.17 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए है (जुलाई 2023)। ₹ 466.34 लाख का आधिक्य व्यय समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।				
(16) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 3673—राज्य छात्रवृत्तियां– मूल 2,500.10 पुनर्वि. (-)1,074.46	1,425.64		1,425.64	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,074.46 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(17) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 5551—हाई स्कूल की छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय– मूल 1,260.00 पुनर्वि. (-)517.79	742.21		742.21	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 468.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 49.79 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 517.79 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।				
(18) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना– 578—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय– मूल 41,167.10 पूरक 45.45 पुनर्वि. (-)1,441.97	39,770.58		39,755.15	(-)15.43
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 941.97 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,441.97 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				

शीर्ष	अनुदान संख्या 64—जारी		वास्तविक	आधिक्य+
	कुल		व्यय	बचत(-)
	अनुदान		(₹ लाख में)	
(19) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7367—मॉडल स्कूल योजना— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)182.47	217.53		217.53	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 182.47 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(20) 2202-02-789-109-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7592—खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत छात्रावासियों को खाद्यान्न— मूल 450.00 पुनर्वि. (-)198.60	251.40		251.40	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 198.60 लाख की कमी जिलों को निधियों की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(21) 2202-02-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 307—अशासकीय संस्थाओं को अंशदान— मूल 795.00 पुनर्वि. (-)148.20	646.80		637.44	(-)9.36
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 148.20 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।				
(22) 2202-03-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 798—कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय— मूल 5,287.40 पुनर्वि. (-)821.54	4,465.86		4,459.55	(-)6.31
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 821.54 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।				
(23) 2204-789-103-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6408—राज्य युवा मितान क्लब— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)843.00	57.00		57.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 843.00 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार निधि के जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।				
(24) 2210-01-789-110-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6612—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन— मूल 190.00 पुनर्वि. (-)104.04	85.96		0.00	(-)85.96

अनुदान संख्या 64—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 104.04 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(25) 2210-01-789-110-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6612—राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन— मूल 284.60 पुनर्वि. (-)284.60	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि के जारी नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(26) 2210-02-789-101-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन— मूल 200.00 पुनर्वि. (-)170.00	30.00	30.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 170.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा जारी निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(27) 2210-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)255.00	45.00	45.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 255.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(28) 2210-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5683—जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठों की स्थापना— मूल 423.10 पुनर्वि. (-)117.93	305.17	304.56	(-)0.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 117.93 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(29) 2210-02-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8951—आयुर्वेदिक चिकित्सा महाविद्यालय बिलासपुर— मूल 500.30 पुनर्वि. (-)101.76	398.54	378.46	(-)20.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 101.76 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(30) 2210-03-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 1228-ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र एवं औषधालय— मूल 479.92 पुनर्वि. (-)41.16	438.76	358.68	(-)80.08
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 41.16 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(31) 2210-03-789-110-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6611-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना	605.28	0.00	(-)605.28
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(32) 2210-03-789-110-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6611-प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अधोसंरचना— मूल 908.04 पुनर्वि. (-)908.04	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(33) 2210-03-789-110-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6884-राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन— मूल 10,805.00 पूरक 9,800.00 पुनर्वि. (-)376.00	20,229.00	20,229.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 376.00 लाख की कमी निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(34) 2210-03-789-197-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5998-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 2,534.80 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)193.86	2,340.94	2,345.86	+4.92
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 193.86 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(35) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 4,970.30 पुनर्वि. (-)358.69	4,611.61	4,698.84	+87.23

अनुदान संख्या 64—जारी

₹ 87.23 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता का अपूर्ण आकलन का द्योतक है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 358.69 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान इस भी शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(36) 2210-05-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8952-आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बिलासपुर— मूल 980.80 पुनर्वि. (-)232.07	748.73	740.43	(-)8.30
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 232.07 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(37) 2210-06-789-200-0803-केन्द्र क्षेत्रीय योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6613-15 वें वित्त आयोग अंतर्गत अनुदान— मूल 5,448.00 पुनर्वि. (-)5,448.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(38) 2210-06-789-200-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6363-मुख्य मंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(39) 2215-02-789-107-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7610-स्वच्छ भारत अभियान— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)1,642.52	757.48	757.48	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,642.52 लाख कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(40) 2215-02-789-107-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7610-स्वच्छ भारत अभियान— मूल 3,600.00 पुनर्वि. (-)2,463.78	1,136.22	1,136.22	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,463.78 लाख कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(41) 2216-03-789-105-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7807—प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)— मूल 6,000.00 पुनर्वि. (-)595.59	5,404.41	5,404.41	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 595.59 लाख कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(42) 2217-80-789-191-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 2,550.00 पूरक 5,782.32 पुनर्वि. (-)4,403.22	3,929.10	3,928.10	(-)1.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,790.95 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 2,612.27 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 4,403.22 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(43) 2217-80-789-192-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 950.00 पूरक 2,170.45 पुनर्वि. (-)1,646.03	1,474.42	1,474.42	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 654.04 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 991.99 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,646.03 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(44) 2217-80-789-193-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 700.00 पूरक 1,572.37 पुनर्वि. (-)1,204.13	1,068.24	1,068.19	(-)0.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,204.13 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(45) 2225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 4,700.00 पुनर्वि. (-)2,630.26	2,069.74	1,095.00	(-)974.74

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,630.26 लाख की कमी जिलों से मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(46) 2225-01-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3185-अनुसूचित जाति सहकारी वित्त विकास निगम की स्थापना— मूल 800.00 पुनर्वि. (-)280.00	520.00	520.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 280.00 लाख की कमी जिलों से कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(47) 2225-01-789-277-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7627-व्यवसायिक प्रशिक्षण योजनाएँ— मूल 400.00 पुनर्वि. (-)130.41	269.59	269.59	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.41 लाख की कमी जिलों में निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(48) 2230-03-789-003-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7867-प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 128.28 पुनर्वि. (-)128.28	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(49) 2230-03-789-003-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7955-जीवन निर्वाह हेतु प्रशिक्षण— मूल 108.00 पुनर्वि. (-)108.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(50) 2230-03-789-003-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7683-मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना— मूल 1,100.00 पुनर्वि. (-)1,100.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(51) 2235-02-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 465.08 पुनर्वि. (-)252.27	212.81	212.81	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 252.27 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ती के आधार पर राज्यांश विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(52) 2235-02-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 9044—एकीकृत बाल विकास सेवा योजना— मूल 5,135.79 पुनर्वि. (-)3,409.38	1,726.41	1,725.78	(-)0.63
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,409.38 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(53) 2235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5354—एकीकृत सेवा योजना (विदेशी सहायता अन्तर्गत योजना)— मूल 1,860.29 पुनर्वि. (-)1,860.29	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(54) 2235-02-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6908—कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को मानदेय— मूल 2,880.00 पुनर्वि. (-)163.50	2,716.50	2,716.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 163.50 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(55) 2235-02-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7680—आंगनवाड़ी केन्द्रों का उन्नयन तथा ई.सी.सी.ई घटक— मूल 236.00 पुनर्वि. (-)120.40	115.60	115.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.40 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(56) 2235-02-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7884—प्रधानमंत्री मातृ वंदना— मूल 204.00 पुनर्वि. (-)153.00	51.00	51.00	0.00

अनुदान संख्या 64-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 153.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(57) 2235-02-789-103-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6641-वन स्टॉप सेन्टर (सखी)- मूल 110.00 पुनर्वि. (-)110.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(58) 2236-02-789-101-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)-राज्यांश- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 4,083.97 पुनर्वि. (-)909.76	3,174.21	3,174.21	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 909.76 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(59) 2236-02-789-101-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना- मूल 4,083.97 पुनर्वि. (-)909.76	3,174.21	3,174.21	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 909.76 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(60) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6359-मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान- मूल 714.81 पुनर्वि. (-)511.01	203.80	203.80	0.00
---	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 511.01 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(61) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7747-महतारी जतन योजना- मूल 390.15 पुनर्वि. (-)257.07	133.08	133.08	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 257.07 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(62) 2236-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9050-न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना— मूल 413.00 पुनर्वि. (-)291.73	121.27	121.26	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 291.73 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(63) 2401-789-102-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)175.15	304.85	304.85	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 175.15 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(64) 2401-789-102-0703-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7255-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन— मूल 720.00 पुनर्वि. (-)262.73	457.27	457.27	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 262.73 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(65) 2401-789-103-0703-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7264-एन. एम. ए. ई. टी. सबमिशन आन सीड एण्ड प्लान्टिंग मटेरियल योजना— मूल 168.00 पुनर्वि. (-)139.16	28.84	28.84	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 139.16 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त निधि अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(66) 2401-789-105-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6448-गोधन न्याय योजना— मूल 2,100.00 पुनर्वि. (-)903.00	1,197.00	1,197.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 903.00 लाख की कमी जिलों से प्राप्त मांग अनुसार निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(67) 2401-789-108-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 624.00 पुनर्वि. (-)540.63	83.37	83.37	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 540.63 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(68) 2401-789-108-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 280.00 पुनर्वि. (-)130.50	149.50	149.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 130.50 लाख की कमी शासन द्वारा विमुक्त निधि के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(69) 2401-789-108-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)480.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 266.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 214.00 लाख की कमी मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन योजना के साथ समस्याग्रस्त मृदा सुधार (आर.पी.एस.) योजना का एकीकरण किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(70) 2401-789-108-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 480.00 पुनर्वि. (-)464.00	16.00	0.00	(-)16.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 238.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 226.00 लाख की कमी योजना के बंद किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(71) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6606—भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति— मूल 123.60 पुनर्वि. (-)123.60	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(72) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 936.00 पुनर्वि. (-)810.94	125.06	125.06	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 810.94 लाख की कमी सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(73) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7267—एन.एम.एस.ए. स्वाइल हेल्थ मेनेजमेंट योजना— मूल 125.40 पुनर्वि. (-)125.40	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा परियोजना का स्वीकृति नहीं दिये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(74) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7684—प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना— मूल 420.00 पुनर्वि. (-)195.75	224.25	224.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 195.75 लाख की कमी जारी निधि के अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(75) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7830—परम्परागत कृषि विकास योजना— मूल 144.00 पुनर्वि. (-)144.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(76) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7832—टारगेटेड राईस फेलो एरिया (टी.आर.एफ.ए.)— मूल 720.00 पुनर्वि. (-)720.00	0.00	0.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 400.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 320.00 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।			
(77) 2401-789-108-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8942—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (हरित क्रांति)— मूल 720.00 पुनर्वि. (-)720.00	0.00	0.00	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 320.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 400.00 लाख की कमी योजना को बंद किये जाने के कारण सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(78) 2401-789-108-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5549-गन्ना कृषकों को बोनस— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)114.65	885.35	885.35	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.65 लाख की कमी सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(79) 2401-789-109-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7269-एन.एम.ए.ई.टी. सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन— मूल 270.00 पुनर्वि. (-)102.00	168.00	168.00	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(80) 2401-789-119-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 144.00 पुनर्वि. (-)126.58	17.42	17.42	0.00
---	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 126.58 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(81) 2401-789-119-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7705-एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 984.00 पुनर्वि. (-)391.74	592.26	488.00	(-)104.26
--	--------	--------	-----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 391.74 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(82) 2401-789-119-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 216.00 पुनर्वि. (-)189.87	26.13	26.13	0.00
--	-------	-------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 189.87 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(83) 2401-789-119-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7705—एकीकृत बागवानी विकास मिशन— मूल 1,476.00 पुनर्वि. (-)587.62	888.38	732.00	(-)156.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 587.62 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(84) 2401-789-800-1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6353—चिराग योजना— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)3,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(85) 2403-789-101-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5620—पशुरोग नियंत्रण— मूल 176.16 पुनर्वि. (-)149.80	26.36	26.36	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 149.80 लाख की कमी भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(86) 2403-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7621—नेशनल लाइव स्टॉक मिशन— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(87) 2403-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7621—नेशनल लाइव स्टॉक मिशन— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)150.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(88) 2403-789-108-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 240.00 पुनर्वि. (-)223.44	16.56	16.56	0.00

अनुदान संख्या 64—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 213.44 लाख की कमी जारी निधि के अनुसार व्यय किये जाने के कारण प्रावधान से ₹ 223.44 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। पुनर्विनियोजन के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(89) 2403-789-108-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7242-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 360.00 पुनर्वि. (-)335.19	24.81	24.81	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 335.19 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(90) 2406-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2962-बिगड़े वनों का सुधार— मूल 4,509.12 पुनर्वि. (-)725.96	3,783.16	3,784.54	+1.38
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 725.96 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(91) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2533-हरियाली प्रसार योजना— मूल 615.00 पुनर्वि. (-)317.90	297.10	297.36	+0.26
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 317.90 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(92) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6724-बांस वनों का पुनरोद्धार— मूल 2,140.00 पुनर्वि. (-)645.28	1,494.72	1,494.73	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 645.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(93) 2406-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7930-मुख्यमंत्री बांस विकास योजना— मूल 239.98 पुनर्वि. (-)147.16	92.82	92.83	+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 147.16 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(94) 2406-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7894—उचित मूल्य दुकानों को वित्तीय पोषण— मूल 1,020.00 पुनर्वि. (-)1,020.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान सरकार द्वारा निधि जारी नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(95) 2425-789-107-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5628—कृषक ऋण ब्याजदर युक्तिकरण हेतु ब्याज अनुदान— मूल 3,303.96 पुनर्वि. (-)1,106.00	2,197.96	2,197.96	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,106.00 लाख की कमी वित्त विभाग द्वारा निधि जारी नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(96) 2425-789-107-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7889—प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का कम्प्यूटरीकरण	120.00	0.00	(-)120.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(97) 2505-60-789-196-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 5,100.00 पुनर्वि. (-)1,594.06	3,505.94	3,505.94	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,594.06 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार राज्यांश विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(98) 2505-60-789-196-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6728—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना— मूल 15,300.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)2,995.93	12,304.07	12,304.07	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,995.93 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ती के अनुसार राज्यांश विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-789-110-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 110-अशासकीय विद्यालय को अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए-			
मूल	1,050.00		
पुनर्वि.	1,699.05	2,749.05	2,889.37
			+140.32
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,404.33 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 705.28 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण प्रावधान में ₹ 1,699.05 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुई थी।			
(2) 2210-03-789-198-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र-			
मूल	1,134.60		
पुनर्वि.	(-)114.81	1,019.79	1,370.79
			+351.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.81 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 351.00 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(3) 2217-80-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	1,418.72	1,418.72	1,418.72
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,418.72 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा नवीन योजना हेतु निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 2217-80-789-191-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6655-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.ई.सी. एवं बिहेवियर चेंज-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	217.28	217.28	217.28
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 217.28 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा नवीन योजना हेतु निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2217-80-789-192-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	532.53	532.53	532.53
			0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 532.53 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा नवीन योजना हेतु निधि जारी किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(6) 2217-80-789-193-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 385.79	385.79	385.79	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 385.79 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(7) 2225-01-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7629—अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ— मूल 534.00 पूरक 670.90 पुनर्वि. 124.50	1,329.40	1,329.40	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 124.50 लाख का आवर्धन भारत सरकार द्वारा अतिरिक्त निधि विमुक्त किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 2225-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7629—अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ— मूल 801.00 पूरक 670.91 पुनर्वि. (-)0.88	1,471.03	2,448.76	+977.73
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 0.88 लाख की कमी के पर्याप्त कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। निधि के समर्पण के पश्चात राशि ₹ 977.73 लाख का आधिक्य व्यय, निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।			
(9) 2401-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6438—राजीव गांधी कृषि न्याय योजना— मूल 72,000.00 पूरक 10,000.00 पुनर्वि. 2,100.00	84,100.00	84,100.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 2,100.00 लाख का आवर्धन अतिरिक्त निधि के आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(10) 2401-789-110-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7797—प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना— मूल 6,340.00 पुनर्वि. 742.57	7,082.57	7,343.21	+260.64

अनुदान संख्या 64—जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 742.57 लाख का आवर्धन अतिरिक्त निधि के आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 260.64 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के समय निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(11) 2401-789-113-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान—			
मूल	384.00		
पुनर्वि.	480.00	864.00	+16.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 480.00 लाख का आवर्धन अतिरिक्त निधि के आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(12) 2401-789-113-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8961—कृषि यांत्रिकीकरण मिशन अंतर्गत कृषि यंत्रों पर अनुदान—			
मूल	576.00		
पुनर्वि.	744.00	1,320.00	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 744.00 लाख का आवर्धन अतिरिक्त निधि के आवश्यकता होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

प्रभारित—

(v) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vi) ₹ 24,949.37 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 25,021.95 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण था।

(vii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4202-01-789-202-1203—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 1400—विवेकानन्द गुरुकुल उन्नयन योजना—			
मूल	1,238.00		
पुनर्वि.	(-)1,238.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान निधि प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 4210-02-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 620-उप स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 142.55 पूरक 30.00 पुनर्वि. (-)142.55	30.00	0.00	(-)30.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 142.55 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(3) 4210-02-789-103-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2777-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र— मूल 273.45 पुनर्वि. (-)100.00	173.45	173.45	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 100.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 4215-01-789-102-0703-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6383-जल जीवन मिशन योजना— मूल 8,387.02 पुनर्वि. (-)7,098.72	1,288.30	1,288.30	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 7,098.72 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 4215-01-789-102-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)468.77	31.23	31.23	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 468.77 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 4215-01-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5403-पाइप द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय योजना— मूल 150.00 पुनर्वि. (-)128.79	21.21	21.21	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 128.79 लाख की कमी निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4225-01-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7699—प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,999.99	0.01	0.01	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,999.99 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(8) 4225-01-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7699—प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)2,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 4225-01-789-102-0603—अनुसूचित जाति के लिए भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता से पोषित— 7626—विशेष केन्द्रीय सहायता पोषित योजनाओं से स्थानीय विकास कार्यक्रम— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,302.88	697.12	697.12	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,302.88 लाख की कमी निधि की कम मांग प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4225-01-789-102-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5616—गिरौदपुरी एवं भंडारपुरी का समन्वित विकास— मूल 400.00 पूरक 100.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 4235-02-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 337—आंगनबाड़ियों का सुधार एवं निर्माण— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(12) 4235-02-789-103-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6441—कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त नहीं किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(13) 4515-789-102-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन— मूल 288.00 पुनर्वि. (-)201.32	86.68	86.68	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 201.32 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्ती के आधार पर राज्यांश विमुक्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 4515-789-102-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7759—श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन— मूल 432.00 पुनर्वि. (-)301.98	130.02	130.02	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 301.98 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश विमुक्त के आधार पर निधि का आहरण किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(15) 4700-10-789-800-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— पूरक 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(16) 4700-10-789-800-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— पूरक 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(17) 4700-10-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)110.86	189.14	138.14	(-)51.00

अनुदान संख्या 64—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.86 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(18) 4700-11-789-800-0706—केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— पूरक 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(19) 4700-11-789-800-0703—केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— पूरक 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्रीय जल आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(20) 4700-12-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2884—नहर तथा उससे संबंधित कार्य— मूल 710.00 पुनर्वि. (-)241.79	468.21	368.21	(-)100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 241.79 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निपटारा नहीं किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4700-80-789-800-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6597—उद्वहन सिंचाई परियोजना (मेगा लिफ्ट)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(22) 4702-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 3828—लघु सिंचाई योजना— मूल 5,310.00 पुनर्वि. (-)4,256.08	1,053.92	1,053.92	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 3,556.08 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति एवं भूमि अधिग्रहण प्रकरणों का निपटारा नहीं किये के कारण प्रावधान से ₹ 4,256.08 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 4702-789-102-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 5059-एनिकट / स्टापडेम का निर्माण— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,119.06	1,380.94	1,381.28	+0.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,119.06 लाख की कमी नवीन कार्यों हेतु अनुमोदन प्राप्त नहीं होने एवं निविदा कार्यों की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2008-09 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(24) 4801-02-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7498-पूँजीगत व्यय विद्युत पारेषण/ उत्पादन/वितरण कम्पनी— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2023)।			
(25) 4810-789-101-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6415-प्रधानमंत्री कुसुम योजना— मूल 1,200.00 पुनर्वि. (-)1,200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2023)।			
(26) 4810-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 6416-सोलर पंप के माध्यम से नदी/ एनिकटों के जल से तालाबों को भरने की योजना— मूल 180.00 पुनर्वि. (-)108.00	72.00	72.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 108.00 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किये गए हैं (जुलाई 2023)।			
(27) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4149-वृहद पूलों का निर्माण— मूल 3,550.00 पुनर्वि. (-)2,331.91	1,218.09	1,240.09	+22.00
समर्पण द्वारा ₹ 2,331.91 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(28) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 6590—नाबार्ड ऋण सहायता के अंतर्गत ग्रामीण मार्गों का निर्माण— मूल 1,004.00 पुनर्वि. (-)1,004.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2012-13 से 2021-22 के दौरान इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(29) 5054-04-789-337-0313—नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 7475—मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना— मूल 1,392.00 पुनर्वि. (-)1,079.39	312.61	292.00	(-)20.61
पुनर्विनियोजन द्वारा 498.38 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 581.01 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने होने के कारण प्रावधान से ₹ 1,079.39 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(30) 5054-04-789-337-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 4557—सुदृढीकरण (सतह मजबूतीकरण)— मूल 100.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(31) 5054-04-789-337-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 9002—अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण— मूल 11,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,768.22	7,231.78	7,288.47	+56.69
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,768.22 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(32) 5275-789-101-0103—अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 7861—संचार क्रांति योजना— मूल 1,307.00 पूरक 114.72 पुनर्वि. (-)114.72	1,307.00	1,307.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 114.72 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 64—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(33) 6215-01-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2182-नई नगरीय जल प्रदाय योजनाएं— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)105.00	195.00	195.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 105.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(34) 6408-02-789-190-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 8545-नाबार्ड सहायता से गोदाम निर्माण— मूल 540.00 पुनर्वि. (-)540.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम से दावा प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(viii) उपरोक्त टिप्पणी (vii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4215-01-789-102-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना— (अनुसूचित जाति उपयोजना)—राज्यांश— 6383-जल जीवन मिशन योजना— मूल 8,387.02 पूरक 18,192.00 पुनर्वि 7,098.34	33,677.36	33,677.36	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,098.72 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 0.38 लाख की कमी के कारण प्रावधान में ₹ 7,098.34 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। पुनर्विनियोजन एवं समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(2) 4700-02-789-800-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 2898-बांध तथा संलग्न कार्य— मूल 1,420.00 पुनर्वि. 582.31	2,002.31	2,002.31	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 700.00 लाख की वृद्धि प्रगतिरत कार्य के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 117.69 लाख की कमी निविदा कार्य की धीमी प्रगति होने के कारण प्रावधान में ₹ 582.31 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है।

(3) 4801-06-789-190-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना— 8965-मुख्यमंत्री मजार टोला विद्युतिकरण योजना— मूल 810.00 पुनर्वि. 600.00	1,410.00	1,410.00	0.00
---	----------	----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 600.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

अनुदान संख्या 64-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4810-789-101-0313-नाबार्ड पोषित योजनायें (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7693-सोलर पंप हेतु सहायक अनुदान-			
मूल	4,706.00		
पूरक	1,187.00		
पुनर्वि.	1,200.00	7,093.00	7,093.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,200.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			0.00
(5) 4810-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 6634-इन्दिरा गांव गंगा योजना-			
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	108.00	108.00	108.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 108.00 लाख के आवर्धन के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			0.00
(6) 5054-03-789-101-0103-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- 7976-जवाहर सेतु योजना-			
मूल	440.00		
पुनर्वि.	322.26	762.26	751.77
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 500.00 लाख का वृद्धि देयको के भुगतान किये जाने एवं समर्पण द्वारा ₹ 177.74 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में धीमी प्रगति होने के कारण प्रावधान में ₹ 322.26 लाख का आवर्धन उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			(-)10.49
(7) 5054-04-789-337-0706-केन्द्र प्रवर्तित योजना- (अनुसूचित जाति उपयोजना)-राज्यांश- 4855-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-			
मूल	4,800.00		
पूरक	1,212.00		
पुनर्वि.	498.38	6,510.38	6,510.38
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 498.38 लाख का आवर्धन सरकार द्वारा आबंटित निधि जारी नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00

अनुदान संख्या 65—विमानन विभाग

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2052—सचिवालय—सामान्य सेवायें			
5053—नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत—			
मूल	54,48,78		
पूरक	78,00,00	1,32,48,78	1,21,44,63
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)11,04,15 10,57,00
<i>प्रभारित</i>	<i>10</i>	<i>00</i>	<i>(-)10</i>
<i>वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)</i>			<i>10</i>
पूंजीगत	7,00,50	2,55,95	(-)4,44,55
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			4,44,55
टीका एवं टिप्पणियां			

इस अनुदान के राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 15,25,97 हजार सम्मिलित है जिसको नवंबर 2022 को स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2023 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) ₹ 1,104.15 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,057.00 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2052—091—4043—विमानन			
संचालनालय—			
मूल	5,448.78		
पूरक	7,800.00		
पुनर्वि.	(-)1,057.00	12,191.78	12,144.63
			(-)47.15

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,057.00 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अंबिकापुर से एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं होने एवं सरकारी हेलीकाप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से बीमा पर कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2004—05 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

प्रभारित—

(iii) ₹ 0.10 लाख का सम्पूर्ण विनियोग वर्ष के दौरान अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया। 2011—12 से 2021—22 के दौरान भी सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा था।

अनुदान संख्या 65—समाप्त

पूँजीगत:
दत्तमत—

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5053—80—800—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4043—विमानन संचालनालय— मूल 700.30 पुनर्वि. (-)444.35	255.95	255.95	0.0

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 444.35 लाख की कमी मितव्ययी उपायों को अपनाने, रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, अंबिकापुर से एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू नहीं होने एवं सरकारी हेलीकाप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से बीमा पर कम व्यय होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 66—पिछड़ा वर्ग कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	2,35,55,30		
पूरक	(-),1,51,03,72	3,86,59,02	50,82,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-),3,35,76,26 3,35,75,87
पूंजीगत	18,16,00	11,18,73	(-),6,97,27 6,97,27
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व:

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 (₹ 103.72 लाख) एवं मार्च 2023 (₹ 15,000.00 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 15,103.72 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन का को दर्शाता है।

(ii) ₹ 33,575.87 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 33,575.87 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202-02-109-0801-केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)- 8050-छात्रवृत्तियां-			
मूल	2,600.10		
पुनर्वि.	(-),2,600.10	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त नहीं होने (₹ 600.10 लाख) एवं शेष राशि ₹ 2,000.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 2202-02-109-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 8050-छात्रवृत्तियां-			
पूरक	6,000.00		
पुनर्वि.	(-),6,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 66—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-109-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 8050—छात्रवृत्तियां— पूरक 9,000.00 पुनर्वि. (-)8,707.25	292.75	292.75	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 8,707.25 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(4) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1395—छात्रावास— मूल 673.10 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)160.48	512.62	512.29	(-)0.33
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 160.48 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3673—राज्य छात्रवृत्तियां— मूल 18,500.00 पुनर्वि. (-)15,699.46	2,800.54	2,800.54	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,699.46 लाख की कमी कोषालय द्वारा देयक स्वीकृत नहीं किये जाने एवं आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7363—युवा वाहक विकास योजना— मूल 170.80 पुनर्वि. (-)81.55	89.25	89.25	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 81.55 लाख की कमी जिला कार्यालयों द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है (₹ 56.55 लाख)। शेष राशि ₹ 25.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2202-02-109-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7437—मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)94.90	5.10	5.10	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.90 लाख की कमी के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(8) 2225-03-102-6749—राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग— मूल 182.70 पुनर्वि. (-)66.03	116.67	116.67	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 66.03 लाख की कमी आयोग द्वारा निधि का उपयोग नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2225-04-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 9410—हज कमेटी को सहायता अनुदान— मूल 130.00 पुनर्वि. (-)78.00	52.00	52.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 78.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 66—समाप्त

पूँजीगत:

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4225-03-190-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5096-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को अंशपूँजी-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	60.00
			0.00
(2) 4225-04-102-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7605-अल्पसंख्यक बहुक्षेत्रीय विकास-			
मूल	1,004.25		
पुनर्वि.	(-)520.27	483.98	483.98
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के पर्याप्त कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 520.27 लाख की कमी भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—लोक निर्माण कार्य—भवन

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2059—लोक निर्माण कार्य			
2202—सामान्य शिक्षा			
2203—तकनीकी शिक्षा			
2204—खेलकूद तथा युवा सेवाएं			
2205—कला एवं संस्कृति			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
2211—परिवार कल्याण			
2216—आवास			
2225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण			
2230—श्रम तथा रोजगार			
2401—फसल कृषि—कर्म			
2403—पशुपालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2851—ग्रामीण तथा लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4059—लोक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
4403—पशु पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
4405—मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
दत्तमत	7,03,18,90	5,80,18,60	(-)1,23,00,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			84,94,83
<i>प्रभारित</i>	<i>1,46,00</i>	<i>1,18,40</i>	<i>(-)27,60</i>
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			27,60
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	8,00,31,96		
पूरक	3,95,79	8,04,27,75	4,54,26,76
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)3,50,00,99
			3,50,55,94
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			

(i) ₹ 12,300.30 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 8,494.83 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह दोषपूर्ण बजटीय प्रबंधन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 67—जारी

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-01-053-1024—खजाना और लेखा प्रशासन—			
मूल	141.00		
पुनर्वि.	(-)89.42	51.58	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.42 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 2059-01-053-1533—जेल प्रशासन			
मूल	300.00		
पुनर्वि.	(-)156.00	144.00	(-)9.76
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 156.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 2059-01-053-3383—विशेष मरम्मत— भवन—			
मूल	1,400.00		
पुनर्वि.	(-)318.48	1,081.52	(-)23.41
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 318.48 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2059-01-053-4608—स्टाम्प और पंजीयन—			
मूल	105.00		
पुनर्वि.	(-)89.35	15.65	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 89.35 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2059-01-053-6441—कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम एवं उपचार			
मूल	1,000.00		
पुनर्वि.	(-)749.54	250.46	+26.49
₹ 26.49 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 154.54 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 595.00 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने एवं निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण प्रावधान से ₹ 749.54 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(6) 2059-01-053-7479—छत्तीसगढ़ सदन नई दिल्ली—			
मूल	130.00		
पुनर्वि.	(-)78.51	51.49	(-)10.10
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 78.51 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(7) 2059-60-053-4143—प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण—			
मूल	750.00		
पुनर्वि.	(-)136.64	613.36	(-)11.55
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 136.64 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2059-60-053-7755-अतिविशिष्ट अतिथियों का भ्रमण— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)498.27	2,501.73	2,276.73	(-)225.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 498.27 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(9) 2059-60-053-794-कला और संस्कृति भवनों का रख रखाव— मूल 250.00 पुनर्वि. (-)177.70	72.30	70.80	(-)1.50
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 177.70 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 2418-क्रियान्वयन— मूल 34,131.20 पुनर्वि. (-)23.00	34,108.20	31,498.59	(-)2,609.61
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 23.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(11) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3300-मण्डल स्थापना	2,196.75	1,668.34	(-)528.41
अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 2059-80-001-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)— 3566-मुख्यालय स्थापना— मूल 3,121.85 पुनर्वि. 23.00	3,144.85	2,857.01	(-)287.84
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 23.00 लाख का आवर्धन लम्बित चिकित्सा देयकों का भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(13) 2059-80-052-9269-मशीनों का नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन— मूल 536.10 पुनर्वि. (-)308.38	227.72	221.57	(-)6.15
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 308.38 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(14) 2059-80-799-1051-स्टॉक— मूल 183.00 पुनर्वि. (-)183.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(15) 2059—80—799—4056—विविध लोक निर्माण पेशगियां— मूल 140.00 पुनर्वि. (-)137.57	2.43	2.43	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 137.57 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2216—05—053—4095—विशेष मरम्मतें— मूल 1,850.00 पुनर्वि. (-)458.28	1,391.72	1,391.76	+0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 458.28 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014—15 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 2216—80—001—2300—निर्देशन एवं प्रशासन— (मांग संख्या 67—2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित स्थापना) का समानुपातिक भाग— मूल 3,692.90 पुनर्वि. (-)3,189.51	503.39	503.39	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,189.51 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रोराटा विवरण तथा बजट में प्रावधानित प्रोराटा अंश के अनुसार कार्यालय महालेखाकार द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2216—80—052—692—औजार एवं संयंत्र प्रभार (मांग संख्या 67—2059 लोक निर्माण कार्य से अंतरित औजार एवं संयंत्र का समानुपातिक भाग)— मूल 1,324.80 पुनर्वि. (-)1,306.08	18.72	18.72	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,306.08 लाख की कमी शासन से प्राप्त प्रोराटा विवरण तथा बजट में प्रावधानित प्रोराटा अंश के अनुसार कार्यालय महालेखाकार द्वारा निधि का समायोजन किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2401—119—6984—अधीनस्थ तथा विशेषज्ञ कर्मचारी वृन्द— मूल 200.50 पुनर्वि. (-)200.50	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान अन्य विभाग से निधि के अंतरण होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2216—05—053—4489—सामान्य मरम्मतें— मूल 1,800.00 पुनर्वि. 205.02	2,005.02	1,985.37	(-)19.65

अनुदान संख्या 67-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 300.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 94.98 लाख की कमी सरकारी भवनों में 82 लिफ्ट के मरम्मत कार्यों के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 205.02 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं की गई है (जुलाई 2023)। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(iv) उचंत लेन देन-

इस अनुदान के अन्तर्गत किए गए व्यय को "2059-लोक निर्माण कार्य उचंत" शीर्ष के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया गया है। उचंत के अन्तर्गत लेन देनों की प्रकृति और लेखा प्रक्रिया की व्याख्या अनुदान संख्या 20-लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजस्व अनुभाग) के विनियोग लेखे की टीप (iv) में दिए गए हैं।

वर्ष 2022-23 के दौरान इस अनुभाग में लेखांकित उचंत लेन देनों का विश्लेषण विभिन्न उचंत उपशीर्षों के अन्तर्गत प्रारंभिक एवं अंत शेषों सहित नीचे दिया गया है।

विवरण	प्रारंभिक शेष 1 अप्रैल 2022 को नामे (+)/ जमा (-)	वर्ष के दौरान नामे	वर्ष के दौरान जमा	अंत शेष 31 मार्च 2023 को नामे (+)/जमा (-)
2059-लोक निर्माण कार्य-	(₹ लाख में)			
(i) क्रय	(-) 2,282.95	0.00	0.00	(-) 2,282.95
(ii) भण्डार	+1,959.89	0.00	0.00	+1,959.89
(iii) विविध लोक निर्माण कार्य अग्रिम	+ 7,337.15	2.43	0.00	+7,339.58
योग	+7,014.09	2.43	0.00	+7,016.52

प्रभारित-

(v) विनियोग में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2059-80-800-1835-डिक्री धन का भुगतान (भारित)- मूल 138.00 पुनर्वि. (-)19.60	118.40	118.40	0.00

समर्पण द्वारा विनियोग से ₹ 19.60 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किये गये है (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2216-80-800-1836-डिक्री धन का भुगतान (भारित)- मूल 8.00 पुनर्वि. (-)8.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण विनियोग विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूँजीगत:

दत्तमत-

(vi) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अगस्त 2022 (सांकेतिक) एवं दिसम्बर 2022 (₹ 395.78 लाख) में प्राप्त किया गया ₹ 395.79 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vii) ₹ 35,000.99 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 35,055.94 लाख का अभ्यर्पण अवास्तविक एवं अविवेकपूर्ण रहा।

अनुदान संख्या 67—जारी

(viii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 2,400.00 पुनर्वि. (-)1,688.52	711.48	711.48	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,688.52 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(2) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2407—चुनाव— मूल 100.60 पुनर्वि. (-)100.60	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(3) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2450—न्याय प्रशासन— मूल 1,528.00 पुनर्वि. (-)187.14	1,340.86	1,340.88	0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 187.14 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2956—बिक्री कर— मूल 2,301.00 पुनर्वि. (-)1,838.65	462.35	462.34	(-)0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 338.65 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 1,838.65 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(5) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3755—राष्ट्रीय सैन्य दल— मूल 160.00 पुनर्वि. (-)160.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 4059-01-051-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 3855—लोक निर्माण कार्य— भवन— मूल 20,000.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)597.31	19,402.69	19,402.73	+0.04
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 597.31 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(7) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5049-राज्य विधान मण्डल- मूल 10,000.00 पुनर्वि. (-)6,087.03	3,912.97	3,912.97	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 6,087.03 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5600-परिवहन कार्यालय भवन का निर्माण- मूल 220.00 पुनर्वि. (-)113.54	106.46	106.46	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 113.54 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5651-होम गार्ड परिसर में निर्माण- मूल 190.00 पुनर्वि. (-)143.13	46.87	46.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 143.13 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(10) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6333-भू-राजस्व कार्यालय भवन- मूल 854.00 पूरक 200.00 पुनर्वि. (-)984.21	69.79	69.79	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 984.21 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7718-आपातकालीन सेवाएं मूल 116.00 पुनर्वि. (-)116.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(12) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8040-जेल भवनों का निर्माण- मूल 3,867.00 पुनर्वि. (-)3,065.19	801.81	820.47	+18.66
₹ 18.66 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,065.19 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2008-09 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 67-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 4059-80-052-3412-भारी मशीनों का क्रय- मूल 400.00 पुनर्वि. (-)400.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(14) 4202-01-202-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भुगतान के लिए एस.एन.ए. खाते नहीं खोले जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(15) 4202-01-202-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7673-विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के तहत लाभार्थियों को भुगतान के लिए एस.एन.ए. खाते नहीं खोले जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(16) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 1502-जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था- (मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए)- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भुगतान के लिए एस.एन.ए. खाते नहीं खोले जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(17) 4202-01-202-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 7673-विकास खण्ड शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भुगतान के लिए एस.एन.ए. खाते नहीं खोले जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 4202-01-202-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण- मूल 7,500.00 पुनर्वि. (-)5,681.21	1,818.79	1,858.50	+39.71

₹ 39.71 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है। पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 220.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 5,461.21 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 5,681.21 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(19) 4202-02-104-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8071-पॉलीटेक्निक भवनों का निर्माण-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)290.16	209.84	215.01
			+5.17
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 290.16 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(20) 4202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास- स्टेडियम इत्यादि-			
मूल	2,400.00		
पुनर्वि.	(-)778.78	1,621.22	1,621.23
			+0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 778.78 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(21) 4202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5908-खेल प्रशिक्षण भवन का निर्माण-			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(22) 4202-03-102-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8984-यूथ हास्टल-			
मूल	180.00		
पुनर्वि.	(-)180.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरन्तर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(23) 4210-02-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 617-उप स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण-			
मूल	296.01		
पुनर्वि.	(-)296.01	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित विभागों के अनुदान से व्यय का भुगतान होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(24) 4210-02-103-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4143-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण-			
मूल	125.00		
पुनर्वि.	(-)125.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान संबंधित विभागों के बजट से व्यय का भुगतान किये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(25) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2216-नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण-			
मूल	1,529.00		
पुनर्वि.	(-)712.55	816.45	816.45
			0.00

अनुदान संख्या 67-जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 712.55 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(26) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4220-शिक्षा चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	4,000.00		
पुनर्वि.	(-)2,110.08	1,889.92	1,933.10
			+43.18

₹ 43.18 लाख का आधिक्य व्यय, पुनर्विनियोजन के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन एवं कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,110.08 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2013-14 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(27) 4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8897-सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना-			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)480.22	19.78	19.78
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 480.22 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(28) 4216-01-106-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 6222-न्याय प्रशासन (आवास गृह का निर्माण)-			
मूल	3,801.60		
पुनर्वि.	(-)3,801.60	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा एस.एन.ए. खाते की मैपिंग तैयार किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(29) 4216-01-106-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन (आवास गृह का निर्माण)-			
मूल	5,702.40		
पुनर्वि.	(-)5,702.40	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार एस.एन.ए. खाते की मैपिंग तैयार किए जाने के कारण एवं इस योजना से व्यय नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(30) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 5640-उच्च न्यायालय हेतु आवासीय केम्पस का निर्माण-			
मूल	1,500.00		
पूरक	17.29		
पुनर्वि.	(-)963.61	553.68	553.69
			+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 45.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 918.61 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 963.61 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 67—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(31) 4216-01-106-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6222-न्याय प्रशासन (आवास गृह का निर्माण)- मूल 22.00 पूरक 98.49 पुनर्वि. (-)120.49	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार एस.एन.ए. खाते की मैपिंग तैयार किए जाने के कारण एवं इस योजना से व्यय नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(32) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8935-लाइवलीहुड कालेज- मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------

सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(33) 4250-203-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 976-सूचना प्रौद्योगिकी भवन का निर्माण- मूल 659.10 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)281.02	378.08	362.96	(-)15.12
--	--------	--------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 281.02 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(ix) उपरोक्त टिप्पणी (viii) में उल्लिखित बचत मुख्यतः निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 2450-न्याय प्रशासन- मूल 3,600.00 पुनर्वि. 2,520.00	6,120.00	6,119.92	(-)0.08

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 2,520.00 लाख का आवर्धन लम्बित देयकों का भुगतान किये जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

(2) 4059-01-051-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 3242-छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली- मूल 105.00 पुनर्वि. 619.83	724.83	724.83	0.00
--	--------	--------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,500.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 880.17 लाख की कमी लम्बित देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 619.83 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है।

अनुदान संख्या 67—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-01-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 4402-शासकीय शैक्षणिक महाविद्यालय-			
मूल	20.00		
पुनर्वि.	211.55	231.56	+0.01

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 220.00 लाख की वृद्धि एवं समर्पण द्वारा ₹ 8.45 लाख की कमी अनुबंध देयकों के भुगतान हेतु अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होने एवं विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण प्रावधान में ₹ 211.55 लाख का आवर्धन उल्लिखित किया गया है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत आधिक्य हुआ था।

अनुदान संख्या 68—आदिवासी क्षेत्र उपयोजना से सम्बंधित लोक निर्माण कार्य—भवन

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4055—पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
4059—लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4202—शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय			
4210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
4216—आवास पर पूंजीगत परिव्यय			
4225—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250—अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत			
मूल	1,28,76,33		
पूरक	45,01	1,29,21,34	53,87,53
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)75,33,81 75,16,42
टीका एवं टिप्पणियां			
पूंजीगत :			

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2023 में ₹ 4,500.90 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 7,533.81 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 7,516.42 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 4606-स्टाम्प एवं पंजीयन— मूल 172.28 पुनर्वि. (-)172.28	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(2) 4059-01-796-051-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 6333-भू-राजस्व— कार्यालय भवन— मूल 341.00 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)328.78	12.22	12.22	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 328.78 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में बिलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 68—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 4202-01-796-202-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 3490-माध्यमिक शाला भवनों का निर्माण-			
मूल	5,000.00		
पूरक	45.00		
पुनर्वि.	(-)3,526.51	1,518.49	1,473.44
			(-)45.05
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,526.51 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 4202-01-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5086-महाविद्यालयीन भवनों का निर्माण-			
मूल	3,745.00		
पुनर्वि.	(-)1,415.88	2,329.12	2,359.13
			+30.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,415.88 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 4202-02-796-104-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8071-पॉलिटेक्निक भवनों का निर्माण-			
मूल	400.00		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	(-)231.55	168.45	168.45
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 231.55 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2012-13 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 4202-02-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 515-इन्जीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय और संस्थान, भवनों का निर्माण-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)146.05	3.95	3.95
			0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 146.05 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 4202-03-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5226-मूलभूत सुविधाओं का विकास स्टेडियम आदि-			
मूल	579.00		
पुनर्वि.	(-)335.56	243.44	243.43
			(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 335.56 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 4210-03-796-105-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 4220-शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय-			
मूल	200.00		
पुनर्वि.	(-)200.00	0.00	0.00
			0.00
सम्पूर्ण प्रावधान विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 68—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 2631-पुलिस प्रशासन-			
मूल	137.00		
पुनर्वि.	(-)97.54	39.46	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.54 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(10) 4216-01-796-106-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 5918-सामान्य प्रशासन विभाग-			
मूल	320.00		
पुनर्वि.	(-)266.68	53.32	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 266.68 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 8935-लाइवलीहुड कालेज-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)84.07	65.93	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 84.07 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2014-15 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 4250-796-203-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना- 976-आई. टी. आई. कार्यालय भवनों का निर्माण-			
मूल	1,524.00		
पूरक	0.01		
पुनर्वि.	(-)575.06	948.95	(-)2.34
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 575.06 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलंब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 69—नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग—नगरीय कल्याण

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2049—ब्याज का भुगतान			
2217—शहरी विकास			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व:			
मूल	8,68,96,72		
पूरक	5,82,69,84	14,51,66,56	12,99,73,30
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,51,93,26 1,51,93,25
पूंजीगत:			
मूल	00		
पूरक	सांकेतिक	00	00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			00
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2049—60—701—7709—सबके लिए आवास योजना—			
मूल	11,300.00		
पुनर्वि.	(-)3,940.78	7,359.22	7,359.22
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,940.78 लाख की कमी स्थानीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			0.00
(2) 2217—80—191—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7685—स्मार्ट सिटी—			
मूल	17,800.00		
पुनर्वि.	(-)16,900.00	900.00	900.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 16,900.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00
(3) 2217—80—191—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7709—सबके लिए आवास योजना—			
मूल	5,311.00		
पूरक	122.89		
पुनर्वि.	(-)876.82	4,557.07	4,557.07
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 122.89 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 876.82 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			0.00

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 988.20 पुनर्वि. (-)988.20	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(5) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7685—स्मार्ट सिटी— मूल 17,800.00 पुनर्वि. (-)16,900.00	900.00	900.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 16,900.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7706—अमृत मिशन— मूल 6,800.00 पुनर्वि. (-)2,152.56	4,647.44	4,647.44	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,152.56 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 5,789.00 पूरक 26,405.25 पुनर्वि. (-)8,887.93	23,306.32	23,306.32	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 7,037.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,850.93 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 8,887.93 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(8) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 1,482.30 पुनर्वि. (-)1,482.30	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 2217-80-192-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 1,760.00 पूरक 66.51 पुनर्वि. (-)1,719.77	106.74	106.74	0.00
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 66.51 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,719.77 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2217-80-192-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 275.40 पुनर्वि. (-)275.40	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(11) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7706—अमृत मिशन— पूरक 2,371.00 पुनर्वि. (-)184.96	2,186.04	2,186.04	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 184.96 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 1,940.00 पूरक 8,932.99 पुनर्वि. (-)2,988.39	7,884.60	7,884.60	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान से ₹ 2,988.39 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 2217-80-192-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 413.10 पुनर्वि. (-)413.10	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(14) 2217-80-192-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7706—अमृत मिशन— पूरक 3,053.50 पुनर्वि. (-)154.00	2,899.50	2,899.50	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 154.00 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(15) 2217-80-193-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 850.10 पूरक 10.00 पुनर्वि. (-)859.59	0.51	0.51	0.00
यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, अनुपूरक बजट द्वारा प्रावधान में ₹ 10.00 लाख का आवर्धन अनावश्यक सिद्ध हुआ। समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 859.59 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2217-80-193-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 356.40 पुनर्वि. (-)356.40	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 356.40 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(17) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7706—अमृत मिशन— पूरक 2,899.50 पुनर्वि. (-)310.08	2,589.42	2,589.42	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 310.08 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(18) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7709—सबके लिए आवास योजना— मूल 1,050.00 पूरक 4,522.17 पुनर्वि. (-)1,580.72	3,991.45	3,991.45	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,507.54 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 73.18 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण प्रावधान में ₹ 1,580.72 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(19) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 8996—राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन— मूल 534.60 पुनर्वि. (-)534.60	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

(ii) उपरोक्त टिप्पणी (i) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6630—रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड— पूरक 700.00 पुनर्वि. 90,100.00	9,800.00	9,800.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 90,100.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 69—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2217-80-191-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6631—बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड— पूरक 700.00 पुनर्वि. 6,900.00	7,600.00	7,600.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 6,900.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(3) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6630—रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड— पूरक 700.00 पुनर्वि. 9,100.00	9,800.00	9,800.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 9,100.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(4) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6631—बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड— पूरक 700.00 पुनर्वि. 11,100.00	11,800.00	11,800.00	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 11,100.00 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6652—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत निजी / सामुदायिक / सार्वजनिक / एस्पिरेशनल शौचालय— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 102.91	102.91	102.91	(-)0.01
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 102.91 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6653—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 5,477.75	5,477.75	5,477.75	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,477.75 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(7) 2217-80-191-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6655—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.ई.सी. एवं बिहेवियर चेंज— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 838.89	838.89	838.89	0.00

अनुदान संख्या 69-जारी

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 838.89 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2217-80-191-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6656-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट-			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 308.18	308.18	308.18	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 308.18 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(9) 2217-80-192-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट-			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 1,853.14	1,853.14	1,853.14	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 1,853.14 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(10) 2217-80-192-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6655-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.ई.सी. एवं बिहेवियर चेंज-			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 283.80	283.80	283.80	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 283.80 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(11) 2217-80-192-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6656-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग, स्किल डेव्हलपमेंट एवं नॉलेज मैनेजमेंट-			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 104.25	104.25	104.25	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 104.25 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(12) 2217-80-193-0701-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)- 6653-स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट-			
पूरक सांकेतिक			
पुनर्वि. 938.12	938.12	938.12	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 938.12 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 69—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(13) 2217-80-193-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6655—स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत आई.ई.सी. एवं बिहेवियर चेंज— पूरक सांकेतिक पुनर्वि. 143.67	143.67	143.67	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 143.67 लाख का आवर्धन भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 71—सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
3275—अन्य संचार सेवायें			
5275—अन्य संचार सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	1,22,92,67	37,81,60	(-)85,11,07
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			76,73,82
पूंजीगत:			
मूल	69,40,00		
पूरक	86,68,00	1,56,08,00	54,40,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,01,68,00
टीका एवं टिप्पणियां			1,01,68,00

राजस्व :

(i) ₹ 8,511.07 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 7,673.82 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 3275—800—1201—विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)— 7919—छत्तीसगढ़ पब्लिक फायनेंस मैनेजमेंट— मूल 2,050.00 पुनर्वि. (-)2,050.00	0.00	0.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,050.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(2) 3275—800—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6382—सेन्टर ऑफ एकसीलेंस की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि आहरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(3) 3275—800—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6382—सेन्टर ऑफ एकसीलेंस की स्थापना— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि आहरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2020—21 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 71—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6410-मुख्यमंत्री ई-समीक्षा- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)120.00	80.00	80.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 120.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6413-बिल्ड नेक्स्ट परियोजना- मूल 279.00 पुनर्वि. (-)98.00	181.00	181.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 98.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6482-मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष भवनों में वाई फाई सुविधा की स्थापना- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)250.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(7) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6818-स्वान परियोजना- मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)964.00	1,536.00	1,536.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 964.00 लाख की कमी निधि के आहरण के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6894-डिजिटल शासन की स्थापना- मूल 250.00 पुनर्वि. (-)150.00	100.00	100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(9) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7270-ई-जिला परियोजना- मूल 561.00 पुनर्वि. (-)366.00	195.00	0.00	(-)195.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 366.00 लाख की कमी निधियों के आहरण के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

अनुदान संख्या 71-जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7276-स्टेट डाटा सेंटर की स्थापना-			
मूल	2,700.00		
पुनर्वि.	(-)2,149.00	551.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,149.00 लाख की कमी वित्त विभाग से संशोधित प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7612-एकीकृत ई-प्रोक्योरमेंट परियोजना-			
मूल	250.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	100.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(12) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7752-कोर इनक्यूबेटर- सह-एक्सीलरेटर संस्थान	200.00	0.00	(-)200.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(13) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7821-जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी का संचालन-			
मूल	280.00		
पुनर्वि.	(-)91.75	188.25	(-)76.25
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 91.75 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(14) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7966-स्टेट पोर्टल परियोजना-			
मूल	150.00		
पुनर्वि.	(-)150.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(15) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8726-छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी की स्थापना-			
मूल	1,150.00		
पुनर्वि.	(-)625.00	525.00	(-)100.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 625.00 लाख की कमी वित्त विभाग से निधियों के आहरण के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 100.00 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 71-समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 3275-800-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 8955-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश प्रोत्साहन की योजना-			
मूल	1,100.00		
पुनर्वि.	(-180.00	920.00	654.00
			(-266.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 180.00 लाख की कमी निधि की आवश्यकता नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। ₹ 266.00 लाख के अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

पूँजीगत :

(iii) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2023 में ₹ 86.68 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह बजट पर अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाता है।

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5275-101-0704-केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)-राज्यांश- 7892-भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु-			
मूल	1,500.00		
पुनर्वि.	(-1,500.00	0.00	0.00
			0.00

₹ 1,500.00 लाख का सम्पूर्ण प्रावधान निधि के आहरण की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(2) 5275-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6681-छत्तीसगढ़ स्टेट जी.आई.एस. परियोजना-			
मूल	1,690.00		
पुनर्वि.	(-1,690.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।

(3) 5275-101-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 7892-भारत नेट परियोजना के क्रियान्वयन हेतु-			
पूरक	6,500.00		
पुनर्वि.	(-6,500.00	0.00	0.00
			0.00

सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023) 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 75—जल संसाधन विभाग से सम्बंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं
(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
4700—वृहद सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4701—मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
4702—लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत	6,89,71,00	1,64,80,34	(-)5,24,90,66
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			5,22,08,95
टीका एवं टिप्पणियां			

पूंजीगत :

(i) ₹ 52,490.66 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 52,208.95 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4700-02-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 15,000.00 पुनर्वि. (-)12,850.15	2,149.85	2,149.85	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 12,850.15 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं ठेके के प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(2) 4700-03-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 4,000.00 पुनर्वि. (-)2,989.58	1,010.42	1,010.54	+0.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,989.58 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने, भूमि अधिग्रहण के मामलों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने एवं ठेके की प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(3) 4700-04-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 500.00 पुनर्वि. (-)278.80	221.20	221.20	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 278.80 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 4700-05-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)1,982.48	3,017.52	3,017.52	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,982.48 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 4700-07-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,999.77	0.23	0.23	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,999.77 लाख की कमी कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(6) 4700-09-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 5,000.00 पुनर्वि. (-)5,000.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 4700-10-800-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 4700-10-800-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 1,500.00 पुनर्वि. (-)1,353.40	146.60	146.60	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,353.40 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(9) 4700-11-800-0313-नाबार्ड पोषित योजनाएं- (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 5516-वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)- मूल 200.00 पुनर्वि. (-)200.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नाबार्ड से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 4700-11-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)1,389.27	610.73	610.73	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,389.27 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(11) 4700-12-800-0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(12) 4700-12-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5516—वृहद सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 3,000.00 पुनर्वि. (-)2,927.97	72.03	72.03	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,458.22 लाख की कमी भूमि अधिग्रहण मुआवजे के प्रकरणों का निराकरण में विलम्ब होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(13) 4701-04-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(14) 4701-05-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(15) 4701-06-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)995.13	4.87	4.87	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 995.13 लाख की कमी नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 75—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 4701-08-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,000.00 पुनर्वि. (-)400.04	1,599.96	1,599.96	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 400.04 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 4701-09-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(18) 4701-15-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 300.00 पुनर्वि. (-)300.00	0.00	0.00	0.00
(19) 4701-28-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
(20) 4701-48-800-0311—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)— 5188—मध्यम सिंचाई परियोजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 100.00 पुनर्वि. (-)100.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (18) से (20) के शीर्षान्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान नवीन कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(21) 4702-101-0313—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 2,500.00 पुनर्वि. (-)1,284.02	1,215.98	1,215.98	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,284.02 लाख की कमी कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(22) 4702-101-0312—नाबार्ड पोषित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 5189—लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य (नाबार्ड)— मूल 7,000.00 पुनर्वि. (-)5,731.77	1,268.23	986.39	(-)281.84

अनुदान संख्या 75—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,731.77 लाख की कमी वृक्षारोपण से संबंधित प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2015-16 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(23) 4702-101-0311-नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य)- 9469-नाबार्ड से ऋण सहायता अन्तर्गत-			
मूल	16,000.00		
पुनर्वि.	(-)10,608.25	5,391.75	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 10,608.25 लाख की कमी वृक्षारोपण से संबंधित प्रकरण प्राप्त नहीं होने एवं कार्य की प्रगति के अनुसार भुगतान किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 76—लोक निर्माण विभाग से सम्बंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
5054—सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय			
पूंजीगत:			
मूल	9,40,15,03		
पूरक	सांकेतिक	9,40,15,03	7,81,57,95
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,58,57,08
टीका एवं टिप्पणियां			1,58,43,26

टीका एवं टिप्पणियां

पूंजीगत :

(i) ₹ 15,857.08 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 15,843.26 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई। यह प्रचलन कमजोर बजट प्रबंधन को दर्शाता है।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II-			
मूल	2,523.01		
पुनर्वि.	(-)2,201.36	321.65	321.64
			(-)0.01

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 2,201.36 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 5054-03-337-1203-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जाति उपयोजना)- 7922-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III-			
मूल	8,413.00		
पुनर्वि.	(-)3,620.16	4,792.84	4,792.84
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,620.16 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2016-17 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(3) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II-			
मूल	1,121.01		
पुनर्वि.	(-)994.51	126.50	126.50
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 994.51 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

अनुदान संख्या 76—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(4) 5054-03-337-1202-विदेशी सहायता प्राप्तपरियोजनाएं (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 7922-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III-	मूल 13,000.00 पुनर्वि. (-)5,373.29	7,626.71	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 5,373.29 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019-20 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7433-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-II-	मूल 1,958.01 पुनर्वि. (-)1,901.84	56.17	(-)0.01
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,901.84 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(6) 5054-03-337-1201-विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (सामान्य)- 7922-छत्तीसगढ़ स्टेट रोड डेवलपमेन्ट सेक्टर प्रोजेक्ट, फेज-III-	मूल 67,000.00 पुनर्वि. (-)1,752.10	65,247.90	(-)13.81
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,752.10 लाख की कमी विभागीय प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण उल्लिखित की गई है। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—चिकित्सा शिक्षा विभाग से सम्बंधित व्यय

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2071—पेंशन और अन्य सेवा निवृत्ति लाभ			
2210—चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य			
4210—चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	10,18,64.91		
पूरक	36,00,00	10,54,64.91	8,20,76.58
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)2,33,88.33 2,18,32.29
प्रभारित	3,20	00	(-)3,20
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			3,20
पूंजीगत:			
दत्तमत—			
मूल	90,28,60		
पूरक	2,30,68,80	3,20,97,40	3,02,19,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)18,77,83 18,64,72

टीका एवं टिप्पणियां

इस अनुदान के पूंजीगत अनुभाग के अन्तर्गत दर्ज व्यय में आकस्मिकता निधि से आहरित ₹ 50,00,00 हजार सम्मिलित है जिसको जनवरी 2023 को स्वीकृत एवं आहरित किया गया तथा मार्च 2023 में प्रतिपूरित किया गया।

राजस्व :

दत्तमत—

(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2023 में ₹ 3,600.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(ii) ₹ 23,388.33 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 21,832.29 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

(1) 2210-01-110-6389—सुपर स्पेशलिटी

चिकित्सालय—

मूल 4,007.20

पुनर्वि. (-)935.42

3,071.78

3,071.84

+0.06

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 935.42 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)—

6387—कैंसर संस्थान—

मूल 1,486.90

पुनर्वि. (-)241.03

1,245.87

1,244.59

(-)1.28

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 241.03 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2210-02-101-4286—संचालक आयुर्वेद एवं प्रशासन— मूल 458.70 पुनर्वि. (-)155.31	303.39	302.35	(-)1.03
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 155.31 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं निधियों के मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2210-02-101-461—आयुर्वेदिक प्रशासन का सुदृढीकरण— मूल 1,218.40 पुनर्वि. (-)332.17	886.23	882.66	(-)3.56
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 332.17 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(5) 2210-02-101-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन 600.00		121.27	(-)478.73
₹ 478.73 लाख के बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(6) 2210-02-101-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 7730—राष्ट्रीय आयुष मिशन 900.00		181.90	(-)718.10
₹ 718.10 लाख के बचत के विरुद्ध, वर्ष के दौरान कोई भी राशि अभ्यर्पित नहीं की गई। अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(7) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4194—सरकारी आयुर्वेदिक औषधालय एवं भंडार— मूल 540.10 पुनर्वि. (-)162.42	377.68	374.84	(-)2.84
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 162.42 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मूल 2,292.30 पुनर्वि. (-)452.90	1,839.40	1,835.44	(-)3.96
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 452.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(9) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 5683—जिला ऐलोपैथिक चिकित्सालयों में भारतीय चिकित्सा पद्धति प्रकोष्ठों की स्थापना— मूल 1,012.90 पुनर्वि. (-)144.05	868.85	865.62	(-)3.23

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 144.05 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(10) 2210-02-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7511—आयुर्वेदिक कॉलेज अस्पताल— मूल 695.60 पुनर्वि. (-)93.70	601.90	594.51	(-)7.39
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 93.70 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(11) 2210-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)— मूल 520.80 पुनर्वि. (-)110.85	409.95	409.42	(-)0.53
---	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 110.85 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2210-04-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 460—आयुर्वेदिक चिकित्सालय और औषधालय— मूल 11,867.30 पुनर्वि. (-)1,685.30	10,182.00	10,171.19	(-)10.81
---	-----------	-----------	----------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 1,685.30 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने एवं वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(13) 2210-04-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 4810—होम्योपैथिक औषधालय (मूलभूत सेवायें)— मूल 486.70 पुनर्वि. (-)94.64	392.06	391.59	(-)0.47
--	--------	--------	---------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 94.64 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने, मितव्ययी उपायों को अपनाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(14) 2210-05-101-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 469—आयुर्वेदिक महाविद्यालय— मूल 3,351.80 पुनर्वि. (-)911.90	2,439.90	2,437.62	(-)2.28
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 911.90 लाख की कमी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने, वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने एवं निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2007-08 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(15) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 1355—चिकित्सा शिक्षा संचालनालय— मूल 343.30 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)97.06	246.24	245.44	(-)0.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 97.06 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(16) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6386—दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 35,743.40 पुनर्वि. 7,688.99	28,054.41	28,114.31	+59.90
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 7,688.99 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। पुनर्विनियोजन के पश्चात् राशि ₹ 59.90 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(17) 2210-05-105-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8897—सिकल सेल इंस्टीट्यूट की स्थापना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)220.00	380.00	380.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 220.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(18) 2210-06-003-6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 668.80 पुनर्वि. (-)314.04	354.76	394.43	+39.67
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 314.04 लाख की कमी के कारणों के साथ अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। पुनर्विनियोजन के पश्चात् राशि ₹ 39.67 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(19) 2210-06-003-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6388—चिकित्सा परिचारिकाओं का प्रशिक्षण केन्द्र— मूल 524.14 पुनर्वि. (-)199.45	324.69	324.67	(-)0.02
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 199.45 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			

अनुदान संख्या 79—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(20) 2210-06-003-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 2216—नर्सिंग के बुनियादी पाठ्यक्रम से लोक स्वास्थ्य का एकीकरण— मूल 2,307.06 पुनर्वि. (-)424.29	1,882.77	1,880.88	(-)1.89

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 424.29 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(21) 2210-06-112-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7279—चिकित्सा महाविद्यालय— मूल 850.00 पुनर्वि. (-)250.00	600.00	600.00	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.00 लाख की कमी के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

प्रभारित—

(iv) वर्ष के दौरान ₹ 3.20 लाख का सम्पूर्ण विनियोग अप्रयुक्त रहा एवं 31 मार्च 2023 को अभ्यर्पित किया गया।

पूँजीगत:

दत्तमत—

(v) ₹ 1,877.83 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 1,864.72 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(vi) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 4210-01-110-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6385—चिकित्सा महाविद्यालय सम्बद्ध चिकित्सालय— मूल 470.00 पुनर्वि. (-)126.36	343.64	343.64	0.00

पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 100.00 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 226.36 लाख की कमी के निवल प्रभाव से प्रावधान में ₹ 126.36 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। सम्बद्ध अस्पताल, बिलासपुर में अग्नि सुरक्षा प्रणाली की स्थापना के लिए अतिरिक्त निधि की आवश्यकता के कारण पुनर्विनियोजन किया गया। समर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 4210-03-105-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं (सामान्य)— 6386—दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय— मूल 3,000.00 पूरक 11,289.80 पुनर्वि. (-)743.72	13,546.08	8,273.04	(-)5,273.04
--	-----------	----------	-------------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 743.72 लाख की कमी के कारणों के साथ ही अत्यधिक अंतिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 79—समाप्त

(vii) उपरोक्त टिप्पणी (vi) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4210-03-105-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6386-दंत चिकित्सालय, फिजियोथेरेपी महाविद्यालय-			
मूल	1,949.00		
पूरक	6,655.00		
पुनर्वि.	(-)918.66	7,685.34	12,958.38
			+5,273.04

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 918.66 लाख की कमी के कारणों के साथ अत्यधिक अंतिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)। पुनर्विनियोजन के पश्चात् राशि ₹ 5,273.04 लाख का आधिक्य व्यय, समर्पण के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

अनुदान संख्या 80—त्रि—स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2236—पोषण			
2403—पशु—पालन			
2405—मछली पालन			
2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम			
2851—ग्रामोद्योग और लघु उद्योग			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4515—अन्य ग्रामीण कार्यक्रमों पर पूंजीगत व्यय			

राजस्व:

मूल	30,39,98,91		
पूरक	सांकेतिक	30,39,98,91	27,60,73,69
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)2,79,25,22 2,79,22,60

पूंजीगत	4,33,00,00	2,81,46,11	(-)1,51,53,89
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,51,53,89

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 27,925.22 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को केवल ₹ 27,922.60 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2202—01—197—0101 राज्य आयोजना (सामान्य)— 8403—शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए—			
मूल	500.00		
पुनर्वि.	(-)150.91	349.09	348.28
			(-)0.81

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 150.91 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।

(2) 2235—60—198—4858—इंदिरा सहारा योजना—			
मूल	6,930.00		
पुनर्वि.	(-)250.47	6,679.53	6,679.53
			0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 250.47 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी के कारण उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 80—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2235—60—198—9142—सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 27,657.60 पुनर्वि. (-)266.42	27,391.18	27,391.18	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 185.84 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 80.58 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी होने के कारण प्रावधान में ₹ 266.42 लाख की कमी उल्लिखित की गई है। 2018—19 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(4) 2235—60—198—1001—अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397—राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना— मूल 972.00 पुनर्वि. (-)80.20	891.80	891.68	(-)0.12
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 80.20 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2019—20 एवं 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(5) 2405—101—0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 6449—प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना— मूल 913.00 पुनर्वि. (-)913.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(6) 2405—101—0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7242—राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (सामान्य)— मूल 90.00 पुनर्वि. (-)90.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 2515—101—8391—त्रिस्तरीय पुरस्कार— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान योजना के दिशा—निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017—18 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(8) 2515—196—5847—जिला पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान— मूल 524.40 पुनर्वि. (-)194.41	329.99	329.99	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 194.41 लाख की कमी योजना के दिशा—निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(9) 2515—196—8209—पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं— मूल 843.75 पुनर्वि. (-)204.78	638.97	638.97	0.00

अनुदान संख्या 80—जारी

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 204.78 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(10) 2515-197-6616—जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान—			
मूल	613.20		
पुनर्वि.	(-)613.20	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान योजना के दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप नहीं दिये जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(11) 2515-198-8209—पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं—			
मूल	15,573.50		
पुनर्वि.	(-)347.61	15,225.89	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 347.61 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(12) 2515-198-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 5848—इंदिरा सहारा योजना—			
मूल	26,000.00		
पुनर्वि.	(-)9,567.59	16,432.41	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,567.59 लाख की कमी सरकार से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने, स्ट्रीट लाईट पर विद्युत शुल्क का भुगतान नहीं होने एवं पाइप जलापूर्ति पर बिजली शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(13) 2515-198-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 7687—मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना—			
मूल	120.40		
पुनर्वि.	(-)120.40	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(14) 2515-198-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 8214—सचिवीय व्यवस्था—			
मूल	40,000.00		
पुनर्वि.	(-)3,212.26	36,787.74	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,212.26 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है।

(15) 2515-198-0704—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)—राज्यांश— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान—			
मूल	456.00		
पुनर्वि.	(-)456.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

अनुदान संख्या 80—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(16) 2515-198-0701—केन्द्र प्रवर्तित योजना (सामान्य)— 7893—राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान— मूल 684.00 पुनर्वि. (-)684.00	0.00	0.00	0.00

सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(17) 2515-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 8555—छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण— मूल 1,000.00 पुनर्वि. (-)431.48	568.52	568.52	0.00
--	--------	--------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 431.48 लाख की कमी कार्यों की अनुशंसा प्राप्त नहीं होने एवं आवश्यकतानुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(18) 2853-02-102-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 6299—ग्रामीण क्षेत्रों में गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 16,814.66 पुनर्वि. (-)9,548.18	7,266.48	7,266.48	0.00
---	----------	----------	------

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 9,548.18 लाख की कमी सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हाने एवं पंचायत तथा ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अंतरित निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

(iii) उपरोक्त टिप्पणी (ii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

2235-60-198-0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7921—मुख्यमंत्री पेंशन योजना— मूल 19,824.00 पुनर्वि. 80.58	19,904.58	19,904.58	0.00
---	-----------	-----------	------

पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 80.58 लाख का आवर्धन हितग्राहियों की संख्या में वृद्धि के कारण उल्लिखित की गई है।

पूँजीगत :

(iv) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515-198-1101—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)— 6625—रूरल इन्डस्ट्रियल पार्क— मूल 30,000.00 पुनर्वि. (-)15,153.00	14,847.00	14,847.00	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 15,153.00 लाख की कमी छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग द्वारा द्वितीय किस्त जारी करने की स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 81—नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

	कुल अनुदान या विनियोग	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2202—सामान्य शिक्षा			
2215—जलापूर्ति तथा सफाई			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग			
3604—स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समानुदेशन			
4215—जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजीगत परिव्यय			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
6217—शहरी विकास के लिए कर्ज			
राजस्व :			
दत्तमत—			
मूल	18,69,47,12		
पूरक	3,00,00	18,72,47,12	17,64,02,67
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)1,08,44,45 1,08,45,56
प्रभारित—			
मूल	40,25,59		
पूरक	60,00,00	1,00,25,59	1,00,25,59
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि			00 00
पूंजीगत :			
दत्तमत—			
मूल	7,72,10,00		
पूरक	20,00,00	7,92,10,00	5,92,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			(-)2,00,10,00 2,00,10,00
टीका एवं टिप्पणियां			
राजस्व :			
दत्तमत—			
(i) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, मार्च 2023 में ₹ 300.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।			
(ii) ₹ 10,844.45 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को ₹ 10,845.56 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।			
(iii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-			
शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(1) 2217-05-191-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	4,880.00		
पुनर्वि.	(-)4,880.00	0.00	0.00
		0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 81—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(2) 2217-05-192-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 13,210.35 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,497.81	9,712.54	9,712.54	0.00
पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,717.81 लाख एवं समर्पण द्वारा ₹ 1,780.00 लाख भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने से प्रावधान में ₹ 3,497.81 लाख की कमी उल्लिखित की गई है।			
(3) 2217-05-192-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,680.00 पुनर्वि. (-)1,680.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2217-05-193-6429-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 10,331.04 पूरक सांकेतिक पुनर्वि. (-)3,610.90	6,720.14	6,720.14	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 3,610.90 लाख की कमी भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			
(5) 2217-05-193-7675-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान— मूल 1,440.00 पुनर्वि. (-)1,440.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(6) 2235-60-191-9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण— मूल 2,944.80 पुनर्वि. (-)124.08	2,820.72	2,815.93	(-)4.80
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 124.08 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(7) 2235-60-191-1001-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)— 5397-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना— मूल 320.00 पुनर्वि. (-)87.20	232.80	232.80	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 87.20 लाख की कमी हितग्राहियों के बायोमीट्रिक कार्य की धीमी प्रगति के कारण उल्लिखित की गई है। 2017-18 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

अनुदान संख्या 81—समाप्त

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(8) 2235—60—191—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7589—नगरी बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन का बायोमेट्रिक पद्धति से भुगतान हेतु अनुदान—			
मूल	100.00		
पुनर्वि.	(-)100.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान हितग्राहियों के बायोमेट्रिक कार्य की धीमी प्रगति के कारण अप्रयुक्त रहा। 2016—17 से 2021—22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			

(9) 2853—02—102—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7611—गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का नगरीय निकायों के लिए अंतरण—			
मूल	299.12		
पुनर्वि.	(-)249.12	50.00	0.00
समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 249.12 लाख की कमी सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

(iv) उपरोक्त टिप्पणी (iii) में उल्लिखित बचत निम्न आधिक्य द्वारा अंशतः प्रतिसंतुलित हुई :-

2217—05—191—6429—15वें वित्त आयोग की अनुशांसा के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान—			
मूल	31,358.61		
पूरक	सांकेतिक		
पुनर्वि.	5,327.60	36,686.21	36,687.32
पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में ₹ 5,327.60 लाख का आवर्धन भारत सरकार से निधि प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।			

पूँजीगत:
दत्तमत—

(v) यद्यपि वास्तविक व्यय मूल प्रावधान से कम रहा, दिसम्बर 2022 में प्राप्त ₹ 2,000.00 लाख का अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुआ। यह अनुपूरक बजट के दौरान निधि की आवश्यकता के अपूर्ण आकलन को दर्शाता है।

(vi) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
6215—01—101—0101—राज्य आयोजना (सामान्य)— 7845—नगरीय निकायों की जल आवर्धन योजना—			
मूल	20,000.00		
पुनर्वि.	(-)20,000.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान नगरीय निकायों से ऋण के लिए प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			

अनुदान संख्या 82—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायती
राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

कुल
अनुदानवास्तविक
व्यय
(₹ हजार में)आधिक्य+
बचत(-)

मुख्य शीर्ष—

2202—सामान्य शिक्षा

2215—जलापूर्ति तथा सफाई

2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

2236—पोषण

2403—पशु-पालन

2405—मछली-पालन

2515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

2853—अलौह धातु खनन और धातुकर्म उद्योग

4515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

राजस्व	2,45,92,33	1,64,45,98	(-)81,46,35
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			81,46,16

पूंजीगत	3,33,00,00	2,17,82,43	(-)1,15,17,57
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,15,17,57

टीका एवं टिप्पणियां

राजस्व :

(i) ₹ 8,146.35 लाख की उपलब्ध बचत के विरुद्ध, 31 मार्च 2023 को किया गया ₹ 8,146.16 लाख की राशि अभ्यर्पित की गई।

(ii) प्रावधान में बचत मुख्यतः निम्न के अन्तर्गत हुई :-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
-------	---------------	---------------------------------	-------------------

(1) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
4691-कन्याओं को प्रशिक्षण हेतु
प्रोत्साहन योजनाएं-

मूल 390.00

पुनर्वि. (-)102.48

287.52

287.52

0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 102.48 लाख की कमी वास्तविक आवश्यकता अनुसार व्यय किए जाने के कारण उल्लिखित की गई है। 2020-21 एवं 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

(2) 2202-01-796-196-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना-
8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए

अनुदान मूलभूत न्यूनतम

सेवाओं के लिए-

मूल 500.00

पुनर्वि. (-)500.00

0.00

0.00

0.00

सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

अनुदान संख्या 82—जारी

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (रूलाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
(3) 2202-02-796-197-0102-अनुसूचित जनजाति उपयोजना— 8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के लिए— मूल 500.00 पुनर्वि. (-)500.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान जिलों से निधि की मांग प्राप्त नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2011-12 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत निरंतर बचत दृष्टिगत हुई थी।			
(4) 2405-796-101-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 6449-प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए हैं (जुलाई 2023)।			
(5) 2515-796-198-1102-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उप योजना)— 7687-मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तीकरण योजना— मूल 120.40 पुनर्वि. (-)120.40	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान रिक्त पदों की पूर्ति नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(6) 2515-796-198-0705-केन्द्र प्रवर्तित योजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)—राज्यांश— 7893-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान— मूल 600.00 पुनर्वि. (-)600.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा।			
(7) 2515-796-198-0702-केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)— 7893-राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान— मूल 900.00 पुनर्वि. (-)900.00	0.00	0.00	0.00
सम्पूर्ण प्रावधान पिछले वर्ष की अव्ययित धनराशि के कारण भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश जारी नहीं होने के कारण अप्रयुक्त रहा। 2018-19 से 2021-22 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।			
(8) 2853-02-796-102-0102-अनुसूचित जनजाति उप-योजना— 6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण— मूल 6,857.25 पुनर्वि. (-)4,505.68	2,351.57	2,351.57	0.00

अनुदान संख्या 82—समाप्त

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 4,505.68 लाख की कमी सक्षम प्राधिकारी से निधि के आहरण के लिए स्वीकृति प्राप्त नहीं होने एवं पंचायत विभाग से अंतरित निधि का आहरण नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

पूंजीगत:

दत्तमत—

(iii) प्रावधान में बचत निम्न के अन्तर्गत हुई—

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4515—796—198—1102—राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा— (अनुसूचित जनजाति उपयोजना) 6625—ग्रामीण औद्योगिक पार्क— मूल 22,800.00 पुनर्वि. (-)11,516.28	11,283.72	11,283.72	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 11,516.28 लाख की कमी शासन से द्वितीय किस्त के लिए जारी स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

अनुदान संख्या 83—अनुसूचित जनजाति उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

(सभी दत्तमत)

	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ हजार में)	आधिक्य+ बचत(-)
मुख्य शीर्ष—			
2217—शहरी विकास			
2235—सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2853—अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग			
4217—शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
राजस्व	56,31,00	55,50,62	(-)80,38
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			80,38
पूंजीगत	65,90,00	63,99,20	(-)1,90,80
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि (31 मार्च 2023)			1,90,80
टीका एवं टिप्पणियां			

राजस्व :

(i) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
2235-60-796-191-1002-अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जनजाति उपयोजना)- 5397-राष्ट्रीय परिवार कल्याण योजना-			
मूल	60.00		
पुनर्वि.	(-)22.80	37.20	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 22.80 लाख की कमी हितग्राहियों की संख्या में कमी होने के कारण उल्लिखित की गई है। 2018-19 से 2020-21 के दौरान भी इस शीर्षान्तर्गत बचत हुई थी।

पूंजीगत :

दत्तमत-

(ii) प्रावधान में बचत निम्न के अंतर्गत हुआ:-

शीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय (₹ लाख में)	आधिक्य+ बचत(-)
4217-60-796-191-0101-राज्य आयोजना (सामान्य)- 6421-पौनी पसारी योजना-			
मूल	988.00		
पुनर्वि.	(-)190.80	797.20	0.00

समर्पण द्वारा प्रावधान से ₹ 190.80 लाख की कमी नगरीय निकायों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के कारण उल्लिखित की गई है।

परिशिष्ट

परिशिष्ट-I

2022-23 के दौरान आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिमों का व्यय जो वर्ष के दौरान प्रतिपूरित नहीं किया गया।

(₹ हजार में)

संख्या और अनुदान का नाम	लेखे का मुख्य शीर्ष	अग्रिम से खर्च	अग्रिम की मंजूरी की तारीख	अग्रिम की प्रतिपूर्ति की तारीख
निरंक				

परिशिष्ट-II

(विनियोग लेखे के सारांश में पृष्ठ 16 पर संदर्भित)

अनुमानों का अनुदानवार विवरण तथा लेखे में व्यय की कमी के रूप में समायोजित की गई वास्तविक वसूलियां

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम		वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें अधिक(+)/कमी(-)
		(₹ हजार में)	
04. गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व—			
दत्तमत	00	74,40	+74,40
06. वित्त विभाग से संबंधित अन्य व्यय राजस्व—			
दत्तमत	00	8,06,70	+8,06,70
08. भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन राजस्व—			
दत्तमत	16,00,00	00	(-)16,00,00
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,29,50,00	00	(-)2,29,50,00
10. वन राजस्व—			
दत्तमत	5,04,00,00	1,02,42,98	+4,98,42,98
12. ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय राजस्व—			
दत्तमत	17,00,00	16,91,25	(-)8,75
पूंजीगत—			
दत्तमत	88,91,10	92,13,00	+3,21,90
19. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राजस्व—			
दत्तमत	00	13,89	+13,89
20. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राजस्व—			
दत्तमत	15,00,10	1,95,60	(-)13,04,50
21. आवास एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित व्यय—			
पूंजीगत—			
दत्तमत	00	11,50	+11,50
23. जल संसाधन विभाग राजस्व—			
दत्तमत	2,30,23,72	5,47	(-)2,30,18,25
पूंजीगत—			
दत्तमत	2,00	43	(-)1.57

परिशिष्ट-II-जारी

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
24. लोक निर्माण कार्य-सड़कें और पुल पूंजीगत-			
दत्तमत	1,00,65,00 ²	1,30,03,35	+29,38,35
25. खनिज संसाधन विभाग से संबंधित व्यय राजस्व-			
दत्तमत	1,74,00	96,87	(-)77,13
पूंजीगत-			
दत्तमत	2,67,55,02	2,16,66,95	(-)50,88,07
27. स्कूल शिक्षा राजस्व-			
दत्तमत	00	75,52,61	+75,52,61
41. आदिवासी क्षेत्र उपयोजना राजस्व-			
दत्तमत	12,92,00	12,85,35	(-)6,65
पूंजीगत-			
दत्तमत	66,50,50	68,88,00	+2,37,50
58. प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय- राजस्व-			
दत्तमत	6,72,08,00	2,82,08,25	(-)3,89,99,75
पूंजीगत-			
दत्तमत	20,00	00	(-)20,00
64. अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना राजस्व-			
दत्तमत	4,08,00	4,05,90	(-)2,10
पूंजीगत-			
दत्तमत	21,00,00	21,75,00	+75,00

² ₹ 10,000.00 लाख का निवल प्रावधान होने के कारण, बजट अनुमान के आँकड़ों में ₹ 6,000.00 लाख की वसुलियों, जिसे व्यय में कटौती से समायोजित किया जाता है, को नहीं दर्शाया गया है।

परिशिष्ट-II-समाप्त

अनुदान या विनियोग की संख्या और नाम	बजट अनुमान	वास्तविक आंकड़े (₹ हजार में)	बजट अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़े अधिक(+)/कमी(-)
67. लोक निर्माण कार्य-भवन राजस्व-			
दत्तमत	1,89,18,90	1,15,71,97	(-) 73,46,93
पूँजीगत-			
दत्तमत	84,89,27	00	(-) 84,89,27
80 त्रि-स्तरीय पंचायतीराज संस्थाओं को वित्तीय सहायता राजस्व-			
दत्तमत	70,00,00	70,00,00	00
योग-			
राजस्व-			
दत्तमत	17,32,24,72	15,91,51,22	(-) 1,40,73,50
प्रभारित	00	00	00
पूँजीगत-			
दत्तमत	8,59,22,89	5,29,58,23	(-) 3,29,64,66
प्रभारित	00	00	00
महायोग-			
राजस्व	17,32,24,72	15,91,51,22	(-) 1,40,73,50
पूँजीगत	8,59,22,89,	5,29,58,23	(-) 3,29,64,66

© भारत के नियंत्रक
महालेखापरीक्षक
2023

www.cag.gov.in



agaechhattisgarh@cag.gov.in